खण्ड-432, अंक-3
मंगलवार, 14 पौष, शक संवत् 1921
(4 जनवरी, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1999)

खण्ड 432 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य				
विधान सभा के सामने चीनी मिल मजदूरों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा कतिपय विधायकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रकरण को सर्व प्रथम लिए जाने की मांग (जारी)	...			1–2
प्रश्नोत्तर	...	...	...	2–69
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	...	...	...	70
सदन में हुई अव्यवस्था के कारण सदन को दो घण्टा स्थगित करने पर श्री अध्यक्ष द्वारा क्षोभ व्यक्त करना तथा सभी सदस्यों के सदन के संचालन में सहयोग की अपेक्षा	...	...	...	70–72
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	72
जनपद गाजीपुर मुख्य शहर की रेलवे क्रासिंग रौजा पर बाईपास या ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...			72
बरेली के पी०सी०एफ० प्रबन्धक द्वारा डी०ए०पी० उर्वरक के लाखों रुपये के घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...			72–73
जनपद जौनपुर के गड़वारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सुजानगंज में 33 के०वी०ए० का सब स्टेशन बनाने में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	73
जनपद फतेहपुर के हस्वा क्षेत्रान्तर्गत आसलपुर गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध दबंग लोगों द्वारा की गयी घटना की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	73
जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में विद्युतीकरण एवं विद्युत लाइनों की मरम्मत हेतु जनपद स्टोर में सामान उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	73-74
संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा कला पद हेतु की गयी नियुक्तियों में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना				74
बदायूं जनपद के बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत जवाहर रोजगार योजना हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...		...	74-75
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	...	...	...	75
संसद की भांति विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	...	75

विषय	पृष्ठ-संख्या
विगत बजट सत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा माननीय सदस्यों की सूचना पर उनके क्षेत्र में पांच गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की घोषणा का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75–76
मेजा, बलिया सहित अन्य बन्द कताई मिलों के सम्बन्ध में सदन में दिये गये आश्वासन के बावजूद अभी तक न चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	76–78
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	78–79
प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं विभिन्न सहयोगी दलों के मंत्रियों के अयोध्या के विवादित स्थल के विषय में, परस्पर विरोधी बयानों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79-81
जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 1999-2000 में अधिकारियों द्वारा विधायकों का प्रस्ताव न लेकर अपनी मर्जी से प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	81–82
विधान सभा के सामने चीनी मिल मजदूरों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा कतिपय विधायकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रकरण को सर्व प्रथम लिए जाने की मांग (जारी) ...	82–85
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 77वां प्रतिवेदन.....(प्रस्तुत किया गया)	86
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 17वां विशेष प्रतिवेदन.....(प्रस्तुत किया गया)	86
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन .....(प्रस्तुत किया गया)	86
जनपद मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जंगी रोड से बेरहवां चौराहा होते हुए गीता स्वामी तिराहा तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार मौर्य व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	86
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव.....(स्वीकृत) ...	86–88
विधान सभा के सामने चीनी मिल मजदूरों द्वारा किये जा रहे शान्ति पूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस पर लाठी चार्ज तथा कतिपय विधायकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रकरण को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	88–91
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी व अन्य द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा–का स्थगन ...	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे मंगलवार दिनांक 23 फरवरी, 1999 को श्री अजय भट्ट द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	91–93
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरः स्थापित) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 (पुरः स्थापित)	93
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पुरःस्थापित	
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	94–102
श्री राधेश्याम सिंह विधायक को गिरफ्तार किये जाने की सूचना ...	102–104
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	104–106
श्री राधेश्याम सिंह विधायक को गिरफ्तार किये जाने की सूचना ...	106–107
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	107–132
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	132–133
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ.....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	133
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के अधीन मांगों का प्रस्ताव, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)..... (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)..... (स्वीकृत) ...	133
अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग).....(स्वीकृत) ...	133–134
अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग).....(स्वीकृत) ...	134
अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग.....(स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)....(स्वीकृत)	134–135
अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)....(स्वीकृत) ...	135
अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)....(स्वीकृत) ...	135
अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)....(स्वीकृत) ...	135
अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)....(स्वीकृत) ...	135–136
अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)....स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)....(स्वीकृत) ...	136
अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)....(स्वीकृत) ...	136–137
अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)....(स्वीकृत) ...	137

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग....(स्वीकृत)	...	...	137
अनुदान संख्या 22–खेल विभाग....(स्वीकृत)...	...	...	137
अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)....(स्वीकृत)		...	138
अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस)....(स्वीकृत)	...	...	138
अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)....(स्वीकृत)...		...	138
अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)....(स्वीकृत) ...			138–139
अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)....(स्वीकृत)		...	139
अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)....(स्वीकृत)			139
अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)....(स्वीकृत)		...	139
अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)....(स्वीकृत)		...	139–140
अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	140
अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	140
अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	140
अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	141
अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	141
अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	141
अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग ....(स्वीकृत)	...	...	142
अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग ....(स्वीकृत)		...	142
अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)....(स्वीकृत)		...	142
अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)....(स्वीकृत) ...			143
अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ....(स्वीकृत)		...	143
अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन) ....(स्वीकृत) ...		...	143
अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) ....(स्वीकृत) ...			143–144
अनुदान संख्या 60–वन विभाग ....(स्वीकृत)...	...	...	144
अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) ....(स्वीकृत)		...	144
अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ....(स्वीकृत)		...	144
अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ....(स्वीकृत)...			145
अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ....(स्वीकृत)		...	145
अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ....(स्वीकृत)		...	145

विषय	पृष्ठ-संख्या
;दान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ....(स्वीकृत) ...	145–146
अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) ....(स्वीकृत)	146
अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग....(स्वीकृत)	146
अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) ....(स्वीकृत)	146
अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ....(स्वीकृत) ...	147
अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग....(स्वीकृत)	147
अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग....(स्वीकृत)	147
अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग....(स्वीकृत)	147–148
अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग....(स्वीकृत)	148
अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग....(स्वीकृत)	148
अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)....(स्वीकृत) ...	148
अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)....(स्वीकृत) ...	149
अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)....(स्वीकृत) ...	149
अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)....(स्वीकृत)	149
अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग ...(स्वीकृत)	150
उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000.... (पुरःस्थापित एवं पारित)	150–155
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000.... (पारित) ...	156–157
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000.... (पारित)... ...	157–159
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000.... (पारित)... ...	159–161
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000.... (पारित) ...	162–164
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000.... (पारित) ...	164–171
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद के अनुसार श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित.....	
''पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग, तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े'' के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित..... ...	...

विषय				पृष्ठ-संख्या
ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वे एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित....	...			172
प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित....	...			172
खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं रासायनिक खादों की कमी को दूर करने विषयक दिनांक 15 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित...				172
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	172–176
नत्थियां	...	...	...	177–180

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मा० सदस्य उपस्थित थे :--

1–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	11–बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
2–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	12–मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
3–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	13–लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
4–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	14–विनोद कुमार सिंह उर्फ	
5–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
6–काजिम अली खां उर्फ		15–शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
नवेद मियां, श्री	रामपुर	16–संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
7–के०सी० सिंह ''बाबा'', श्री	उधम सिंह नगर	17–संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
8–छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	18–सर्वेश कुमार उर्फ	
9–ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़	राकेश कुमार, कुंवर,	मुरादाबाद
10–पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित सदस्य	19–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री	बाराबंकी

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

विधान सभा के सामने चीनी मिल मजदूरों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा कतिपय विधायकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार संबंधी प्रकरण को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इससे गम्भीर कोई मामला नहीं हो सकता । यह हमारे वरिष्ठ सदस्यों पर लाठीचार्ज का मामला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शीतलहरी पर सूचना आयी है । वह सूचना क्रम से आ जायेगी । कृपया स्थान ग्रहण करें । जब माननीय नेता विपक्ष खड़े हों तो आप लोग स्वयं बैठ जायें । हर प्रश्न को उठाने का समय होता है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी हाल में एक गम्भीर घटना की सूचना प्राप्त हुई है और वह गम्भीर घटना यह है, वैसे तो तमाम लोग अनशन किया करते हैं, धरना भी दिया करते हैं, जब विधान सभा चलती है । वह यह अपेक्षा करते हैं कि विधान सभा का सत्र चल रहा है, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री, विधायकगण और सारे लोग यहां पर होंगे । हमारी आवाज उनके कानों तक जायेगी और कार्यवाही भी होगी । जो चीनी मिलें बन्द हो गयी हैं उनके 10 हजार से भी अधिक लोग दारुलशफा में आये हैं । श्रीमन्, हमारे विधायक श्री राधेश्याम जी और जगदम्बिका पाल जी उनको सम्बोधित कर रहे थे । श्रीमन्, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई उपद्रव नहीं हुआ था, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी । वे केवल उनको सम्बोधित कर रहे थे । इतने में ही पुलिस ने लाठी चार्ज शुरु कर दिया इसको जगदम्बिका पाल जी भी बतला रहे हैं और उन्हें चोटें आयी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह घटना सदन के संज्ञान में ला दी है । जब 301 की सूचना ली जाये तो इसे ले लेंगे ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । हमारे वरिष्ठ सदस्य जगदम्बिका पाल और राधेश्याम जी उनकी बात को उठा रहे थे । यह दो सदस्यों पर लाठी चार्ज का प्रकरण है, हम इस तरह से सदस्यों को पिटते हुए, मार खाते हुए नहीं देख सकते । इसे गम्भीरता से लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बिना पूर्व सूचना के यहां सदन के संज्ञान में ले आयेंगे । मैंने व्यवस्था दे दी है । आप कृपया बैठ जायें । आपकी बात समय पर सुनेंगे । मैंने समय तय कर दिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह दो वरिष्ठ सदस्यों पर लाठी चार्ज का मामला है ।

[व्यवधान के मध्य ही कार्य सूची के नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारा गया ।]

(इसी मध्य श्री जगदम्बिका पाल, कांग्रेस पार्टी व समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं । कृपया अपने अपने आसन पर जाएं । आप सरकार को जवाब देने का मौका नहीं दे रहे हैं । यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का नया नमूना है । कृपया सदन की गम्भीरता को मत समाप्त करिये । सदन मछली बाजार जैसा बन गया है ।

(घोर व्यवधान जारी)

विधान सभा विपक्ष की ही नहीं है । विधान सभा सत्ता पक्ष की भी है, विधान सभा सब की है । कृपया अपना आसन ग्रहण करिये । अगर जबरदस्ती करेंगे तो काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान जारी)

व्यवधान के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जाएगा । मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण)

श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरक बेचने की व्यवस्था

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरक बेचे जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सहकारी समितियां रासायनिक खाद की काला बाजारी कर रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (''पटेल'' राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश की औद्योगिक नीति की रूपरेखा का मुख्य आधार

*2–श्री राम जग, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री बी० आर० वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में उद्योग नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

सरकार प्रदेश में नयी औद्योगिक नीति दिनांक 24 सितम्बर, 1998 को घोषित कर चुकी है । औद्योगिक नीति 1998 मुख्यतः निम्नलिखित रूपरेखा पर आधारित है :–

1–प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये व्यापक स्तर पर निजी क्षेत्र की सहभागिता ।

2–लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को पूर्ण संरक्षण एवं विकास के अवसर प्रदान करना ।

3–भारी एवं लघु उद्योगों का संबंधित एवं सन्तुलित विकास ।

4–निर्यात को प्रोत्साहन ।

5–अनिवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करना ।

6–बृहद् परियोजनाओं तथा हाईटेक उद्योगों में विदेशी पूंजी को आकर्षित करना ।

7–उद्योगों के लिये पूर्ण सुरक्षा का वातावरण ।

8–सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन ।

9–समस्त कर व्यवस्था को उद्योगपरक बनाना ।

10–रुग्ण उद्योगों को पुनः उत्पादन की मुख्य धारा से जोड़ना ।

11–प्रदेश में उद्यमिता का व्यापक विस्तार एवं विकास ।

12–निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश के माध्यम से अवस्थापना का विकास ।

तारांकित प्रश्न

*1—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

उ० प्र० सचिवालय में टंकक संवर्ग को पुनर्जीवित किये जाने का औचित्य

*2—श्री राम खिलाड़ी सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय प्रशासन द्वारा सन् 1988 में टंकक संवर्ग समाप्त कर उसका अवर वर्ग सहायक में एकमुश्त संविलीन कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि किसी भी संवर्ग को उसी के समान पदों पर ही संविलीन किया जाता है ? यदि हां, तो टंकक संवर्ग का अवर वर्ग सहायक में संविलीन किये जाने का क्या औचित्य था ? क्या टंकक संवर्ग पुनः जीवित किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस प्रकार की कोई सामान्य नीति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । टंकण कार्य की अपरिहार्यता के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में टंकक संवर्ग को पुनर्जीवित किया गया है ।

प्रदेश में गिद्धों सहित अन्य पक्षी प्रजातियों की वंशवृद्धि एवं संरक्षण हेतु पक्षी विहार की स्थापना

*3—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गिद्धों की संख्या में हो रही भारी कमी से इनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर उनकी वंशवृद्धि के समुचित उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी)–

उत्तर प्रदेश में गिद्धों की संख्या कम होने का आभास विभिन्न स्तरों पर किया गया है । किन्तु अभी तक इनकी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न होने के प्रमाण नहीं है ।

विभिन्न पक्षी प्रजातियों की वंशवृद्धि एवं संरक्षण के लिये उत्तर प्रदेश में 12 पक्षी विहार स्थापित किये गये हैं । इन संरक्षित क्षेत्रों में गिद्ध सहित लगभग सभी प्रजातियों के पक्षियों को संरक्षण प्राप्त है ।

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सत्र, 1998-99 के परीक्षाफल की मेरिट में परिवर्तन तथा परीक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

*4—श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सत्र, 1998-99 के घोषित परीक्षाफल की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी होने पर भयंकर गड़बड़ियां पायी गयीं हैं जिसके परिणामस्वरूप हाई स्कूल बोर्ड की घोषित मेरिट सूची में बार-बार परिवर्तन करना पड़ रहा है ? क्या यह सही है कि अनुक्रमांक 989125 के छात्र द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका में पारित निर्णय के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराये जाने पर 27 अंक के स्थान पर 39 अंक तथा 26 के स्थान पर 35 अंक प्राप्त हुए ? क्या इस कारण सम्बन्धित छात्र योग्यता सूची में 13वें स्थान पर आ गया ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई स्कूल एवं इण्टर के उक्त परीक्षाफल में इस प्रकार की कितनी अन्य त्रुटियां पायी गयी हैं तथा इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी नहीं । केवल दो बार मेरिट सूची में परिवर्तन किया गया है । स्क्रूटनी के फलस्वरूप 16वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कु० आकांक्षा गुप्ता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कु० अमृता सिंह को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ । प्रकरण सम्प्रति मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । उक्त के अतिरिक्त श्री अवनीश कुमार सिंह के आवेदन पर स्क्रूटनी के फलस्वरूप वह 13 वें स्थान पर छठवें छात्र हो गये ।

जी हां ।

स्क्रूटनी के लिये इस वर्ष कुल 1,17,385 आवेदन- पत्र प्राप्त हुये जिनके लिये 3,36,545 उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी होनी थी । उक्त उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी हेतु लगभग 4.00 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं में से निकाला गया । स्क्रूटनी का कार्य अभी प्रचलित है । अतः त्रुटियों की कुल संख्या बता पाना सम्भव नहीं है । इस प्रकार की त्रुटियों के संज्ञान में आने पर परीक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है ।

उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा -भाषी फिल्मों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा उसका आयोजन का प्राविधान

*5—श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा-भाषी फिल्मों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रदेश को फिल्म नीति में प्रतिवर्ष फिल्मोत्सव के आयोजन का प्राविधान किया गया है, जिसमें उच्च स्तर की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें उत्तर प्रदेश की भाषा-भाषी फिल्में भी सम्मिलित होंगी । महोत्सव का आयोजन एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण के रूप में उद्योग, पर्यटन, संस्कृति तथा मनोरंजन कर विभाग द्वारा किया जाएगा । महोत्सव के आयोजन पर आने वाला व्यय "फिल्म विकास निधि" से होगा । इसकी रूपरेखा का निर्धारण "फिल्म विकास परिषद्" द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति बिभाग द्वारा नियमाबली के अनुसार आवास आवंटन हेतु मानक

*6—श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटित किये जाने के मानक क्या हैं ? क्या उन्हें विशेष परिस्थितियों में शिथिल भी किया जा सकता है ? यदि हां, तो वे परिस्थितियां क्या हैं ? मानकों के शिथिलीकरण की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 1998 से अब तक लखनऊ में शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले कितने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

आवास आवंटन के मानक "सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980" में विहित है ।

जी हां ।

उपरोक्त नियमावली में विहित नियमों के अनुसार ।

जी हां । 910 अधिकारियों/.कर्मचारियों को ।

सूची† सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों के रूप में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को राजाज्ञा के अनुपालन में प्रशिक्षण में छूट प्रदान किया जाना

*7—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–1807/151/31/94–1499/81/77, दिनांक 21-10-94 द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित के रूप में जिन

---

† छापी नहीं गई ।

अप्रशिक्षित अध्यापकों की अनवरत सेवा दिनांक 30 अप्रैल, 1975 को 5 वर्ष की हो गयी है, उन्हें प्रशिक्षण से छूट प्रदान करके प्रशिक्षित ग्रेड देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या 1 मई, 1997 के उपरान्त जिन प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों की अनवरत सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसको भी प्रशिक्षण से छूट प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1052/15-11-99-1499(8).77, दिनांक 6 अगस्त, 1999 द्वारा यह प्राविधानित किया गया है कि दिनांक 31-12-99 तक जिन अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की 5 वर्ष की अनवरत सेवा हो गयी हो अथवा जिनकी सेवा निवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष रह गये हों, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में उद्योगों की वर्तमान स्थिति तथा इस संबंध में सरकार की औद्योगिक नीति

*8—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जिले उद्योग शून्य हैं ? क्या मिर्जापुर जनपद "उद्योग शून्य" जिले की श्रेणी में आता है ? क्या मिर्जापुर जिले में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उद्योग शून्य श्रेणी का वर्गीकरण अब समाप्त हो चुका है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मिर्जापुर जनपद में 4080 लघु उद्योग तथा 2 मध्यम/वृहद उद्योग स्थित हैं ।

मिर्जापुर जिले में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में ही प्रदेश का औद्योगीकरण प्रस्तावित है ।

मिर्जापुर मण्डल में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

*9—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार मिर्जापुर मंडल में उक्त मानक के अनुरूप किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

मिर्जापुर मंडल के अन्तर्गत जो जनपद आते हैं उन जनपदों के महाविद्यालय पूर्व से ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । इसके अतिरिक्त क्षेत्र के निकट वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद में भी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित है ।

*10—श्री हरदेव सिंह–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० सचिवालय में टंकक संवर्ग की भांति टेलीफोन आपरेटर को भी पदोन्नति प्रदान किये जाने की मांग

*11—श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० सचिवालय में वर्ष 1988 में टंकक संवर्ग को समाप्त कर अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलीन कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त संविलीन हुये टंकक प्रवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति पाने के पात्र हैं ? यदि हां, तो क्या अवर वर्ग सहायक के समान उच्चीकृत वेतनमान प्राप्त टेलीफोन आपरेटर को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

"उ० प्र० सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1999" के अनुसार टेलीफोन आपरेटर अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं न कि प्रवर वर्ग सहायक के पद पर ।

परमाणु बिस्फोट के उपरान्त अन्य देशों से बन्द सहायता से बौद्ध परिपथ परियोजना में आयी रुकावट को दूर करने हेतु भारत सरकार से अुनरोध किया जाना

*12—श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बौद्ध परिपथ परियोजना में बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास हेतु बाहरी देशों से मिलने वाली सहायता परमाणु विस्फोट के उपरान्त बन्द हो गयी है ? सरकार पुनः उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु क्या कोई प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

जी हां । जापान सरकार ने भारत के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

भारत सरकार से प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थलों के विकास की पूर्व में प्रेषित बौद्ध परिपथ परियोजना, द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के उत्तरांचल के अशासकीय माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के विनियमितीकरण करने के प्रकरण की जानकारी

*13—श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के उत्तरांचल के अशासकीय माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1999 तक कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को विनियमित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक एवं उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों के पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण विनियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

जनपद एटा में एक अन्य महाविद्यालय खोले जाने की मांग

*14—श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है एटा शहर के अन्दर मात्र एक महाविद्यालय है ? क्या इसके कारण छात्रों की शिक्षा में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक महाविद्यालय और खोले जाने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार सेवा विस्तार पुनर्नियुक्ति पर रोक की मांग

*15—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिवर्षता आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनर्नियोजन किये जाने संबंधी नीति में क्या कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार की परिवर्तित नीति क्या है ? क्या प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुये सेवा विस्तार/पुनर्नियोजन समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, संलग्न शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर, 1997 में प्राविधानित नीति अभी प्रभावी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति प्रदान किये जाने पर पूर्व से ही रोक लगी हुयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 177–178 पर ।)

*16—श्री राजधारी–

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्र में पत्थर तोड़ने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र से युक्त क्रेशरों का प्रयोग

*17—श्री सतीश जतारिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि झांसी जनपद के विधान सभा क्षेत्र बबीना में पत्थर की गिट्टी तोड़ने वाले लगभग 50 से अधिक क्रेशरों की धूल से लगभग 2 हजार एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है तथा उसमें फसल पैदा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

क्रेशरों से उत्पन्न धूल के कारण फसल पैदा न होने की कोई सूचना नहीं है ।

क्रेशरों की धूल से दुष्प्रभाव को रोकने के लिये वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र क्रेशरों में लगवाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*18—श्री नरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*19—श्री रामजग–

[1ले गुरुवार में ता०प्र०सं०-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति सेवा निवृत्ति की उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने की मांग

*20—श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

विचारोपरान्त राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान के विलम्ब के कारण

1—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरदायी हैं।

2—श्री राम औतार शाक्य–

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सीतापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरगांव में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेशों के अनुपालन में श्री राम लाल प्र०अ० को पुनः पदस्थापित करने की जानकारी

3—श्री रमेश राही–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र हरगांव के पूर्व मा० विद्यालय हरगांव में शासनादेश संख्या–3249-3583/98-98, दिनांक 19-5-98 के अनुसार ब्लाक स्थानान्तरण समिति द्वारा प्रस्तावित श्री राम लाल, प्र० अ० के स्थानान्तरण को माननीय उच्च न्यायालय,

लखनऊ बेंच के आदेश संख्या–3930(एस०एस०) 98 के बावजूद बिना किसी कारण के निरस्त करके बिना जिला स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के ही ब्लाक कसमण्डा के श्री राजकुमार शुक्ल को अवैधानिक रूप से पदास्थापित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेशों के अनुपालन में श्री रामलाल प्र० अ० को पुनः पूर्व मा० विद्यालय हरगांव में पदस्थापित एवं श्री राजकुमार शुक्ल को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजकीय महिला पालीटेक्निक में प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रवेश देने की व्यवस्था

4—श्री अक्षयबर लाल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राजकीय महिला पालीटेक्निक्स में छात्रावासों की क्षमता से अधिक प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश देने के कारण उन्हें छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाती है और लड़कियों को बाहर कमरा किराये पर लेकर रहना पड़ता है जिससे वे अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रावासों की क्षमता में वृद्धि करने अथवा छात्रावासों की क्षमता के अनुसार ही छात्राओं को प्रवेश दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

राजकीय महिला पालीटेक्निक में प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है, न कि छात्रावासों की क्षमता के अनुसार स्थानीय छात्राओं के अतिरिक्त छात्रावास की क्षमता से अधिक अवशेष छात्राएं संरक्षकों/अभिभावकों की सहमति से अपने स्तर से स्वयं की सुरक्षित आवासीय व्यवस्था करती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टेलीप्रिन्टर एवं टेलेक्स संवर्ग के कर्मचारियों के अवर वर्ग सहायक के पद पर संविलीनीकरण करने की मांग

5—श्री भोनूराम सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में टेलीप्रिन्टर एवं टेलेक्स संवर्ग कुछ वर्षों पूर्व तक कार्यरत था ? क्या यह भी सही है कि वर्तमान समय में उक्त संवर्ग के कर्मचारी विभिन्न अनुभागों में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किन पदों पर ? क्या सरकार उन कर्मचारियों का संविलीनीकरण अवर वर्ग सहायक के पदों पर किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां । टेलीप्रिन्टर एवं टेलेक्स आपरेटर्स के पदों पर ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर स्थित ग्राम बरई खुर्द में अवैध निर्माण को हटाये जाने का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

6—श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग को ग्राम बरई खुर्द जो कि लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर स्थित है, से अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या अवैध निर्माण को हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अवैध निर्माण को हटवाने एवं हटाये जाने में हुये विलम्ब हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण पी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, उप जिलाधिकारी सोहावल (फैजाबाद) के समक्ष विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा में बी०एड० प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति तथा वेतन के भुगतान की जांच

7—श्री विनोद मणि–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ के आदेशानुसार दिनांक 2 सितम्बर, 1997 के क्रम में जनपद गोण्डा में कितने बी०एड० प्रशिक्षित शिक्षकों को दिनांक 20 अप्रैल, 1999 को बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी ? क्या यह सच है कि नियुक्त सभी शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? लम्बित वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी वेतन का भुगतान न होने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

51 बी०एड० प्रशिक्षितों की शिक्षक पद पर नियुक्ति की गयी ।

जी हां ।

सम्बन्धित याचियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या क्रि०मि० केस सं० 155 (सी) 1998 पर मा० न्यायालय द्वारा शिक्षा निदेशक (बे०) उ० प्र० की प्रश्नगत नियुक्तियों की वैधता की जांच करने के आदेश दिये गये हैं जांच गतिमान होने के कारण मा० न्यायालय के आदेश के आलोक में भुगतान नहीं किया गया है ।

जांचोपरान्त प्रश्नगत नियुक्तियां वैध पाये जाने पर ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद के अन्तर्गत शाहाबाद पाली क्षतिग्रस्त रोड को ठीक कराने की मांग

8—श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद पाली रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क को कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग की दशा सामान्यतः ठीक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा पाली में गर्रा नदी के पुल के निकट सड़क की मरम्मत

9—श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा पाली के निकट गर्रा नदी के पुल के आसपास सड़क की मिट्टी कट जाने तथा उसकी चौड़ाई कम हो जाने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1999-2000 की वर्षा के कारण गर्रा नदी के पुल के पहुंच मार्ग पर मिट्टी का कटान हो गया था, जिसकी मरम्मत करा दी गई थी । किसी दुर्घटना की विभाग को जानकारी नहीं है ।

सड़क की मरम्मत करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में सौन्दर्यीकरण के लिए पर्यटन मद से स्वीकृत धनराशि

10—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में पर्यटन मद में सुन्दरीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? तत्सम्बन्धी स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जायेंगी ?

श्री अशोक यादव–

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में पर्यटन मद में सुन्दरीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं की सूची संलग्नक में उपलब्ध है ।

वर्ष 1998-99 में शहीद स्थल भाऊपुर के विकास हेतु रु० 10.00 लाख एवं शहीद स्थल रूरे के विकास हेतु रु० 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्ष 1999-2000 में जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के आय-व्ययक में कोई प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृतियां नहीं जारी की जा सकीं ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 179 पर .)

जनपद प्रतापगढ़ स्थित बेल्हा देवी धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

11–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ स्थित बेल्हा देवी धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

बेल्हा देवी मंदिर एक स्थानीय महत्व का मंदिर है । यहां पर स्थानीय यात्री ही दर्शन हेतु आते हैं । इस मंदिर के पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1997-1998 में रु० 9,85,320 वित्तीय वर्ष 1998-99 में रु० 10,00,000 तथा चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु० 7,49,700 अर्थात कुल रु० 27,35,020 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाईस्कूल को उच्चीकृत किये जाने की मांग

12—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी को पत्र संख्या–1181/अर्थ संख्या कार्यालय/माध्यमिक 98-99, दिनांक 9-10-98 शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या इसी क्रम में शिक्षा अनुभाग–10 को शिक्षा निदेशक के पत्र मा०/3823/25/98-99, दिनांक 27-8-99 एवं मा०/2875-77/98-99, दिनांक 29-7-98 भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शासन में प्राप्त पत्रों में पूर्व स्थापित कन्या हाई स्कूल को इण्टर स्तर तक उच्चीकृत करने का प्रस्ताव था । संचालित विद्यालय भवन में अतिरिक्त कमरे उपलब्ध न होने के कारण इण्टर स्तर तक उच्चीकरण पर विचार नहीं किया जा सका । प्राप्त प्रस्ताव भवन निर्माण से संबंधित नहीं था ।

स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अर्हता के अनुसार प्रवक्ता तथा रीडर लिखने की व्यवस्था तथा अनधिकृत रूप से इनका प्रयोग अवांछनीय होने पर कार्यवाही

13—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अपने नाम से पूर्व प्रोफेसर, रीडर आदि लिखने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या यह शासन के संज्ञान में है कि प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा उपरोक्त शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रवक्ता तथा रीडर अर्हता के अनुसार लिखने की व्यवस्था है, किन्तु प्रोफेसर लिखने की व्यवस्था नहीं है ।

अनधिकृत प्रयोग अवांछनीय है ।

शासन के संज्ञान में यदि कोई प्रकरण आता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन स्वीकृत/निर्मित सभी श्रेणी के विद्यालयों के शिलान्यास/उद्घाटन के सम्बन्ध में शिक्षा समितियों के पत्र में कथित आरोप

14—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन स्वीकृत/निर्मित सभी श्रेणी के विद्यालयों के शिलान्यास/उद्घाटन करने हेतु क्या ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक शिक्षा समिति की सहमति आवश्यक है ? क्या इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को

प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, मंगरौरा, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 5-1-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच कराई गई जिसमें लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी के लापता होने पर पीड़ित परिवार को सेवायोजित करने की कार्यवाही

15—श्री तेज भान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12-1-1999 को राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ में कार्यरत कोई कर्मचारी लापता हो गया था ? यदि हां, तो क्या लापता कर्मचारी वापस आ गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या लापता कर्मचारी के पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक मदद देने व उनकी पत्नी को पति के स्थान पर सेवायोजित किये जाने विषयक श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 31 मई, 1999 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

शासनादेश सं०–सा–3–जी–आई– 88/दस–909-87, दिनांक 20-3-87 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही करने का आदेश शासन के पत्र दिनांक 26-5-99 द्वारा निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को दिया जा चुका है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत उप सचिव के विरुद्ध जांच विषयक श्री विन्ध्यवासिनी कुमार स० वि प०का कथित पत्र

16—श्री तेज भान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत उप सचिव के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत बालिका जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में पत्र

17—श्री विनोद मणि–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या–509/स०वि०सं०/99, दिनांक 12 जुलाई, 1999 जो कि मा० मुख्य मंत्री जी एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी को सम्बोधित एवं मा० राज कुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र

संख्या–512/स०वि०प०/99, दिनांक 16 जुलाई, 1999 जो मा० मुख्य मंत्री एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को सम्बोधित था तथा जो विकास खण्ड–माधौगंज हरदोई के अन्तर्गत बालिका जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जनहित में उक्त विकास खण्ड में बालिका जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

ग्राम कुरसठ खुर्द के ग्राम समुखा, निर्धारित मानक के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः जूनियर हाई स्कूल खोला जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ के शहीद स्थल, सरे, ब्लाक आसपुर देवसरा में कन्या इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव

18—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहीद स्थल, सरे, ब्लाक आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी श्री रमा रमण का पत्र संख्या–1065/अर्थ एवं संख्या कार्यालय/माध्यमिक शिक्षा/98-99, दिनांक 5-9-98 मा० मुख्य मंत्री के आदेशों के क्रम में प्राप्त हुआ है ? क्या उपरोक्त पत्र की प्रति शिक्षा निदेशक (मा०) लखनऊ एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद को भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं .

जी हां ।

उक्त स्थान पर राजकीय कन्या हाई स्कूल पहले से स्थापित है । इण्टर की कक्षाएं संचालित किये जाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कमरे उपलब्ध न होने की दशा में प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका ।

विद्यालय भवन में इण्टर कक्षाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कमरे उपलब्ध न होने के कारण ।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम नरायनपुर में नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था

19—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम–रमईपुर–नेवादा एवं अमरगढ़ तहसील पट्टी में भूमि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम नरायनपुर तहसील लालगंज में तीस एकड़ भूमि की व्यवस्था नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर विकास खण्ड ज्ञानपुर के अन्तर्गत वानिकी कार्यों हेतु योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

20—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विकास खण्ड में वर्ष 1996-97 में वानिकी कार्य हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया है ? उक्त धनराशि से किन स्थलों पर कार्य कराया गया है ? क्या वानिकी कार्य में हुई धांधली की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

वर्ष 1996-97 में जनपद सन्त रविदास नगर में ज्ञानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत वानिकी कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 11.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई ।

उक्त धनराशि से विभिन्न कार्य निम्नलिखित स्थलों पर कराये गये :–

(1) वृक्षारोपण 96 वर्षाकाल–पाली चकलूटी तथा ज्ञानपुर के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में ।

(2) पौधशाला कार्य– जोरई, ज्ञानपुर रोड, रेलवे यार्ड, सुरियावां पौधशाला में पौधे उगाने तथा रख रखाव में ।

(3) अग्रिम मिट्टी कार्य–ज्ञानपुर, दुर्गागंज मार्ग, पाली, वीरमपुर, दशरथपुर, मीनीपुर, महसीपुर, रोहीनेवादा, मोढ़ सरपतहा मार्ग, रघुरामपुर ग्रा० सं० जोरई–सरपतहां सम्पर्क मार्ग में वर्ष । वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मिट्टी कार्य ।

उक्त कार्यों में किसी प्रकार की धांधली की शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम शाहपुर षंवार की खड़ंजा रोड का पुनर्निर्माण करवाने की मांग

21—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम शाहपुर षंवार जिसकी आबादी 3134 है, में आवागमन की सुविधा हेतु बीस वर्ष पूर्व खड़न्जा मार्ग का निर्माण कराया गया था ? क्या उक्त मार्ग टूट कर जर्जर एवं ध्वस्त होने के कारण जनता को आवागमन सम्बन्धी घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जर्जर एवं ध्वस्त रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

ज़ी हां ।

जी हां ।

इस प्रकरण में जांच का कोई बिन्दु निहित नहीं है । शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना में प्रश्नगत कार्य को यथासमय चयन होने पर कराया जायेगा ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर पालिका परिषद् में संचालित राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नये भवन के निर्माण में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

22—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर पालिका परिषद् में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जर्जर भवन में संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराते हुए कब तक उक्त विद्यालय हेतु नये भवन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय किराये के भवन में संचालित है ।

उक्त विद्यालय का भवन किराये का है तथा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । विद्यालय हेतु किराये के दूसरे भवन की तलाश कराकर आवश्यक व्यवस्था तत्काल करने का निदेश जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को दे दिया गया है । विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि व्यवस्था कराने तथा भवन निर्माण की जिला योजना में परिव्यय निर्धारित कराने तथा आवश्यक होने पर जिला प्रशासन से भी सहयोग प्राप्त करने का निदेश भी शिक्षा निदेशक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को दिनांक 16-12-99 को दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के माधोगंज से सहिजना-गौतरा, सेउडही-मढ़िया-जलिहापुर होता हुआ मजेहटा तक के मार्ग निर्माण का मामला

23—श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं०–508/स०वि०स०/99, दिनांक 12 जुलाई, 1999 एवं श्री राज कुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र संख्या–511/स०वि०प०/99, दिनांक 16 जुलाई, 1999 जो कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित है तथा जो जनपद हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड–माधौगंज में विगत 20 वर्षों से अधूरे पड़े मार्ग को पक्का/डामर कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक उक्त मार्ग को पक्का/डामर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मा० विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र का पत्र दिनांक 12 जुलाई, 99 प्राप्त हुआ है तथा मा० सदस्य विधान परिषद् श्री राजकुमार अग्रवाल का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद हरदोई के माधोगंज से सहिजना–गौतरा-सेउडही-मढ़िया-जलिहापुर होता हुआ मजेहटा तक विषयगत मार्ग निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा परीक्षण कराया गया । इस मार्ग की कुल लम्बाई 13.900 किमी० में से सात किमी० विभिन्न योजनाओं में निम्नवत् स्वीकृत है :–

(अ) 3 किमी० में मण्डी परिषद् द्वारा पत्थर की कुटाई है ।

(ब) बाद में 2.00 किमी० पुल व पहुंच मार्ग ।

(स) तत्पश्चात् 2 किमी० जिला योजना में ।

अवशेष मार्ग के निर्माण में ग्राम जलिहापुर, आबादी 1131 को पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु 6.9 किमी० लम्बाई के मार्ग निर्माण की आवश्यकता है, जिसका शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1991 की

जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को सन् 2005 तक लेपित मार्ग से जोड़ने की योजना में चयन होने पर निर्माण कराया जायेगा ।

सचिवालय प्रशासन द्वारा मुख्य सचिव को उपलब्ध कराये गये फोन्स पर प्राप्त बिलों का विवरण

24—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय फोन से लगभग 28 लाख रुपये की टेलीफोन काल्स की गयी हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि किसी सरकारी सेवक को इस हेतु टेलीफोन्स काल्स के लिए कितनी धनराशि की सरकारी सुविधा प्राप्त है ? क्या 28 लाख रुपये की समस्त कालें सरकारी थीं ?

श्री राम प्रकाश–

सचिवालय प्रशासन द्वारा मुख्य सचिव को उपलब्ध कराये गये समस्त टेलीफोनों पर दिनांक 01-03-99 से 11-10-99 की अवधि में कुल रु० 5,79,732.00 के बिल प्राप्त हुये हैं । विवरण संलग्न है ।

किसी भी सरकारी अधिकारी को आवास पर कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन 700 काल्स द्विमासिक अनुमन्य है, परन्तु मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण तथा सचिवगण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र देने पर कि उनके द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक की गई काल्स शासकीय हित में की गई है, अतिरिक्त काल्स का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा ।

उक्त अधिकारियों के कार्यालय टेलीफोन की सीमा निर्धारित करने के लिये कोई आदेश नहीं है ।

28 लाख की फोन काल्स के बिल ही प्राप्त नहीं हुये हैं, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरण देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 180 पर ।)

जनपद बस्ती में रामनगर क्षेत्र के एक हजार आबादी से ऊपर के गांवों को नाबार्ड से जोड़ने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

25—श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर विधान सभा क्षेत्र, जनपद बस्ती के एक हजार आबादी से ऊपर के ग्राम क्रमशः वैसार, तरौठी, सिसवा बुजुर्ग-दसिया विकास खण्ड रामनगर तथा गंधरिया फैज से हनुमानगंज व तरेता से डुमरी एवं बढ़या राजा विकास खण्ड साऊघाट को नाबार्ड से जोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का सितम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह में भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त गांवों को नाबार्ड योजना से जोड़ने की स्वीकृति मार्च, 2000 के पहले जारी करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

विभाग द्वारा ग्रामों का सर्वेक्षण कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम सिसवा बुजुर्ग उर्फ सिसवा बरुआर तथा ग्राम दसिया पूर्व में ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं । अन्य मार्ग नाबार्ड योजना के मानकों के अनुरूप नहीं है । अतः उन्हें इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करना सम्भव नहीं है । प्रश्न में वर्णित ग्राम बढ़या राजा जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत है ।

26—श्री राम ललित चौधरी–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के दो मुख्य मार्ग क्रमशः मनौढ़ी से वियंवा चौराहा तथा मनौढ़ी से रुधौली मार्ग का चौड़ीकरण कराने की मांग

27—श्री राम ललित चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के दो मुख्य मार्ग क्रमशः मनौढ़ी से वियंवा चौराहा तथा मनौढ़ी से रुधौली मार्ग का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिसम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

हल्द्वानी—भरतपुर मार्ग को नेशनल हाई-वे घोषित करने का प्रस्ताव

28—श्री भोला शंकर मौर्य—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—168 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सरकार द्वारा हल्द्वानी भरतपुर मार्ग को नेशनल हाइवे घोषित करने हेतु दिनांक 16-6-97 के प्रति उत्तर में भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है ? क्या भारत सरकार ने उक्त मार्ग को नेशनल हाइवे घोषित किया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को शासन के पत्र सं० 418/23-1-99-232सी/81, दिनांक 22 मार्च, 1999 द्वारा भेजा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बदायूं में बिलसी से दिननगर शेखपुर पिडौत से सिरसौल, नगला डल्लू से फतेहनगला तथा राजपुर से करयामई तक के मार्ग की शिकायत पर जांच

29—श्री भोला शंकर मौर्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०—ख—2 सं०—246850 दिनांक 28-2-99 जो जिलाधिकारी बदायूं को क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा घटिया सामग्री से निर्मित सम्पर्क मार्ग रामपुर से बने बिलसी से दिननगर शेखपुर, पिडौत से सिरसौल, नगला डल्लू से फतेहनगला तथा राजपुर से करयामई की टी०ए०सी० जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

संबंधित सम्पर्क मार्गों की जांच अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं से करायी गयी । जांच में कार्य संतोषजनक पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बदायूं, विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम बेहटा गोसाई में कन्या प्राइमरी स्कूल के भवन को खाली कराने की कार्यवाही

30—श्री भोला शंकर मौर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–132 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या प्रा० स्कूल बेहटा गुसाई को अवैधानिक रूप से आवंटित स्कूल भवन को खाली कराने हेतु जिला पंचायत बदायूं को कब लिखा गया है ? क्या जिला पंचायत बदायूं ने अवैधानिक रूप से आवंटित स्कूल भवन को खाली करा दिया है ? यदि नहीं, तो सरकार ने भवन खाली कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के पत्र संख्या विविध/1113/99-2000 दि०–26-8-99 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को लिखा गया है ।

जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अभी तक भवन खाली नहीं कराया गया है ।

कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद बदायूं में सतेती भदरी गोवर्धनपुर मार्ग सोत नदी पर प्रस्तावित पुल के पूर्ण कराने की मांग

31—श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० लखनऊ ने जनपद बदायूं में सतेती भदरी गोवर्धनपुर मार्ग सोत नदी पर बड़ा सेतु बनाने हेतु 236,35 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? उसे पूरा कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रस्तावित सेतु की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । निर्माण कार्य माह फरवरी, 2000 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

सेतु को पूर्ण कराने का लक्ष्य मार्च, 2001 निर्धारित है ।

32—श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद हरदोई में एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या तथा भरे जाने का आश्वासन

33—श्री संजय गर्ग

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो बिना अध्यापकों के बन्द पड़े हैं तथा कितने ऐसे विद्यालय हैं जिसमें मात्र एक ही अध्यापक है ? अध्यापकों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्तमान में कोई विद्यालय बन्द नहीं है ।

एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या 258 है ।

यथाशीघ्र कर दी जायेगी ।

उ० प्र० में तहसील स्तरीय ग्रामीण पत्रकारों को निःशुल्क बस यात्रा /चिकित्सा सुविधा दिये जाने की मांग

34—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के ग्रामीण पत्रकारों को मान्यता प्रदान करके उन्हें निःशुल्क बस यात्रा तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन्हें उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

तहसील स्तरीय ग्रामीण पत्रकारों को निःशुल्क बस यात्रा तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है । सम्यक् विचारोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

सचिवालय प्रशासन विभाग में प्रवर वर्ग सहायक से उपसचिव तक प्रोन्नति के उपरान्त उसी विभाग में कथित रूप से कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी

35—श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो प्रवर वर्ग सहायक से लेकर उप सचिव तक प्रोन्नति मिलने के उपरान्त भी विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से उसी विभाग में कार्यरत हैं ? शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उन्हें इतनी अवधि तक उक्त विभाग में रखे जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कार्यालयों में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कागजात, सर्विस बुक आदि उपलब्ध कराने के निर्देश

36—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई के अन्तर्गत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हो चुके हैं ? क्या शिक्षा विभाग की राजाज्ञा के अनुसार सभी ब्लाक पर

क्लर्कों को बैठना चाहिये ? क्या इसके विपरीत सभी बाबू आवश्यक कागजात जैसे सर्विस बुक आदि लेकर जिले पर ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी जनपद–हरदोई के ब्लाकों पर बैठकर कार्य करने लगेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

ब्लाक स्तर पर लिपिक के पद सृजित नहीं है ।

जी हां ।

लिपिक अपने कार्यालय में पूर्ववत कार्यरत हैं आवश्यक कागजात, सर्विसबुक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को हस्तगत कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

विकास खंड कार्यालयों में सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं ।

जनपद उन्नाव में लाला शिव दयाल कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौरावां में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृतकाश्रित पत्नी को देय लाभ की मांग

37—श्री राम कृपाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे है कि मौरावां जनपद–उन्नाव के लाला शिव दयाल कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री वरखण्डी की मृत्यु सेवाकाल में होने पर मृतक आश्रित उसकी पत्नी श्रीमती प्रेमा देवी का सेवायोजन किये जाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र दिनांक 23-4-99 बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन्हें सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक सेवा में समायोजित कर लिया जायेगा ? क्या यह भी सही है कि मृतक के समस्त देयों का भुगतान उनके आश्रितों को अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अभाव में सेवायोजित नहीं किया जा सकता ।

उपरोक्तानुसार ।

जी० पी० एफ० के अन्तिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । परिवारिक पेंशन से संबंधित अभिलेख प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

वी० आई० पी० अतिथियों की जनपदों के मुख्यालयों पर पहुंचने की सूचना मान्यता प्राप्त प्रेस जिलाध्यक्षों को उपलब्ध कराने की मांग

38—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंचलिक पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्षों को जनपदों के मुख्यालयों पर पहुंचने वाले वी० आई० पी० अतिथियों की सूचना जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस हेतु कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । जनपदों के मुख्यालयों पर पहुंचने वाले वी० आई० पी० अतिथियों की सूचना प्रेस मान्यता प्राप्त आंचलिक पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्षों को उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार उर्दू अध्यापकों की प्रोन्नति

39—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति किये जाने हेतु सरकार की नीति क्या है ? क्या इनकी वरिष्ठता सूची सामान्य अध्यापकों के साथ बनाई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में सामान्य अध्यापकों की भांति उर्दू अध्यापकों के प्रोन्नति का प्राविधान है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में सीनियर बेसिक स्कूल बेहटा गुंसाई के अपूर्ण निर्माण का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

40—श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–क–2सं०–066864, दिनांक 27 फरवरी, 1999 बावत सीनियर बेसिक स्कूल बेहटा गुंसाई के निर्माण के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

गाटा संख्या–1180 पर सीनियर बेसिक स्कूल बेहटा गुंसाई, विकास क्षेत्र अम्बियापुर, जनपद बदायूं का भवन निर्माण कार्य लिन्टर स्तर तक करा दिया गया है । परन्तु इसी मध्य मा० उच्च न्यायालय में वाद योजित हो जाने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के विकास खण्ड बड़ा गांव के बरहीनेवादा बाजार में बाईपास के निर्माण के लिए बाबतपुर रजबहा की पट्टी को ग्राम फत्तेपुर से बरही कला तक पक्का करने की मांग

41—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के विकास खण्ड बड़ागांव के बरहीनेवादा बाजार में बाईपास के निर्माण के लिये बाबतपुर रजवाहा की पटरी को ग्राम फत्तेपुर से बरही कला तक पक्की करने के लिये सिंचाई विभाग से अनुमति ली गई है ? यदि हां, तो क्या नहर पर पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है ? फत्तेपुर से बरही कला तक उसे पिच नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अधूरी सड़क को पिच करने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं, नहर पटरी पर पत्थर की सोलिंग का कार्य किया गया है ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42—श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

43—श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

44—श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

[दिनांक 3-1-2000 को अता० प्र० सं०–180 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के हरदोई-पिहानी मार्ग से भगौतीपुरवा वाया ग्राम जियो तक की सड़क के निर्माण का मामला

45–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के हरदोई-पिहानी मार्ग के कि० मी०–7 से भगौती पुरवा वाया ग्राम जियो तक जिसकी कुल लम्बाई 4 कि० मी० है, को वित्तीय वर्ष 1996-97 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत लेपन स्तर तक निर्माण हेतु रुपया 24.80 लाख स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या 3 कि० मी० तक गिट्टी बिछाकर शेष गिट्टी सड़क के किनारे-किनारे रखकर निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को लेपन स्तर तक निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

अभी तक स्वीकृत लागत के विरुद्ध 10.98 लाख रु० की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिससे अंब तक कुल 4 कि०मी० में मिट्टी का कार्य तथा एक कि०मी० लम्बाई में टाप कोट का कार्य किया जा सका है ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरस्वती कन्या इण्टर कालेज नरही, लखनऊ में दफ्तरी के पद पर कार्यरत ब्रह्मानन्द के आजीवन कारावास की सजा बहाल करने के उपरान्त पुनः सेवा में लेने का मामला

46—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरस्वती कन्या इन्टर कालेज, नरही, लखनऊ के दफ्तरी को जो कत्ल के मुकदमें में आजीवन कारावास की सजा पा जाने पर उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं थीं, को पुनः सेवा में रखने और नियमित वेतन दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि उक्त दफ्तरी की रिक्ति व्यवस्था में नियुक्त चपरासी की सेवा समाप्त करने के उपरान्त दि० 24-6-1996 को मा० उच्च न्यायालय से उनकी बहाली के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डा०नैपाल सिंह–

जी हां ।

सत्र न्यायालय द्वारा श्री ब्रह्मानन्द, दफ्तरी,सरस्वती कन्या इण्टर कालेज, नरही, लखनऊ को कत्ल के मुकदमें में आजन्म कारावास की सजा हो जाने पर उसकी सेवायें दिनांक 1-3-89 से समाप्त कर दी

गयी थी । श्री ब्रह्मानन्द ने अपनी सजा के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में अपील पोषित की । मा० उच्च न्यायालय ने श्री ब्रह्मानन्द को जमानत पर छोड़ दिया किन्तु सत्र न्यायालय के आदेश को स्थगित/निरस्त नहीं किया । तत्कालीन जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ (सम्प्रति सेवा निवृत्त)ने इस आधार पर विद्यालय के प्रबन्धक को यह निर्देश दे दिये कि प्रकरण मा०उच्च न्यायालय में विचार हेतु स्वीकार किये जाने पर तत्काल प्रभावहीन हो गया है और इस आदेश के आधार पर प्रधानाचार्य ने अपने सेवा समाप्ति के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया ।

यह अनियमितता प्रकाश में आने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, द्वितीय लखनऊ ने अपने पत्रांक मा०/2793/99–2000 दिनांक 31-12-99 द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक को तत्काल श्री ब्रह्मानन्द की सेवायें समाप्त करने के निर्देश दे दिये है ।

जी हां ।

वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में कथित रूप से नवजीवन माध्यमिक विद्यालय, विडरा के प्रधानाचार्य द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का फर्जी आहरण एवं गबन

47—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नवजीवन माध्यमिक विद्यालय, विडरा सिद्धार्थनगर के प्रधानाचार्य (श्री हरिनाथ मिश्र) द्वारा विगत बीस वर्षों से अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का फर्जी आहरण एवं गबन करने के आरोप में बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जांचोपरान्त उन्हें दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

नवजीवन माध्यमिक विद्यालय, सिद्धार्थनगर नामक कोई माध्यमिक विद्यालय उक्त जनपद में नहीं है ।

शेष के लिए प्रश्न नहीं उठता है ।

सरस्वती कन्या इण्टर कालेज, नरही, लखनऊ की परिचारिका श्रीमती विद्यावती देवी की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान आदि का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

48—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरस्वती कन्या इण्टर कालेज, नरही, लखनऊ में आरक्षित वर्ग की महिला श्रीमती विद्यावती देवी की परिचारिका के पद पर दिनांक 18-11-95 को नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो उन्होंने कितने दिन तक सेवा की और किन परिस्थितियों में उक्त महिला को नियुक्त किया गया व सेवा से पृथक किया गया ? क्या सेवावधि का भुगतान उसे किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सेवा से हटने के उपरान्त उक्त महिला द्वारा दायर रिट याचिका सं०–6501(55), 1996 में दिनांक 16-10-96 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कोई निर्णयादेश जारी किये गये थे ? क्या विद्यालय प्रबन्ध कमेटी द्वारा उक्त निर्णयादेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

दिनांक 18-11-95 से 2-1-96 तक श्रीमती विद्यावती देवी की नियुक्ति प्रधानाचार्या द्वारा किसी पद के बिना रिक्त हुए अनियमित रूप से नियुक्ति की गई जिसे मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक (द्वितीय) लखनऊ के पत्र दिनांक 31-5-95 द्वारा अमान्य कर दिया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां । मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र तथा प्रति शपथ-पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया गया है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । उपरोक्त के अनुसार प्रतिशपथ-पत्र दाखिल है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

49—श्री अम्बरीष कुमार–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

50-51–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–185 एवं प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (जू०हा० स्कूलों) में कताई, बुनाई तथा सम्बन्धित कला, काष्ठ शिल्प आदि के प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

52–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री संजय गर्ग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (जू०हा० स्कूलों) में कताई, बुनाई तथा सम्बन्धित कला, काष्ठ शिल्प, पुस्तक शिल्प, धातु शिल्प, चर्म शिल्प तथा सम्बन्धित कला के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरह करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश शासन (सचिवालय) में (नवम्बर, 1998 से अगस्त, 1999 के मध्य) अवर/प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों की संख्या तथा बाहरी व्यक्तियों को पदास्थापित करने का कारण व हटाने की मांग

53–श्री अजय कुमार पोइया, श्री गोपाल कृष्ण, श्री तेजभान सिंह तथा श्री रिफाकत हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन (सचिवालय) में नवम्बर, 1998 से अगस्त, 1999 के मध्य अवर/प्रवर वर्ग सहायक के कितने पद रिक्त हुए हैं ? उनका वर्षवार विवरण क्या है ? उक्त रिक्त पदों पर कब-कब नियुक्तियां की गयीं हैं और उनका माध्यम क्या है ? क्या यह सही है कि अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के समकक्ष पदों पर सचिवालय संवर्ग के बाहर के व्यक्ति कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाहरी व्यक्तियों को हटाकर उनको उनके पैतृक विभाग में भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के श्री ओंकारेश्वर संस्कृत महाविद्यालय उसनीधा के अध्यापकों को वेतन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

54–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–149 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत विद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० से प्राप्त आख्या का परीक्षण कर निस्तारण हो जाने के उपरान्त भी

विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के वेतन का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? शासन द्वारा अनुदान धनराशि कब तक उपलब्ध कराकर वेतन भुगतान करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

श्री ओंकारेश्वर संस्कृत महाविद्यालय उसनीधा मैनपुरी को राज्यानुदान स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राजकीय पालीटेक्निक विद्यालय (पुरुष) स्थापित न किये जाने का औचित्य

55–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितने पालीटेक्निक कालेजों की स्थापना प्रस्तावित है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पालीटेक्निक विद्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1999-2000 में कोई राजकीय पालीटेक्निक (पुरुष) स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है । महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु एस०टी०एस० (जो बन्द हो चुके हैं) के पुराने भवनों का उपयोग कर दौराला में जिला सेक्टर में राजकीय महिला पालीटेक्निक की स्थापना प्रस्तावित है, तथा बलिया में पूर्वांचल निधि से राजकीय महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जा रही है ।

प्रतापगढ़ जनपद में एक राजकीय पालीटेक्निक प्रतापगढ़ पूर्व से स्वीकृत व कार्यरत है । प्रदेश की वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी संस्थाएं निजी क्षेत्र में खोलने पर बल दिया जा रहा है । इस स्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 1999-2000 में नया राजकीय पालीटेक्निक स्थापित किया जाना विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी तथा कुंमायुनी फिल्मों के विकास के लिए राज्य सरकार की फिल्म नीति

56–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी तथा कुंमायुनी फिल्मों के विकास के लिए अब तक प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

(1) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विस्तृत फिल्म नीति 1999 घोषित की जा चुकी है । जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज, कुमांयुनी, गढ़वाली तथा बुन्देली भाषाओं को क्षेत्रीय फिल्मों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है ।

(2) फिल्म नीति में क्षेत्रीय फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु निम्न प्राविधान किये गये हैं :–

(अ) अनुदान :–निर्माण लागत का 25 प्रतिशत, अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु० 10 लाख होगी । यह अनुदान फिल्म निर्माण में होने वाले वास्तविक खर्चों के लिए फिल्म प्रोसेसिंग लैब को ही दिया जायेगा । प्रारम्भिक तीन वर्षों के दौरान यह अनुदान उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित लैबों को भी दिया जा सकता है, किन्तु तीन वर्षों के बाद यह अनुदान केवल उन्हीं क्षेत्रीय फिल्मों को दिया जाएगा जिनकी प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश में स्थित लैब्स द्वारा की गई है ।

(ब) दो सप्ताह के लिए क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदेश में स्थित सभी छविगृहों में अनिवार्य प्रदर्शन ।

(स) क्षेत्रीय बोली में उत्तर प्रदेश के अन्दर बनाई गई क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर में एक वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

(द) फिल्मोत्सवों के आयोजन में क्षेत्रीय फिल्मों को भी दर्शाया जायेगा ।

(य) पुरस्कार :–राज्य में बनी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार की स्थापना की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली में नगर पालिका इण्टर कालेज मुगलसराय चन्दौली के प्रबन्धतंत्र के स्थान पर प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति

57–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, चन्दौली ने नगर पालिका इण्टर कालेज मुगलसराय चन्दौली के प्रबन्धतन्त्र के स्थान पर प्रबन्ध संचालक नियुक्त करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

कार्यावाहक प्रधानाचार्य को मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के कारण ।

वर्ष 1998-99 में नकल अध्यादेश के अन्तर्गत जेल भेजे गये छात्र/छात्राओं तथा लम्बित मुकदमों की जानकारी की मांग

58–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में कितने छात्र-छात्राओं को नकल अध्यादेश के अन्तर्गत जेल भेजा गया तथा कितनों पर मुकदमें चले हैं ? इन मुकदमों में से कितनों का अब तक निस्तारण हो गया है और कितने न्यायालयों में लम्बित हैं ? जिन छात्र-छात्राओं पर मुकदमें लम्बित हैं उनका शिक्षण कार्य अनवरत चलता रहे इस हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

किसी भी छात्र/छात्रा को जेल नहीं भेजा गया है । छात्र/छात्राओं के विरुद्ध मुकदमें चलाये जाने के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वी०आई०पी० अतिथियों के जनपदों के मुख्यालयों पर पहुंचने की सूचना मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था

59–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आंचलिक पत्रकार एसोसियेशन के जिलाध्यक्षों को जनपदों के मुख्यालयों पर पहुंचने वाले वी०आई०पी० अतिथियों की सूचना नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपदों के मुख्यालयों पर पहुंचने वाले वी०आई०पी० अतिथियों की सूचना प्रेस मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर की प्रधानाचार्या के सेवानिवृत्त के उपरान्त अवशेष वेतन देयों के भुगतान का मामला

60–श्री रामजग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर की प्रधानाचार्या दिनांक 30 जून, 1999 को सेवानिवृत्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनके अवशेष वेतन तथा अन्य देयों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या के उपरोक्त देयों का भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

आपत्ति निवारण के पश्चात ।

अविलम्ब ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा उ० मा० विद्यालय, नरा जड़ौदा में मृतक आश्रितों को सेवा में लेने की मांग

61–श्री राजपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्वकर्मा उ० हाई स्कूल, नरा जड़ौदा, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1988 से वर्ष 1998 (गत 10 वर्षों) में कितने और कौन-कौन प्रधानाध्यापक/अध्यापकों की सेवाकाल में ही मृत्यु हुई है ? क्या मृतक आश्रितों को सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कार्य में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक आश्रितों को अविलम्ब सेवायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

तीन । श्री सौराज सिंह, श्री राजवीर सिंह तथा श्री महाबीर सिंह ।

जी नहीं ।

विश्वकर्मा उ० मा० विद्यालय, नरा जड़ौदा (मुजफ्फरनगर) वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय है । प्रश्नगत अवधि में मृतकों के आश्रितों को सेवायोजित नहीं किया गया है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा संशोधित अधिनियम, 1921 के अध्याय तीन के विनियम 101 से 107 तक के प्राविधान वित्त विहीन विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के वी०एन० इण्टर कालेज, मल्लावां के प्रधानाचार्य श्री अनन्तराम त्रिपाठी की सेवाकाल में मृत्यु होने के कारण पेंशन आदि का भुगतान

62–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के वी०एन० इण्टर कालेज मल्लावां के प्रधानाचार्य श्री अनन्तराम त्रिपाठी की दो वर्ष पूर्व सेवाकाल ही में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या अभी तक स्व० त्रिपाठी की पेंशन के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्व० त्रिपाठी की पेंशन व पी०एफ० का भुगतान कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

श्री अनन्त राम त्रिपाठी प्रधानाचार्य बी०एन० इण्टर कालेज, भगवन्तनगर, मल्लावां हरदोई की मृत्यु दिनांक 9-1-97 को ही गयी है ।

पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ।

पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठ़ता ।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढयी पट्टी में पढ़ाई हेतु साहित्य कक्षाओं की मान्यता

63–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढयी पट्टी, जनपद–प्रतापगढ़ में पढ़ाई हेतु प्रवेश कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या साहित्य एवं विज्ञान दोनों वर्गों की शिक्षा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । केवल कला संकाय की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है ।

प्रथमतः साहित्य की कक्षाओं का ही औचित्य पाया गया था ।

जनपद औरैया में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कार्यालय के लिए भवन का निर्माण

64–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कार्यालय के लिए औरैया नगर में कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रमुख अभियन्ता के स्टाफ आफीसर ने अपने पत्र/आदेश संख्या–5299ईए/1ईए/92, दिनांक 1 जुलाई, 1999 के माध्यम से उक्त कार्यालय में स्थापित न होने के लिए इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि शासन द्वारा मुख्यालय परिवर्तन किया जा रहा है तथा यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त आदेश निर्गत करने के लिए प्रमुख अभियन्ता को कोई निदेश जारी किये गये थे ? यदि नहीं, तो शासन में विचाराधीन प्रकरण पर शासन के निर्णय के पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा आदेश किस स्थिति में जारी किये गये ? इसके लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद औरैया के अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग का नवनिर्मित भवन में स्थापित कार्यालय

65–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कार्यालय के लिए निर्माण कराये गये औरैया नगर में कार्यालय भवन में कार्यालय स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1999 संलग्नक सहित मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? अधिशासी अभियन्ता औरैया का नवनिर्मित भवन में कार्यालय कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय नवनिर्मित भवन औरैया में ही स्थापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

66–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित बैठकों में तहसील स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आमंत्रण

67–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित बैठकों में तहसील स्तरीय, ब्लाक स्तरीय आंचलिक पत्रकारों को नही बुलाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बैठकों में आंचलिक पत्रकारों को बुलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । ऐसी बैठकों में प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही बुलाया जाता है ।

तहसील स्तर पर प्रेस मान्यता के इच्छुक पत्रकारों के आवेदन-पत्र प्राप्त कर उ० प्र० प्रेस मान्यता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं तथा प्रेस मान्यता प्राप्त होने पर इन पत्रकारों को बैठकों में बुलाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कानपुर में वस्त्र निगम के कर्मचारियों को निगम प्रबन्धन द्वारा वेतन का दायित्व

68–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वस्त्र निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतन न मिल पाने के परिणाम स्वरूप कानपुर में शारदा नहर स्थित वस्त्र भवन की छत से छलांग लगाकर अगस्त, 1999 में हरीश कुमार निगम, लिपिक ने आत्महत्या कर ली थी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार नियमित वेतन वितरण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने का दायित्व निगम प्रबन्धन का है । वह निगम बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित है । इसके भविष्य के संबंध में शासन द्वारा भी विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या एवं उस पर कार्यवाही

69–श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के राजकीय इण्टर कालेजों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं शिक्षकों के कुल कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के राजकीय इण्टर कालेजों तथा राजकीय उच्चतर माध्यंमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं एवं शिक्षकों के क्रमशः 350, 157, 2228 तथा 321 पद वर्तमान में रिक्त हैं ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायकों आदि के पदनाम परिवर्तन का प्रकरण

70–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायकों आदि के पदनाम परिवर्तन का कोई मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक शासनादेश जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अन्य हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के राज्य सचिवालयों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदनामों की सूचना प्राप्त की जा रही है । सूचना प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत मामले में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में चिलकहर क्षेत्र के कतिपय मार्गों के निर्माण कार्यों का विवरण

71–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बलिया में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में बहेरी-गोपालपुर-कड़सर मार्ग, कि०मी० 1.2, बहेरी-बाछापार मार्ग कि०मी० 1-2-3-4, तथा एकइल-कड़सर मार्ग कि०मी० 4 पर विगत वित्तीय वर्ष 1998-99 में गिट्टी कुटाई का कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जांच टी०ए०सी० से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और उक्त मार्गों को मानक के अनुरूप निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

बहेरी–गोपालपुर मार्ग के कि०मी० 1.2 में तथा बहेरी–बाछापार मार्ग के कि० मी० 1, 2, 3, 4 में वर्ष 1998-99 में इन्टर एवं टाप कोट गिट्टी की कुटाई का कार्य लो० नि० विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 1998-99 में इकईल–कड़सर मार्ग के किमी० 4 में लो० नि० वि० द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

चूंकि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप है इसलिए टी०ए०सी० द्वारा जांच कराने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में आयोजित विभिन्न समितियों की बैठकों की कार्यवाही प्रतिवेदित करने वाले वैयक्तिक सहायकों की कथित ड्यूटी

72–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में आयोजित विभिन्न समितियों की बैठकों की कार्यवाही प्रतिवेदित करने के लिये वैयक्तिक सहायकों की ड्यूटी लगाई जाती है ? यदि हां, तो उक्त वैयक्तिक सहायकों को कार्यवाही प्रतिवेदित करने हेतु किस दर से प्रतिवेदन-भत्ता दिया जाता है ? क्या सरकार वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रतिवेदन भत्ते को बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में तहसील, ब्लाक, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि की बैठकों में प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बुलाने की मांग

73–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंचलिक पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, को तहसील ब्लाक, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि की बैठकों में बुलाया जाना सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रदेश के जनपदों में तहसील, ब्लाक, नगरपालिका, नगर पंचायत आदि की बैठकों में प्रेस कवरेज की दृष्टि से केवल प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही बुलाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मुख्यालय पर आंचलिक पत्रकार एसोसियेशन हेतु भवन आवंटित करने की मांग

74–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आंचलिक पत्रकार एसोसिएशन उ० प्र० रजिस्टर्ड संस्था को लखनऊ मुख्यालय पर 80 प्रतिशत आंचलिक पत्रकारों से जनसम्पर्क करने हेतु कार्यालय आवंटित करने सम्बन्धी प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त को कार्यालय आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

गैर सरकारी संगठनों को कार्यालय आवंटित किये जाने का नियमों में प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत संस्था को शासकीय भवन आवंटित किये जाने का अवसर नहीं बनता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित को शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण से मुक्ति

75–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०–1807/151/31/94–1499181/77, दिनांक 21-4-94 द्वारा उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की अनवरत सेवा दिनांक 31-4-1997 को 5 वर्ष पूर्ण हो गयी है तथा जिनकी सेवानिवृत्ति में मात्र दो वर्ष ही शेष रह गये हैं, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करके प्रशिक्षित ग्रेड दिया गया है ? यदि हां, तो क्या 1 मई, 1997 से आज तक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की अनवरत सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें भी उक्त शासनादेश के आधार पर प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करके प्रशिक्षित ग्रेड दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1052/15-11-99–1499(8)/77 दिनांक 6 अगस्त, 1999 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त जिन अप्रशिक्षित/अध्यापक/अध्यापिकाओं जिनकी अनवरत् सेवा 31-12-99 को 5 वर्ष हो गई है अथवा जिनकी सेवानिवृत्ति में मात्र दो वर्ष शेष रह गये है, को भी प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कस्बा गोसाईगंज की मुख्य रोड पर दोनों तरफ किये गये निर्माणों के कारण जल निकासी की समस्या का निदान की जानकारी

76–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद स्थित कस्बा गोसाईगंज से मोहनलाल गंज को जोड़ने वाली रोड के एक किनारे खाद विक्रेता, अवध किशोर मिश्र द्वारा अवैध निर्माण कराया गया तथा दूसरी तरफ बस स्टाप से लेकर मोड़ तक राम पाल त्रिवेदी इण्टर कालेज की समिति द्वारा निर्माण करा लिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों निर्माण कार्यों से सड़क के किनारे की नाली समाप्त हो गयी है, जिससे बरसात में जल भराव हो जाता है तथा आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध कब्जे को हटवाकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । श्री मिश्र द्वारा किया गया निर्माण लोक निर्माण विभाग की भूमि पर नहीं है ।

जी हां ।

इस स्थान पर कोई नाली नहीं बनी है । पूर्व में पानी रामपाल त्रिवेदी इण्टर कालेज के मैदान में चला जाता था परन्तु अब कालेज की समिति द्वारा निर्माण करा लेने के कारण पानी उधर नहीं जा पाता है, जिससे बरसात में जल भराव हो जाता है ।

बरसात में जल भराव होने पर कच्ची नाली बनाकर जल निकासी करायी जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण इण्टर कालेज, आश्रम बरहज, जिला देवरिया से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री राम प्यारे तिवारी के वेतन निर्धारण का मामला

77–श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–151 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया के क्रम संख्या–6 पर अंकित सहायक अध्यापक श्री राम प्यारे तिवारी का अक्टूबर, 1989 से मई, 1993 तक के अवधि के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निर्देश दिये जाने के बावजूद वेतन भुगतान न करने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर श्री तिवारी के उक्त वेतन का भुगतान कराकर दोषीजनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी०सी०एस० परीक्षा, 1985 में अंकों के पुर्नपरीक्षण हेतु नियुक्त सहायक मंजू मेहरोत्रा पर लगाये गये कथित आरोप

78–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी०सी०एस० परीक्षा, 1985 में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सूची के पुर्नपरीक्षण के कार्य में आयोग के गोपनीय अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी मंजू मेहरोत्रा, ऊषा अरोड़ा, संध्या अग्रवाल, निशा चौरसिया आदि को लगाया गया था ? क्या पुर्नपरीक्षण कार्य के दौरान मंजू मेहरोत्रा अवर वर्ग सहायक द्वारा प्राप्तांकों की सूची में धोखाधड़ी का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था ? यदि हां, तो गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध शासन-प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

कानपुर देहात में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घाटमपुर की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्य को शासनादेश के अनुसार सत्र का लाभ न मिलने का औचित्य

79–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–702215(1)/83–3(16)/77, दिनांक 21-3-84 के अनुसार 1 जुलाई, के बाद की जन्म तिथि होने पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को शिक्षा सत्र का लाभ दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाटमपुर, कानपुर देहात की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका

श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्या जिनकी जन्म तिथि 10 जुलाई, 1930 है, को सत्र लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका को सत्र लाभ से मिलने वाले सभी आर्थिक लाभ दिये जाने का आदेश देगी एवं इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्या, प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाटमपुर, कानपुरदेहात ने अपने शिक्षा सत्र के लिए सेवा विस्तारण हेतु कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया । संबंधित शासनादेश में प्रधानाध्यापिका को स्वतः सेवाविस्तारण देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रकरण की जांच कराई गई । श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्या ने सत्र लाभ के लिए सेवा विस्तारण हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है । ऐसी स्थिति में सत्र लाभ से मिलने वाले समस्त (आर्थिक) लाभ अब देने का कोई औचित्य नहीं है । कोई भी शिथिलता नहीं बरती गई अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ० प्र० सचिवालय के टेलीफोन आपरेटर्स को टंकक की भांति संविलीन कर अवर वर्ग सहायक में पदोन्नति किये जाने के संबंध में पत्र

80–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा सदस्य, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री अतुल कुमार, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री राजधारी एवं श्री राम आसरे पासवान, राज्य मंत्री, लघु सिंचाई का पत्र क्रमशः दिनांक 6-7-98, 24-8-99, 5-2-99, 19-8-99 व 25-8-99 जो उ० प्र० सचिवालय के टेलीफोन आपरेटर्स को टंकक की भांति संविलीन कर अवर वर्ग सहायक में पदोन्नति पूर्व की भांति किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री राम आसरे पासवान मा० राज्य मंत्री, लघु सिंचाई का पत्र दिनांक 25-8-99 प्राप्त हुआ । प्रश्न में उल्लिखित शेष विधान सभा सदस्यों के पत्र प्राप्त नहीं हुये ।

विचारोपरान्त टेलीफोन आपरेटर्स को अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलीन करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा दी गई प्रोन्नति का मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

81–श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०(वि०को०) एम–1(21442) (गोण्डा), 99, दिनांक 19-3-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ लखनऊ एवं सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० के आदेश की अवहेलना कर बिना ज्येष्ठ सूची के आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र

82–श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा लाखों रु० के खाते सीज करने विषयक उ० प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कासिम अली का पत्र जो होमगार्ड राज्य मंत्री द्वारा मा० मुख्य मंत्री को माह मार्च, 1999 के अन्तिम सप्ताह में भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के कार्यालय में श्री सदाशंकर श्रीवास्तव तथा जिवन सहाय अध्यापकों से कथित रूप में लिपिक का कार्य लिये जाने की शिकायत

83–श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के कार्यालय में श्री सदाशंकर श्रीवास्तव तथा जिवन सहाय, अध्यापक, लिपिक के रूप में वर्ष 1999 से कार्य कर रहे हैं जबकि शासनादेश है कि कोई भी अध्यापक लिपिक का कार्य नहीं करेगा ? क्या शिक्षण कार्य न करने वाले अध्यापकों को सम्बन्धित स्कूलों से मासिक वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सहारनपुर में वर्ष 1995-96 में अनुदान सूची पर लिए गए दो विद्यालयों के 6 अध्यापकों का वेतन भुगतान में विलम्ब का औचित्य

84–श्री संजय गर्ग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 में मैदानी क्षेत्र में अनुदान सूची पर लिये गए 125 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से जनपद–सहारनपुर के दो विद्यालयों के 6 अध्यापकों को अप्रैल, 1996 से अक्टूबर, 1997 तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वेतन भुगतान न करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित है । अनुपूरक मांग पारित हो जाने के पश्चात् भुगतान किया जाना संभव होगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम छोटी बल्लभ के निवासी श्री नरेश सिंह कारगिल युद्ध में शहीद सैनिक के नाम से सम्पर्क मार्ग का शासन के विचाराधीन निर्माण

85–श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम छोटी बल्लभ, जनपद–अलीगढ़ निवासी श्री नरेश सिंह कारगिल युद्ध में शहीद सैनिक के नाम से छोटी बल्लभ से उत्तमपुर ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु सैनिक के अन्तिम संस्कार के अवसर पर दिनांक 24-6-99 को मा० मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी ? क्या इस सम्बन्ध में मा० राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास का पत्र दिनांक 22-7-99 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यद्यपि मा० राज्य मंत्री ग्राम्य विकास का पत्र दिनांक 22-7-99 प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सम्पर्क मार्ग कार्य की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ।

लखनऊ में विधायक निवासों में फिनाइल एवं तेजाब से नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था तथा व्यय धनराशि

86–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विधायक निवासों में नियमित रूप से फिनाइल एवं तेजाब से सफाई कार्य किये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो अप्रैल, 1998 से जून, 1999 तक फिनाइल एवं तेजाब की प्रयुक्त की गई मात्रा एवं व्यय की गयी धनराशि कितनी है ? क्या सरकार उक्त विधायक निवासों में फिनाइल एवं तेजाब से प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई कार्य कराना सुनिश्चित करायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अप्रैल, 1998 से जून, 1999 तक सफाई कार्य हेतु 12081 लीटर फिनाइल एवं 645 बोतल तेजाब प्रयुक्त की गयी जिस पर क्रमशः रु० 3,89,974.70 तथा रु० 6192.00 धनराशि व्यय की गयी है ।

विधायक निवासों में फिनाइल एवं तेजाब से प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई कार्य किये जाने की व्यवस्था है ।

जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की वरिष्टता सूची का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

87–श्री अक्षयवर लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष कार्याधिकारी शिक्षा अनुभाग–5 उ० प्र० शासन के पत्र संख्या–6376/15-5-98/400(364)98, दिनांक 27 नवम्बर, 1998 द्वारा जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० लखनऊ से वांछित आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या वरिष्ठतम् शिक्षकों की ज्येष्ठता संशोधित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ज्येष्ठता सूची संशोधित कर उक्त को कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है । मा० न्यायालय के निर्णयानुसार परिषद द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी ।

88–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर समायोजन की प्रक्रिया

89–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर समायोजन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या इस संदर्भ में भर्ती पर लगी रोक हट जायेगी ? यदि हां, तो रोक हटने की तिथि क्या होगी तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश स्थित अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा कुछ प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं ।

अननुमोदित कर्मचारियों के समायोजन के पश्चात् शेष कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लिये जाने के बाद ही रोक हटाये जाने के संबंध में विचार किया जायेगा । तकनीकी शिक्षणेत्तर पदों पर रोक नहीं लगी है ।

विश्वविद्यालयों की आवश्यकतानुसार उनके कार्यभार को देखते हुए ही पदों का सृजन किया गया था ।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत निजी उपयोग हेतु पेड़ों को काटने का प्राविधान

90–श्री अशोक कुमार–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी प्रयोगार्थ इमारती लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक पेड़ बिना परमिट प्राप्त किये कटवाने का अधिकार जनता को प्राप्त है ? यदि हां, तो वह प्राविधान क्या है और किस जाति के पेड़ों के लिये है ? यदि अधिकार नहीं है, तो क्या ऐसा प्राविधान नियमों में करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

जी हां ।

पर्वतीय क्षेत्र में निजी वास्तविक उपयोग के लिये एक परिवार एक वर्ष में एक पेड़ ही काट सकता है यह भी प्रतिबन्ध है कि जिन प्रजातियों के पातन पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत रोक लगायी गयी है उन प्रजातियों के वृक्षों का पातन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकता है ।

यह प्राविधान उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 के धारा–5 के अन्तर्गत है जो निम्न प्रकार है :–

"ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि-उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के

प्रयोगार्थ वास्तविक उपयोग के लिए, उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है ''

उपरोक्त प्राविधान प्रतिबंधित प्रजातियों के वृक्षों (अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बांज, खरसू, मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद, बड़देवदार एवं आम देशी, तुकमी और कलमी) को छोड़कर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ स्थित राजकीय पालिटेक्निक से कुकरैल तक सड़क पट्टी पर वृक्षारोपण एवं उनके कटान का विवरण

91–श्री अशोक कुमार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजकीय पालिटेक्निक से कुकरैल पिकनिक स्पाट तक जाने वाली सड़क पर विभाग द्वारा यूकिलिप्टस पेड़ कब लगाये गये थे ? वर्तमान में इन पेड़ों की अधिकतम लम्बाई तथा मोटाई क्या है ? क्या यह सही है कि द्वारिकापुरी से मुंशी पुलिया तक लगभग एक कि०मी० को छोड़कर शेष सड़क के पेड़ काटे जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या द्वारिकापुरी से मुंशी पुलिया तक लगे उक्त पेड़ों की खतरनाक स्थिति को देखते हुये उन्हें कटवाकर नये छोटे पेड़ लगवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

लखनऊ स्थित राजकीय पालिटेक्निक से कुकरैल तक सड़क पट्टी पर वर्ष 1976 में वृक्षारोपण कराया गया था।

वर्तमान में इन पेड़ों की अधिकतम ऊंचाई 50 से 60 फिट तथा अधिकतम मोटाई लगभग 3 मीटर तक है।

सैनिक मार्ग के एक कि०मी० को छोड़कर समय-समय पर सूखे व रोग ग्रस्त वृक्षों को कटवाया गया हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा यूकेलिप्टस के वृक्षों का आवर्तनकाल भौतिक आवर्तन के स्थान पर 15 वर्ष किया गया है। इसी क्रम में इस मार्ग के वृक्षों का छपान कराकर लाट उ० प्र० वन निगम को हस्तगत करा दी गयी है। इस रोड के वृक्षों का पातन उ० प्र० वन निगम द्वारा इसी कटान वर्ष में सम्पादित कराया जायेगा। बजट उपलब्ध होने पर इस मार्ग में छोटी प्रजाति के वृक्षों का रोपण कराना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी स्थित रामनगर–सफदरगंज मार्ग का लेपन एवं उनकी पट्टियों सहित चौड़ाई का विवरण

92–श्री काशीनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बाराबंकी स्थित रामनगर–सफदरगंज सड़क की दोनों ओर के किनारों को सम्मिलित करते हुये कुल कितनी चौड़ाई निर्धारित है तथा पिच रोड की कितनी चौड़ाई है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की जो पिच रोड बनायी गयी है, वह निर्धारित मानक से कम है ? यदि हां, तो क्या पिच रोड की चौड़ाई बढ़ायी जायेगी ? क्या बीच-बीच में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत भी करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

रामनगर बदोसराय–सफदरगंज मार्ग के दोनों किनारों को सम्मिलित करते हुये मार्ग की चौड़ाई 10.00 मी० है तथा रामनगर से बदोसराय तक मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 5.00 मी० है एवं बदोसराय से सफदरगंज तक मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 5.50 मी० है ।

जी नहीं ।

मार्ग की दशा सामान्यतः ठीक है ।

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने हेतु शासन द्वारा मार्ग दर्शक सिद्धान्त

93–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जवाहर भवन, लखनऊ के अधीनस्थ लगभग एक हजार पांच सौ कर्मचारी दैनिक वेतन एवं वर्कचार्ज पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये उन्हें नियमित करने का आदेश प्रसारित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधीनस्थ वर्कचार्ज तथा दैनिक वेतन पर वर्तमान में कुल 1430 कर्मचारी कार्यरत हैं । वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु शासनादेश दि० 15-10-97 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार उपलब्ध पदों पर दिनांक 15-10-97 के पश्चात् 72 वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है । वर्कचार्ज पर कार्यरत शेष कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध नहीं है । विभिन्न निर्माण/अनुरक्षण कार्यों पर तैनात विभाग के दैनिक वेतन कर्मचारियों को दैनिक वेतन से सीधे नियमित नियुक्ति दिये जाने की व्यवस्था नहीं है बल्कि इन्हें पहले वर्कचार्ज पर रखा जाता है तथा पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार नियमित किया जाता है । अतः अलग से कोई आदेश निर्गत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी में श्रीनगर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पटना के पास चौका नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग

94–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जनपद में श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पटना के पास चौका नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नदी के पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण संभव नहीं है ।

प्रदेश के सभी जनपदों के अशासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों का आहरण एवं वितरण का कार्य वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा कार्यालय) द्वारा सम्पन्न किया जाना

95–श्री सीताराम निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूल (जू० हा० स्कूल) का आहरण एवं वितरण का अधिकार प्रदेश के जनपदों में

किसको दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा कार्यालय) को दिया गया है ।

जी हां । शासनादेश दिनांक 29-9-98 को जारी किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

96–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा टेलीप्रिन्टर की बाध्यता समाप्त करने की मांग

97–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दस हजार सशुल्क प्रसार संख्या वाले दैनिक समाचार-पत्रों पर टेलीप्रिन्टर की बाध्यता समाप्त करने अथवा संशोधित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा टेलीप्रिन्टर की बाध्यता समाप्त करने की मांग की जाती रही है किन्तु उक्त बाध्यता समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98–श्री समर पाल सिंह–

[दिनांक 3-1-2000 की अता० प्र० सं०–178 द्वारा उत्तरित]

श्री संकठा बक्स सिंह उप विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर के सेवानिवृत्त पर देयकों का भुगतान

99–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले मंगलवार के प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–134 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रपत्र विलम्ब से देने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अभी भी इस प्रकरण में कोई भुगतान शेष है ? यदि हां, तो शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

संबंधित कर्मचारी श्री संकठा बख्श सिंह, सेवानिवृत्त प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा अपने सेवा नैवृत्तिक देयों से संबंधित प्रश्नगत प्रपत्र, बीमा पत्र व जी०पी०एफ० प्रपत्र दो वर्ष बाद प्रस्तुत किये गये । इस प्रकार विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सामूहिक जीवन बीमा का प्रकरण बीमा निदेशालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

बीमा निदेशालय के स्वीकृति के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

100–101–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सम्पत्ति विभाग की बंदरियाबाग, लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे तथा उसे खाली कराने की कार्यवाही

102–श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की बंदरियाबाग, लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके निर्माण करा लिया गया है ? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण कार्य को गिरवाकर सचिवालय कालोनी की भूमि खाली करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

नियमानुसार भूमि खाली कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में श्री सुधरन बेलदार लोक निर्माण खण्ड–2 के दिनांक 30-6-96 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त देय अवशेषों का भुगतान

103–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं०–89 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत भुगतान करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर की 77 पत्थर खदानों को बन्द करने के कारणों की जानकारी

104–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ललितपुर जनपद की 77 पत्थर खदानों को जिलाधिकारी द्वारा किस आधार पर बन्द किया गया है ? क्या विशेष सचिव, भारी उद्योग के दिनांक 11 मार्च, 1998 के शासनादेश द्वारा दिनांक 6-1-97 की पूर्व स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद ललितपुर के 77 खदानों के स्थान वन भूमि अथवा वन स्वरूप होने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के क्रम में बन्द किया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के पदों पर अन्य संवर्गों की प्रोन्नति का मामला

105–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के पदों पर सन् 1988 से पूर्व किन-किन संवर्गों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाता था और उनका क्या अनुपात था ? क्या यह

सही है कि सन् 1988 में एक संवर्ग को अवर वर्ग सहायक में संविलीन कर अन्य संवर्गों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो वे संवर्ग कौन-कौन से हैं ? क्या सरकार ऐसे संवर्गों को भी अवर वर्ग सहायक के संवर्ग में संविलीन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1988 से पूर्व सचिवालय प्रशासन सचिव शाखा में अवर वर्ग सहायक के पद पर टंकक, टेलीफोन आपरेटर/टेलेक्स आपरेटर, फैसिट आपरेटर तथा जूनियर ग्रेड क्लर्क की 2: 1: 1 के अनुपात में तथा शेष शाखाओं में जूनियर ग्रेड क्लर्क तथा नियमित टंककों की 1:5 के अनुपात में चक्रीय पद्धति के आधार पर स्थानापन्न प्रोन्नति होती थी ।

जी नहीं । उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारीवर्ग सेवा नियमावली, 1999 के नियम–5(2) में अवर वर्ग सहायक के 40 प्रतिशत .पदों पर टेलीफोन आपरेटर, टंकक एवं जूनियर ग्रेड क्लर्क की प्रोन्नति का प्राविधान विद्यमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम चौरठिया को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

106–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–लखीमपुर के 71–श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम चौरठिया जिसकी आबादी दो हजार सतहत्तर है, क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

ग्राम चौरठिया की आबादी 2074 है और मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है ।

वर्तमान सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक लेपित मार्गों से जोड़ा जाना है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर द्वारा ग्राम रड़ा देवरिया मौजा सूरजपुर, ब्लाक विजुआ के प्राथमिक विद्यालय के भवन के निर्माण पर रोक की जानकारी

107–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विजुआ को अपने पत्रांक भवन/25-26, दिनांक 7-4-99 द्वारा ग्राम रड़ा देवरिया मौजा सूरजपुर, ब्लाक विजुआ के प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण कार्य को रोक दिये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसके बाद भी उक्त विद्यालय भवन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय भवन के निर्माण के पूर्व जिला शिक्षा समिति का अनुमोदन भी नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध विद्यालय भवन के निर्माण के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

लिंटर स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जांचोपरान्त पूर्व प्रस्तावित स्थल, जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव किया गया था, उपयुक्त पाये जाने पर विद्यालय निर्माण की कार्यवाही सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया ।

जी नहीं । जिला शिक्षा समिति के अनुमोदन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के ग्राम लखरांवा को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

108–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर के 71–श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–लखरांवा की आबादी दो हजार दो सौ छियालिस है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है । सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक लेपित मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य है ।

जनपद लखीमपुर में बिजुआ गोला, अलीगंज के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

109–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–लखीमपुर के 71–श्रीनगर क्षेत्र में विजुआ गोला, अलीगंज मार्ग 20 वर्ष पूर्व बनवाया गया था, जो टूटकर ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो उसका पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग की लगभग 30 कि०मी० लम्बाई में से 14.800 कि०मी० लम्बाई लोक निर्माण विभाग के पास है तथा शेष लम्बाई गन्ना विभाग के अधीन है । लोक निर्माण विभाग की 14.800 कि०मी० लम्बाई में से 8 कि०मी० लम्बाई अति क्षतिग्रस्त अवस्था में है ।

क्षतिग्रस्त लम्बाई का पुनर्निर्माण संसाधनों की कठिनाई के कारण सम्प्रति कराया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के वर्कचार्ज, बेलदार, मेट के वेतन बढ़ोत्तरी एवं नियमितीकरण के संबंध में कार्यवाही

110–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-5-99 जो जनपद–सुल्तानपुर के वर्कचार्ज, बेलदार, मेट के वेतन बढ़ोत्तरी एवं नियमितीकरण सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पत्र दि० 25-5-99 प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि प्रश्नगत विषय से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 24-5-99 प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में वर्कचार्ज में विभिन्न पदों पर कार्यरत 48 कर्मचारियों की सूची संलग्न कर उनके वेतन बढ़ोत्तरी तथा नियमित किये जाने का अनुरोध किया गया है । वेतन भुगतान के संबंध में स्थिति यह है कि शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 1999 द्वारा वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित कर दिया गया है । वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के संबंध में स्थिति यह है कि इस हेतु जारी मार्गदर्शक शासनादेश दि० 15-10-97 से आच्छादित होने वाले कर्मचारियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर उपलब्ध स्वीकृत पदों पर नियमित किया जाता है । तद्नुसार जनपद सुल्तानपुर में अब तक उपलब्ध स्वीकृत पदों के सापेक्ष 6 पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज में कार्यरत अध्यापकों में आरक्षण का पूर्ण कोटा

111–श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में संचालित सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? उसमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार क्या उक्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज शाहजहांपुर में कुल 37 अध्यापक कार्यरत हैं ।

उनमें से 9 अध्यापक अनुसूचित जाति के हैं । अनुसूचित जनजाति का कोई भी अध्यापक कार्यरत नहीं है ।

आरक्षण कोटा पूर्ण है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

112–श्री चेतराम–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के विभिन्न विभागों से पृथक किये गये चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति

113–श्री विजय पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश संख्या–1614, दिनांक 28-11-98 द्वारा 32 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त सभी कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें नौकरी में नहीं लिया जा रहा है ? क्या नयी नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त 32 कर्मचारियों को पुनः सेवा में वापस लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । मा० उच्च न्यायालय ने यह अन्तरिम आदेश किये हैं कि यदि भविष्य में दैनिक वेतन के आधार पर दैनिक वेतन कर्मियों को रखा जाय तब याचिकाकर्ताओं को भी दैनिक वेतन के आधार पर रखने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । शासन द्वारा सुरक्षा, सफाई तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में संविदा के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी है । इस अनुमति के अन्तर्गत निकाले गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से जो संविदा प्राप्त करने के इच्छुक थे, उनसे संविदा पर कार्य लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा व विधान परिषद् सदस्यों के आवासों पर उपलब्ध फ्रिज, कूलर आदि के खरीदने में व्यय धनराशि का विवरण तथा इस कार्य में निविदा न आमंत्रित करने का औचित्य

114–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा व विधान परिषद् सदस्यों के आवासों पर फ्रिज व कूलर जो उपलब्ध कराये गये हैं उन पर कुल कितना धन खर्च किया गया है ? फ्रिज व कूलर निर्माताओं द्वारा प्रति नग कितनी कीमत ली गयी है ? क्या निर्माताओं का निविदा प्रक्रिया से चयन किया गया था ? यदि हां, तो निविदा आमंत्रित किये जाने की तारीख क्या थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

विधान सभा व विधान परिषद् सदस्यों के आवासों पर फ्रिज व कूलर जो उपलब्ध कराये गये हैं उन पर वर्तमान तक कुल रु० 49,90,490.00 (रु० उन्चास लाख नब्बे हजार चार सौ नब्बे मात्र) की धनराशि खर्च की गयी है ।

फ्रिज निर्माता द्वारा फ्रिज पर प्रति नग रु० 8730.00 (रु० आठ हजार सात सौ तीस मात्र) तथा कूलर निर्माता द्वारा कूलर पर प्रति नग रु० 3800.00 (रु० तीन हजार आठ सौ मात्र) कीमत ली गयी है ।

जी, नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

समयाभाव को देखते हुए शासन द्वारा निविदा आमंत्रित करने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की गयी है ।

115–श्री अजय कुमार पोइया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

116–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा असेवित खण्डों में न्याय पंचायत स्तर पर कन्या विद्यालय खोलने की संस्तुति का विवरण

117–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मिर्जापुर में निजी प्रबन्ध-तंत्र द्वारा असेवित विकास खण्डों में न्याय पंचायत स्तर पर कन्या विद्यालय खोलने हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कितने आवेदन-पत्र विद्यालय खोलने हेतु अर्हता प्राप्त थे तथा इस हेतु अर्हता के बिन्दु क्या-क्या थे ? क्या यह सत्य है कि जिन विद्यालयों की संस्तुति शासन को प्राप्त हुयी है उनमें से अधिकांश अर्हता पूर्ण नहीं करते थे ? यदि हां, तो क्या शासन इन विद्यालयों हेतु धनावंटन रोकने के तत्काल आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जो आवेदक पूर्ण अर्हता रखते हैं उन्हें यह धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद मिर्जापुर में निजी प्रबन्ध-तंत्र द्वारा एक कन्या विद्यालय असेवित विकास खण्डों की दूसरी न्याय पंचायत में कन्या विद्यालय खोलने हेतु कुल 47 (सैंतालिस) आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदन-पत्रों में कुल 22 (बाइस) आवेदन-पत्र विद्यालय खोलने हेतु अर्हता प्राप्त थे । प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत संस्थाओं के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित हैं :–

(1) संस्था के पास विद्यालय खोलने हेतु एक एकड़ या अधिक भूमि उपलब्ध हो ।

(2) संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत तथा नवीनीकृत हो ।

(3) संस्था के पास विद्यालय के संचालन हेतु आय के श्रोत उपलब्ध हों ।

(4) संस्था के संविधान के अनुसार उसमें निर्वाचित प्रबंध-तंत्र विद्यमान हो तथा उसमें कोई प्रबन्धकीय विवाद न हो ।

(5) यदि किसी औद्योगिक संस्था/फैक्ट्री आदि का प्रबन्ध-तंत्र भी विद्यालय स्थापित करने का इच्छुक है, तो वह भी आवेदन कर सकता है, जिसके लिए आवेदन के समय शर्त संख्या–2 एवं 4 पूर्ण करनी आवश्यक न होगी ।

(6) संस्था को प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह विद्यालय भवन का निर्माण निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों, जो कार्यकारी सिद्धान्त की धारा–13 के अनुसार होगी, ही किया जायेगा ।

जिन विद्यालयों की संस्तुति की गयी है उनमें से 4 विद्यालयों की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ की गयी है कि संस्था द्वारा विद्यालय के नाम जमीन रजिस्ट्री होने के पश्चात् ही धनराशि संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी ।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कोई धनावंटन नहीं किया जाना है । अतः धनावंटन रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

योजनान्तर्गत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर ही धनावंटन किया जा सकेगा ।

जनपद आगरा में वर्ष 1999-2000 की जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव तथा स्वीकृत कार्य का निर्माण

118–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1999-2000 की जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित पुलिया, रपटा तथा सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य जिनके सम्बन्ध में 35 लाख रुपये के कार्यों के अन्तर्गत प्रस्ताव मांगे गये थे, के कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये गये हैं ? स्वीकृत प्रस्तावों पर कब तक निर्माण कार्य करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1999-2000 में जिला योजना में मा० सदस्य विधान सभा द्वारा 3 मार्गों व 2 रपटों सहित कुल 5 कार्यों के प्रस्ताव दिये गये थे, जिनकी लागत रु० 103.63 लाख है । उक्त प्रस्ताव में से ग्वालियर मार्ग से सिंगाइच मार्ग का 400 मीटर भाग, अनुमानित लागत रु० 3.82 लाख का स्वीकृत किया गया है ।

उक्त कार्य का निर्माण कार्य नवम्बर, 1999 में पूर्ण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119-120–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में बन्दे-मातरम् का गायन कथित रूप में अनिवार्य होने की जानकारी

121–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक विद्यालयों में बन्दे–मातरम् का गायन अनिवार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में इसका पालन हो रहा हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले में लालगंज के कतिपय प्राथमिक पाठशालाओं में तैनात अध्यापकों की संख्या तथा पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था

122–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में लालगंज के प्राथमिक पाठशाला पतुलकी, रामपुर मड़वां और खजुरी, बस्तरा राजा में इस समय कितने और कौन-कौन से अध्यापक तैनात हैं ? क्या यह सच है कि इन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है ? क्या सरकार इन विद्यालयों में

पर्याप्त अध्यापक तैनात कर पठन-पाठन कार्य समुचित ढंग से चलाये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नाम विद्यालय	कार्यरत अध्यापक
1–प्रा० पा० पतुलकी	1–श्री कन्हैया लाल दुबे, स० अ०
	2–श्रीमती किरन कुमारी, स० अ०
2–प्रा० पा० राम पुर मड़वा	1–श्री गनेश दत्त दूबे, स० अ०
	2–श्री आनन्द प्रसाद, स० अ०
3–प्रा० पा० खजुरी	1–श्री श्याम नारायण, स० अ०
	2–श्रीमती ऊषा देव, स० अ०
4–प्रा० पा० बस्तरा राजा	1–श्रीमती अर्पणा गुप्ता, स० अ०
	2–निजा चौधरी, स० अ०

जी नहीं ।

विशिष्ट वी०टी०सी० एवं वी०टी०सी० की नियुक्ति एवं पदोन्नति से अध्यापकों की समुचित व्यवस्था कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

123–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में लोक सेवा आयोग से चयनित व्यवस्था अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर शून्य हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिये पदोन्नति के अवसर सृजित करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारियों के लिए वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारी के पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ।

अवसर उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत व्यवस्थाधिकारी को तकनीकी सेवक माने जाने की मांग

124–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत व्यवस्था अधिकारी जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल बोर्ड से होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमा धारक हैं, को तकनीकी सेवक नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्या इनको तकनीकी सेवक मानते हुये उनको भी समयबद्ध वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अभी इस सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव ऊर्जा के विरुद्ध मजदूर संघ के पदाधिकारी को कथित रूप में प्रताड़ित किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

125–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) श्री अतुल चतुर्वेदी की शिकायत के आधार पर भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष को उत्पीड़ित कर हत्या की साजिश करने सम्बन्धी माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य एवं अन्य विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 24-3-99 एवं 1-4-99, जो मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

श्री चतुर्वेदी पर लगाये गये आरोप-निराधार पाये गये । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उत्तर काशी में राजकीय इण्टर कालेज नौगांव के भूतपूर्व प्रधानाचार्य का टी० ए० बिल के भुगतान की मांग

126–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज नौगांव उत्तरकाशी का टी० ए० बिल माह फरवरी, मार्च व अप्रैल, 1990-91 का भुगतान उन्हें अब तक किन कारणों से नहीं किया गया है ? उक्त भुगतान उन्हें कब तक कराया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

यात्रा भत्ता बिल कालातीत होने के कारण ।

धन की व्यवस्था होने पर ।

जनपद उत्तरकाशी मे श्री ईश्वर शरण श्रीवास्तव सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज राजगढ़ी की सेवा का अन्तिम यात्रा भत्ता का बिल भुगतान करने की मांग

127–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वर शरण श्रीवास्तव सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज राजगढ़ी, जनपद–उत्तर काशी की सेवा का अंतिम यात्रा भत्ता बिल माह जुलाई, 89, अंकन रुपया 4,867.00 का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, धनाभाव के कारण ।

धनराशि की व्यवस्था होने पर ।

पुराना विधायक निवास–3 में स्थित चतुर्थ श्रेणी के कतिपय आवासों में व्यवस्था और उन पर व्यय

128—श्री मुरली धर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराना विधायक निवास नं०–3 स्थित चतुर्थ श्रेणी आवासों में अक्टूबर/नवम्बर, 1998 में शौचालय आदि के निर्माण हेतु उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उस निर्णय के बाद उक्त सभी आवासों में शौचालय आदि का निर्माण कार्य कराया गया ? यदि हां, तो उक्त निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अक्टूबर, 98 के उपरान्त वित्तीय उपलब्धता के आधार पर मात्र दो आवासों में ही शौचालय निर्माण अब तक कराया जा सका है ।

उक्त 2 आवासों में शौचालय निर्माण पर रु०–36,000/- व्यय किये गये ।

पुराना विधायक निवास–3 में स्थित चतुर्थ श्रेणी के आवासों में शौचालयों के निर्माण हेतु आगणन एवं व्यवस्था का स्वरूप

129—श्री मुरली धर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराना विधायक निवास नं०–3 स्थित चतुर्थ श्रेणी के आवासों में शौचालय आदि के निर्माण हेतु पत्र संख्या–एम०एल०ई० 52/32–4-98 (एस०एल०–103), दिनांक 25 नवम्बर, 1998 द्वारा सिविल अनु० खण्ड–3 से एक मितव्ययी आगणन मांगा गया था ? यदि हां, तो आगणन की धनराशि क्या है एवं उससे किन-किन आवासों में शौचालय निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार शेष आवासों में भी शौचालय आदि का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अवशेष बचे 10 आवासों में से 7 आवासों क्रमशः 1,7,8,9,11,13 व 17 में रु०–18,000/- प्रति आवास शौचालय निर्माण का आगणन गठित किया गया है । आवास सं०–11 एवं 17 में निर्माण कराया जा चुका है ।

धन उपलब्ध होने पर कार्य सम्पादित कराया जायेगा ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुराना विधायक निवास–3 में स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर के क्षतिग्रस्त शौचालयों की मरम्मत

130—श्री मुरली धर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुराना विधायक निवास नं०–3 स्थित सर्वेन्ट क्वार्टरों व किचन कोठरियों में रह रहे अध्यासियों के लिये बने 8 शौचालय (6 पुरुष व 2 महिला) के सीवर, दरवाजा व नल आदि पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 8 शौचालयों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । 8 शौचालयों में से 3 शौचालयों क्षतिग्रस्त हैं । शेष 5 शौचालय चालू हालत में हैं । सीवर ठीक करा दिया गया है ।

क्षतिग्रस्त 3 शौचालय के लिये आगणन गठित किया जा रहा है । धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य सम्पादित करा दिया जायेगा ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मोतीझील कालोनी के भवनों के ऊपरी छत की मरम्मत कार्य में विलम्ब का औचित्य

131—श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री महाराज सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 1999 से मोतीझील सचिवालय कालोनी के 48 भवनों के ऊपरी छत की मरम्मत के कार्य में लगाये गये अवर अभियन्ता की उदासीनता के कारण उक्त आवंटित कार्य में विलम्ब हो रहा है ? क्या वहां से निकाले गये पुराने ईंट, लोहा आदि हजारों रुपये की सामग्री बेंच दी गयी है ? यदि हां,तो क्या सरकार इस प्रकरण की पूरी जांच करा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

मोतीझील सचिवालय कालोनी में 48 नहीं अपितु, 40 छतों के मरम्मत हेतु रु०–16.23 लाख उपलब्ध कराया गया था । उक्त के सापेक्ष 21 छतों का कार्य पूर्ण हो गया है । उपलब्ध धनराशि समाप्त हो गयी है । शेष कार्यों का पुनरीक्षित आगणन गठित किया गया है । अतः विलम्ब का कारण अवर अभियन्ता की उदासीनता नहीं है ।

जी नहीं । पुरानी ईंट का उपयोग चुनाई तथा गिट्टी के रूप में तथा पुरानी जंग लगी सरिया से नई सरिया बनवाई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

ग्रेटर नोयडा के टेण्डरों में हुए करोड़ों के घपले एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नवाब सिंह नागर स०वि०प० का शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही

132—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रेटर नोयडा के टेण्डरों में हुए करोड़ों के घपले एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी श्री नवाब सिंह नागर, विधायक नोयडा (दादरी क्षेत्र) का पत्र दिनांक 22-9-97 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच करायी गयी, जांचोपरान्त सभी संबंधित टेण्डरों को निरस्त कर दिया गया व संबंधित अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये । श्री कल्याण सिंह, तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, फलस्वरूप श्री कल्याण

सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र उनके पैतृक विभाग (वित्त विभाग) को भेजा जा चुका है । मामला वित्त विभाग में निर्णय की प्रक्रिया में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में आयोजित बैठकों में प्रेस कवरेज की दृष्टि से तहसील/ब्लाक/नगर/ग्रामीण स्तर के आंचलिक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बुलाने की व्यवस्था

133—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित बैठकों में तहसील स्तरीय, ब्लाक स्तरीय व नगर स्तरीय आंचलिक पत्रकारों को बुलाये जाने हेतु कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रदेश के जनपदों में आयोजित बैठकों में प्रेस कवरेज की दृष्टि से तहसील स्तरीय, ब्लाक स्तरीय व नगर स्तरीय, ग्रामीण/आंचलिक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही बुलाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

134—श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 3-1-2000 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० सचिवालय मिनिस्ट्रीयल स्टाफ रूल्स 1942 के अनुसार टंकक एवं टेलीफोन आपरेटर्स की पदोन्नति

135—श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० सचिवालय में टंकक एवं टेलीफोन आपरेटर्स की पदोन्नति सेवा नियमावली, 1942 के अनुसार चक्रीय पद्धति के आधार पर अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति की जाती थी ? क्या यह सही है कि उक्त प्रक्रिया समाप्त किये जाने के फलस्वरूप टेलीफोन आपरेटर्स से 5, 6 या इससे अधिक वर्ष जूनियर टंकक, टेलीफोन आपरेटर्स से सीनियर हो गये हैं ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चक्रीय पद्धति में टेलीफोन आपरेटर्स को 5 या 7 वर्ष की सेवा के पश्चात् अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति कर दी जाती थी? क्या वर्तमान में 10 या 15 वर्ष पश्चात् भी पदोन्नति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व सेवा नियमावली के अनुसार टंकक एवं टेलीफोन आपरेटर्स की ज्येष्ठता का निर्धारण करते हुए पदोन्नति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । "दि उ० प्र० सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्रीयल स्टाफ रूल्स, 1942" में अवर वर्ग सहायक के पद पर टंकक एवं टेलीफोन आपरेटर्स की पदोन्नति हेतु चक्रिय व्यवस्था का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136—श्री अजय भट्ट–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद एटा में लोक निर्माण खण्ड–3 कासगंज में की गई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग की शिकायत पर कृत कार्यवाही

137—श्री नेतराम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण खण्ड–3, कासगंज, एटा में की गई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग के आरोपों से सम्बन्धित दिनांक 31-3-99 के प्रश्नकर्ता के

शिकायती पत्र पर मुख्य मंत्री जी द्वारा टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच में दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गई है ।

जनपद सीतापुर में बरई जलालपुर से मछरेहटा मार्ग पर सराय नदी के ऊपर रायपुर घाट पर पुल के निर्माण की मांग

138—श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में बरई जलालपुर से मछरेहटा मार्ग पर सराय नदी के ऊपर रायपुर घाट पर पुल का निर्माण कराया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों को कमी के कारण उक्त पुल का निर्माण स्वीकृत करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

जनपद मथुरा में औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट "ए" में भूखण्ड संख्या सी–56 पर स्थित सामान्य सुविधा केन्द्र भवन व अनुलग्नक भूमि का विक्रय

139—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा साइट "ए" में भूखण्ड संख्या सी–56 पर स्थित सामान्य सुविधा केन्द्र (जी०एफ०सी०) भवन व अनुलग्नक भूमि को विक्रय करने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–1/ 22975/ मथुरा/99, दिनांक 1-5-99 आयुक्त, औद्योगिक विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

साइट–"ए" में स्थित भूखण्ड संख्या–सी–56 में सी० एफ० सी० भवन एवं भवन से संलग्नक भूमि खाली होने कारण उसमें अनाधिकृत रूप से कब्जे की सम्भावनाओं को देखते हुए दिनांक 27-3-99 को निविदा द्वारा विक्रय किया जा चुका है । प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–सी–56 जो पूर्व में सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु रखा गया था, की भविष्य में आवश्यकता न होने के कारण इसका विपणन वाणिज्यिक प्रयोग हेतु किया गया है ।

जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण करायी जा रही सड़कों के सम्बन्ध में कथित अनियमितता की जांच

140—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण करायी जा रही सड़कों में अनियमितता की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी-

एम०/वि०को०/एम–2/22838/मथुरा/99, दिनांक 25-4-99 प्रमुख सचिव लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई गई । जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत के बिन्दु सिद्ध नहीं पाये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टेलीफोन आपरेटर को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीनीकरण का अस्वीकार मामला

141—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में टेलीफोन आपरेटर को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीनीकरण के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–2/22511/ मथुरा/99, दिनांक 17-4-99 प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त टेलीफोन आपरेटर को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीनीकरण की मांग अस्वीकार कर दी गई है ।

जनपद मथुरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मगौर्रा प्रथम में प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति में की गयी अनियमितता की जांच

142—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मगौर्रा प्रथम, जनपद मथुरा द्वारा जाली हस्ताक्षर करके एस०सी० व एस०टी० छात्रवृत्ति खाते से रुपया निकालने व उसका अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–1/ 21971/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रकरण में जांच करायी गई । आरोप निराधार एवं असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अलीगढ़ में श्रीमती इन्दिरा त्यागी, प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय बालिका इण्टर कालेज अलीगढ़ को प्रवक्ता वेतनमान देने की मांग

143—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रवक्ता वेतनमान में सभी कर्मचारियों को दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जाने पर चयनित वेतनमान देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो श्रीमती इन्दिरा त्यागी, प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अलीगढ़ जो प्रवक्ता वेतनक्रम में दिनांक

9-11-1976 से कार्यरत हैं, को वर्ष 1986 से चयनित वेतनमान न देकर क्या वर्ष 1992 से दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । ऐसे नियमित पदधारकों को अनुमन्य होगा, जिनकी दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी हो ।

प्रश्नगत पदधारक की सेवा का विनियमितीकरण दिनांक 4-4-1992 को हुआ है । अतः इससे पूर्व इन्हें चयन वेतनमान नियमानुसार अनुमन्य नहीं है ।

144—श्री अजय कुमार पोइया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा में मधुवन जूनियर हाई स्कूल महोली को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

145—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मधुवन जूनियर हाई स्कूल, महोली को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक, विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–1/21969/ मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बालेवश्र त्यागी–

जी हां ।

इस पत्र पर आख्या प्राप्त की गयी । इस संस्था का जू०हा०स्कूल स्तर की स्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुआ । प्रकरण में मण्डलीय मान्यता समिति में विचार किया गया । समिति द्वारा विचारोपरान्त कतिपय कमियों के कारण इस संस्था को स्थायी मान्यता हेतु अर्ह नहीं पाया गया । संस्था के प्रबन्धक को कमियां पूर्ति करने हेतु सूचित कर दिया गया है ।

प्राणी उद्यान लखनऊ में लिपिक के पद पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

146—श्री होराम सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्राणी उद्यान लखनऊ में लिपिक के पद पर की गई अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश यादव, विधायक का पत्र संख्या–क–2091478, दिनांक 18-7-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

जी हां ।

संबंधित पत्र में 11 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता का सन्देह व्यक्त किया गया था, जिस पर जांचोपरान्त पाया गया कि नियुक्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मेरठ-कोटद्वार-पौड़ी राजमार्ग के कौड़िया में सुखरो नदी पर पुल बनाने की मांग

147—श्री भारत सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ-कोटद्वार-पौड़ी, राजमार्ग के कौड़िया में सुखरो नदी पर पुल बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि मेरठ-कोटद्वार–पौड़ी राजमार्ग संख्या–47 के किमी० सं० 133 में सुकरो नदी पर रपटा बना हुआ है । यह बरसाती नदी है, जिसमें बरसात में ही कुछ समय के लिए पानी बढ़ता है । अतः विद्यमान रपटा पर्याप्त होने के कारण नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

जिला लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के ग्राम मलौली से महमूदपुर जाने वाली सड़क से ग्राम रसूलपुर जाने वाली सड़क के डामरीकरण को पूरा करने की मांग

148—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक गोसाईगंज, जिला लखनऊ के ग्राम मलौली से महमूदपुर जाने वाली सड़क से ग्राम रसूलपुर जाने वाली सड़क के प्रारम्भ एवं अन्त में डामरीकरण का कार्य कर दिया गया है परन्तु सड़क के मध्य भाग (लगभग 500 मीटर) का डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क के शेष भाग का डामरीकरण कराने एवं कराये गये डामरीकरण के कार्य की गुणवत्ता की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । लगभग 800 मीटर लम्बाई में डामरीकरण (लेपन) किया जाना शेष है ।

शेष लम्बाई में डामरीकरण का कार्य प्रगति में है । कार्य की गुणवत्ता की जांच टी० ए० सी० द्वारा कर ली गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड, बेहन्दर की प्राइमरी पाठशाला जाहिदपुर को कार्य दिवसों में बन्द किये जाने की जांच

149—श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–85 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर की प्राइमरी पाठशाला जाहिदपुर को शिक्षा सत्र, 1998-99 में कितने दिन खोला गया ? क्या यह सही है कि उक्त प्राइमरी पाठशाला अध्यापक के अभाव में पूर्ण रूप से बन्द रही ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शिक्षा सत्र, 1998-99 में दिनांक 2-11-98 से मई, 99 तक 147 कार्य दिवसों में विद्यालय खोला गया।

दिनांक–1-7-98 से 1-11-98 तक अध्यापक के अभाव में विद्यालय बन्द रहा।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

150—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

151—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहास के भवन के निर्माण कराने का मामला

152—श्री हरपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहास (बुलन्दशहर) के भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस हेतु जिला योजना 1997-98 एवं 1998-99 में 65 लाख रुपया प्रस्तावित किया गया था ? यदि हां, तो उस धनराशि को भवन निर्माण हेतु कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में मार्च, 1998 में रु० 25.00 लाख स्वीकृत कर शिक्षा निदेशक (मा०) को पी० एल० ए० में रखा गया था। चूंकि भवन का आगणन व मानचित्र तैयार करवाने व उसका मूल्यांकन करवाने में समय लगा जिसके कारण वित्त विभाग के शासनादेश, दिनांक 17-7-98 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि व्यपगत हो गई। अतः विद्यालय के भवन का निर्माण न हो सका।

जी हां।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिला योजना की धनराशि समाप्त हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 1999-2000 में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जानी थी किन्तु धनाभाव के कारण धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, लखनऊ में हुक्कू बन्दर के बाड़े के नवनिर्मित दीवार गिरने की जांच

153—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, लखनऊ में हुक्कू बन्दर के बाड़े के नव निर्माण में वर्ष 1997-98 में 9 लाख रुपये व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि एक वर्ष में ही बाड़े की दीवारें गिर गयी हैं ? यदि हां, तो क्या बाड़े के निर्माण कार्य की जांच किसी तकनीकी विशेषज्ञ

से करायी जायेगी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

जी हां ।

निर्माण के एक वर्ष पांच माह बाद दिनांक 2 सितम्बर, 99 तथा 3 सितम्बर, 1999 को लखनऊ नगर में अतिवृष्टि के कारण हुक्कू आवास के मोट की 10 मीटर लम्बी भीतरी दीवार गिर गई थी ।

उक्त बाड़े के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच तकनीकी विशेषज्ञ से करायी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर यद्यपि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का अनुपात सही पाया गया फिर भी प्रश्नगत प्रकरण की जांच मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) से कराये जाने के लिये प्रमुख वन संरक्षक को निर्देशित कर दिया गया है ।

अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 1998-99 में राज्य सरकार/भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कराये गये वृक्षारोपण एवं उस पर व्यय

154—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 1998-99 में कितने लाख वृक्षों का वृक्षारोपण कराया गया तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि बिना निविदा आमंत्रित किये ही लाखों रुपये का भुगतान वनाधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

अवध वन प्रभाग द्वारा वर्ष 1998-99 में 529.56 हे० क्षेत्र में 8.6225 लाख पौधों का वृक्षारोपण कराया गया जिस पर कुल रु० 138.74 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही वृक्षारोपण कार्य दैनिक चिट्ठे पर केवल श्रमिकों द्वारा ही कराया गया वृक्षारोपण कार्य ठेकेदारी प्रथा के अनुसार नहीं कराया गया है । अतः निविदा आमंत्रित करने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ओ०सी०आर० लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी आवासों के अवशेष शौचालयों के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन

155—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओ०सी०आर० लखनऊ में स्थित चतुर्थ श्रेणी आवासों में शौचालयों के निर्माण विषयक मुख्य व्यवस्थाधिकारी (प्र०) का पत्र संख्या–एम० एल० ई० 2/32-4-98, दिनांक 25 नवम्बर, 1998 द्वारा आगणन उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो किन-किन आवासों का और कितना-कितना ? क्या यह सही है कि उक्त आवासों में से मात्र दो आवासों में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो शेष अन्य आवासों में शौचालय का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । अवशेष बचे 10 आवासों में से 7 आवासों में शौचालय निर्माण हेतु आगणन प्राप्त हो गये हैं ।

आवास सं०–1,7,8,9,11,13,17 में शौचालय निर्माण हेतु प्रत्येक के लिये रुपया–18,000/- का आगणन प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

धन की व्यवस्था होने पर ही निर्माण कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल की भांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केन्द्र मेरठ में मिनी सचिवालय की स्थापना की मांग

156—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार उत्तरांचल में स्थापित मिनी सचिवालय की भांति पश्चिमी उ० प्र० के केन्द्र मेरठ में भी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सभी विभागों के जोनल कार्यालयों को मिला कर एक मिनी सचिवालय की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इससे अनेक प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी ।

जनपद हरदोई में माधौगंज बघौली मार्ग से बरैयनपुरवा होते हुए ग्राम बरहस तक खड़न्जा मार्ग को डामरीकरण कराने की मांग

157—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में माधौगंज बघौली मार्ग से वरैयनपुरवा होते हुये ग्राम बरहस तक खड़न्जा मार्ग जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? क्या सरकार उस मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2005 तक तथा अन्य गांवों को 2010 तक लेपित मार्ग से जोड़े जाने की योजना है ।

जनपद हरदोई के माधौगंज मल्लावां रोड से ग्राम सेखवापुर नहर पुल तक बने रोड में ग्राम सुमेरपुर तक मिलाने की मांग

158—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में माधौगंज मल्लावां रोड से ग्राम सेखवापुर नहर पुल तक डामर रोड बना है तथा ग्राम सुमेरपुर तक 3 कि० मी० खड़न्जा मार्ग है ? क्या सरकार उक्त 3 कि० मी० खड़न्जा मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां लेकिन वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सुमेरगंज नाम का कोई ग्राम नहीं है । उसके स्थान पर ग्राम सेखवापुर होते हुए ग्राम सुमेरपुर तक एक मार्ग है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा विषयक मार्ग पर पड़ने वाले सुमेरपुर ग्राम की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से कम होने के कारण सम्भव नहीं है क्योंकि शासन की नीति के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2005 तक लेपित मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

जनपद हरदोई में ग्राम बरहुआ से भड़वल सलेम्पुर होते बरौना तक के खड़न्जा मार्ग को डामरीकृत करने की मांग

159—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम बरहुआ से भड़वल सलेमपुर होते हुये बरौना तक खड़न्जा लगा हुआ है जो जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को सन् 2005 तक लेपित मार्ग से जोड़ने की योजना में यथासमय चयन होने पर कराया जायेगा ।

जनपद हरदोई में माधौगंज बघौली रोड से ग्राम टेढ़िया तक लगे खड़न्जा को डामरीकृत कराने की मांग

160—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में माधौगंज बघौली रोड से ग्राम टेढ़िया तक लगा खड़न्जा जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रोड का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टेढ़िया ग्राम की आबादी 185 है और शासन की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है ।

161-162—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–174 व 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पौड़ी में पश्चिमी वृत्त के कालागढ़ वन प्रभाग में कार्यरत वन श्रम संविदा स० समिति सिद्धपुर एवं वन श्रम संविदा कन्दलाई को वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में आवंटित लाट

163—श्री भारत सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978 से 1980 तक पश्चिमी वृत के कालागढ़ वन प्रभाग जिला पौड़ी में कार्यरत वन श्रम संविदा स० समिति सिद्धपुर एवं वन श्रम संविदा कन्दलाई को 15 प्रतिशत रिबेट की देय धनराशि का भुगतान अभी तक न करने के क्या कारण हैं ? क्या वन विभाग उक्त समितियों का देय भुगतान ब्याज सहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैन्सडौन (पूर्व में कालागढ़ वन प्रभाग) में वन श्रम संविदा समिति सिद्धपुर एवं वन श्रम संविदा समिति कन्दलाई को वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में निम्न प्रकार लाट आवंटित किये गये थे :-

(1) वन श्रम संविदा समिति सिद्धपुर को लाट सं०-32/78-79 आवंटित किया गया । इस समिति को 15 प्रतिशत छूट इस कारण अनुमन्य नहीं की गयी क्योंकि समिति ने लाट के मूल्य में छूट पाने के लिये निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं किये थे तथा इसके सदस्य शत-प्रतिशत श्रमिक नहीं थे।

(2) वन श्रम संविदा समिति कन्दलाई को लाट सं०-122/78-79, 123/78-79 तथा लाट सं०-25/79-80, 33/79-80 आवंटित किये गये थे । लाट सं०-122 व 123/78-79 में अनुमन्य छूंट का भुगतान वर्ष 1998 में किया जा चुका है । लाट सं०-25 व 33/79-80 में अनुमन्य छूट के भुगतान हेतु दिनांक : 26-10-1998 को चेक निर्गत किया गया था किन्तु कोषाधिकारी, लैन्सडौन द्वारा भुगतान पर रोक लगाने के कारण समिति को भुगतान प्राप्त नहीं हो सका । समिति को भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

सम्बन्धित शेष लाटों में अनुमान्य छूट की धनराशि का भुगतान समिति को उक्तानुसार कराया जा रहा है । ब्याज की देयता के सम्बन्ध में जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तरांचल के बेसिक विद्यालयों में ओ० बी० सी० के अप्रशिक्षित अध्यापकों को दीक्षा से मुक्ति की मांग

164—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के बेसिक विद्यालयों में ओ०बी०सी० के अप्रशिक्षित अध्यापकों को जिनकी सेवाएं तीन वर्ष लगातार हो गई हैं ? उनको दीक्षा से मुक्ति देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं ।

जनपद हरदोई के स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा प्रसार अध्यापक की मृतकाश्रित विधवा को देय अवशेषों का भुगतान

165—श्री शिव गणेश लोधी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न सं० –181 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री रमेश चन्द्र वर्मा के अवशेष वेतन

का भुगतान उनकी विधवा पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस विलम्ब के लिए दोषी बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त भुगतान कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भुगतान कर दिया गया है । कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

166—श्री गणेश राजभर–

[1 ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

167-- श्री राजधारी--

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

168—डा० रामबाबू हरित–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

169—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वन विभाग में कार्यरत वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था

170—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में कार्यरत वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रस्तुत किया था ? क्या यह सही है कि उक्त ब्योरे और वर्तमान समय की चल और अचल सम्पत्ति में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके आय के स्रोतों का पता लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

जी हां ।

जी हां, अन्तर होना स्वाभाविक है ।

जी नहीं ।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी सेवा में नियुक्ति के अनेक वर्षों के पश्चात् वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक के पदों पर पदोन्नत होते हैं । दीर्घ सेवा अवधि के दौरान अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों तथा बचतों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने तथा विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपलब्ध अग्रिम सुविधा का उपयोग किये जाने के फलस्वरूप अधिकारियों द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति में वृद्धि किया जाना स्वाभाविक है । अतः समस्त अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है । विशिष्ट मामलों में आवश्यकतानुसार जांच करायी जाती है ।

जनपद हाथरस में श्रीमती हर प्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई को भविष्य में परिषदीय परीक्षाओं के फार्मों का अग्रसारण/परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय

171—श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा समिति ने अपने निर्णय दिनांक 7 अक्टूबर, 98 में श्रीमती हर प्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई, हाथरस को भविष्य में कभी भी परिषदीय परीक्षाओं के फार्मों का अग्रसारण/परीक्षा केन्द्र न बनाए जाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में टिकैतराय एल०डी०ए० कालोनी में प्रथम व द्वितीय तल पर रहने वाले आवंटियों हेतु गाड़ी खड़ी करने हेतु गैराज की व्यवस्था

172—श्री गणेश राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की टिकैत राय एल०डी०ए० कालोनी लखनऊ में प्रथम व द्वितीय तल पर रहने वाले आवण्टियों के वाहन खड़े करने की समुचित व्यवस्था नहीं है और उनके वाहन रात के समय असुरक्षित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वाहनों को सुरक्षित रखने हेतु कोई समुचित व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । टिकैतराय कालोनी के प्रथम एवं द्वितीय तल के कुल 450 आवास के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 39 गैराज उपलब्ध हैं ।

स्थल एवं धन की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद फैजाबाद की ग्राम सभा मेवापुर मुतालके देवगांव में स्थित प्राइमरी पाठशाला में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प स्थापित कराने की मांग

173—श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा मेवापुर मुतालके देवगांव जनपद फैजाबाद में स्थित प्राइमरी पाठशाला में शिक्षारत बच्चों को पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है ? क्या सरकार जनहित में बच्चों के पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु एक इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प उक्त स्कूल में लगवायेगी ? यदि हां, तो हैण्ड पम्प कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

हैण्ड पम्प स्थापना हेतु इस विद्यालय का चयन कर लिया गया है । स्थापना की कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय सिरौली के निर्माणाधीन भवन में कथित रूप से प्रयुक्त घटिया किस्म की निर्माण सामग्री

174—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय सिरौली के निर्माणाधीन भवन में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 1999 में की गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गई ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

शिकायती-पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने का मानक

175—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में एक अध्यापक को कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गयी है ? क्या यह सही है कि पूर्व में एक अध्यापक को 40 बच्चे पढ़ाने तथा अब 64 बच्चों को पढ़ाने का कार्य दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति एक अध्यापक को 40 बच्चे पढ़ाने की व्यवस्था पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

40 : 1 छात्र/अध्यापक का मानक निर्धारित है । प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बिजनौर में स्व० श्री जे० के० श्रीवास्तव अभियन्ता नगीना सहकारी कताई मिल लि० के अवशेषों के भुगतान का प्रकरण

176—श्री सीताराम निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्व० श्री जे०के० श्रीवास्तव अभियन्ता नगीना सहकारी कताई मिल लि० नगीना, जिला बिजनौर का वेतन दिनांक 29-6-91 से 18-9-95, भविष्य निर्वाह निधि, ग्रुप इन्श्योरेन्स, ग्रेच्युटी, आदि देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री राम प्रकाश–

स्व० श्री जे० के० श्रीवास्तव, भूतपूर्व अभियन्ता, नगीना सहकारी कताई मिल लि०, नगीना जिला बिजनौर में दिनांक 29-6-91 से 18-9-95 की अवधि में नगीना मिल में कार्यरत नहीं रहे है । अतएव उक्त अवधि का कोई वेतन नगीना मिल द्वारा देय नहीं है । स्व० श्रीवास्तव का भविष्य निधि अंशदान उनके खाते में जमा हो गया है । ग्रुप इन्श्योरेंश की योजना नगीना मिल में लागू नहीं है । ग्रेच्युटी के मद में रु० 66953/- का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को किया जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर में एल०बी०एस० इण्टर कालेज मथुरा नगर जो अब जनपद महराजगंज में है, के रेगुलर परीक्षार्थियों के हाई स्कूल के मूल प्रमाण-पत्रों की उपलब्धता

177—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के पत्रांक मा० शि०प०/क्षे०का०वा०/आक्षेप 1336, दिनांक 11-8-88 द्वारा एल०बी० एस० इन्टर कालेज मथुरा नगर, गोरखपुर (अब जनपद महराजगंज) के जिन रेगुलर परिक्षार्थियों के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित किये गये थे क्या उनके मूल प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विद्यालय को भेज दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव ।

तदैव ।

तदैव ।

178—श्री दीपलाल भारती–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप सं०–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-98 के अधीन सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2 द्वारा 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुऐ सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के पुनरीक्षण का प्रकरण

179—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप सं०–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-98 के अधीन सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2 द्वारा 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कितने सरकारी सेवकों के पेंशन पुनरीक्षण प्रकरण महालेखाकार कार्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद को संदर्भित किये गये हैं ? उनमें दिनांक 31-10-99 तक कितने मामलों में पुनरीक्षित पी०पी०ओ० जारी किये जा चुके हैं ? क्या यह सही है कि सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–5191/20–ए–2–1999, दिनांक 5-3-99 द्वारा कर्मचारी का पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी का पुनरीक्षित पी०पी०ओ० जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभाग द्वारा

उक्त शासनादेश दिनांक 24-8-98 के प्रस्तर 13 एवं 17 के अनुपालन में महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद में आवश्यक पैरवी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप सं०–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-98 के अधीन 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए 350 सरकारी सेवकों के पेंशन पुनरीक्षण प्रकरण महालेखाकार उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं, उनमें से दिनांक 31-10-99 तक 52 मामलों में पुनरीक्षित पी०पी०ओ० महालेखाकार कार्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–5191/20–ए–2/99, दिनांक 5-3-99 द्वारा श्री धन सिंह, जमादार का पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण, महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद, को भेजा गया था परन्तु महालेखाकार कार्यालय, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा उक्त कर्मचारी का पुनरीक्षित पी०पी०ओ० अभी तक जारी नहीं किया गया है । उक्त कर्मचारी के अतिरिक्त जिन कर्मचारियों के पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा पी०पी०ओ० जारी नहीं किये गये हैं उनके संशोधित पी०पी०ओ० शीघ्र जारी किये जाने हेतु शासकीय पत्र सं०–बी०–5544/20-ए–2/98, दिनांक 24-5-99, अ०शा०प०सं०–बी–2327/20-ए–2/99, दिनांक 6-7-99, अ०शा०प०सं०–बी–3167/20-ए–2/99, दिनांक 14-9-99 तथा अ०शा०प०सं०–बी–4539/20-ए–2/99, दिनांक 21-10-99 द्वारा महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को अनुस्मारक पत्र भेजे गये हैं । पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार मान्यता प्राप्त पत्रकारों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य कराने की मांग

180—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री प्रदेश के 80 प्रतिशत आंचलिक पत्रकारों को तहसील, ब्लाक व नगर के पत्रकारों को जिला स्तरीय पत्रकारों की भांति परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुछ नये विभाग सृजित करने का सरकार का कथित विचार

181—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुछ नये विभाग सृजित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह विभाग कौन-कौन हैं और उनके सृजन का औचित्य क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग की अनियमितता की जांच

182—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या–सी०एम/वि०को०एम–1/21427 गोण्डा 99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० II तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग की अनियमितताओं की जांच बिन्दुवार करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच के परिणाम से सदन को अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां ।

जांच चल रही है, जिसका परिणाम प्रतीक्षित है ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री महेन्द्र सिंह, उप सचिव, कारागार के विरुद्ध लगाये गये आरोप तथा उस पर की गयी कार्यवाही

183—श्री राम नाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह का पत्र दिनांक 2-7-99 तथा सदस्य, विधान परिषद् श्री अक्षय प्रताप सिंह का पत्र दिनांक 11-8-99 प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? जिसमें महेन्द्र सिंह, उप सचिव, कारागार के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

दोनों शिकायती-पत्रों में श्री महेन्द्र सिंह, उप सचिव, उ० प्र० शासन के विरुद्ध अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यहार करने के आरोप लगाये गये थे । आरोपों की जांच विशेष सचिव, उ० प्र० शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग से करायी गयी । जांच में श्री महेन्द्र सिंह के विरुद्ध कोई कदाशयता नहीं पायी गयी है । श्री महेन्द्र सिंह को अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान का पूर्ण ध्यान रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान/शोर)

*श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

अम्बिका जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायेगा।

आज दिनांक 04 जनवरी, 2000 को सदन की संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं–

पहली सूचना श्री राजेन्द्र यादव की है।

(श्री राजेन्द्र यादव सदन में उपस्थित नहीं थे)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

(श्री अम्बिका चौधरी के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, आप स्थान ग्रहण करिये। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। मैं सदन को शाम 6.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दूंगा लेकिन इस प्रकार से कार्यवाही नहीं चलेगी।

मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण 12 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।)

(1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदन में हुई अव्यवस्था के कारण सदन को 2 घंटा स्थगित करने पर श्री अध्यक्ष द्वारा क्षोभ व्यक्त करना तथा सभी सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग की अपेक्षा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष जी, आपने कुछ तथ्यों को इस सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया था और मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित किया था कि वे उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लें। नियम–300 और नियम 301 की सूचनाओं के हो जाने के पश्चात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे सहयोग की आपसे अपेक्षा की जाती है वैसा सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कोई मुझसे उदारता की अपेक्षा भी न करे। यह सदन सबका है। यदि दूसरे के अधिकारों का हनन आप लोग करना चाहेंगे तो यह ठीक नहीं है। सबकी सीमा होती है। मैं चाहता हूं कि यह सदन चले, लोग भाग लें। जहां नियम शिथिल करने की आवश्यकता होगी हम नियम को शिथिल करके कार्यवाही करेंगे। मुझे बहुत दुख है कि दो घन्टे सदन को स्थगित करना पड़ा, मेरे आग्रह पर आपने स्थान ग्रहण कर लिया उसके बाद भी कुछ सदस्यों के आक्रोश और जिद के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कारण मुझे सदन स्थगित करना पड़ा । लाठीचार्ज की आपने सूचना दी है । हम शासन को भी सुन लेते हैं । उसके बाद स्थिति क्या है स्पष्ट हो जायेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के पश्चात हमारे सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये थे लेकिन कुछ एक सदस्यों को थोड़ी ज्यादा पीड़ा थी, जिसके कारण वह वेल में आ गये, नारे लगाये । मुझे भी इस बात का कष्ट है । एक निर्णय आपका हो गया उस निर्णय के जरिये कार्यवाही शुरू हो गई थी, वह अवरुद्ध हो गई । मैं यह भी कहना चाहता हूं श्रीमन् कि आप सदन के संरक्षक हैं । आपसे आशा यह की जाती है, इस पीठ से आशा यह की जाती है कि विपक्ष को संरक्षण मिले और आज पता नहीं श्रीमन्, बहुत ही जल्दी क्यों उत्तेजित हो गये । मैं स्वयं उठकर सबको बैठाना चाहता था और उसके पहले ही आप उत्तेजित हो गये । मैंने सोचा कि थोड़े से गुस्से के इजहार से सब ठीक हो जायेगा लेकिन उसके पहले ही आप उठकर चले गये ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो 12:20 पर हुआ था तब जब सदन व्यवस्थित नहीं हो रहा था और मैं कभी उत्तेजित नहीं होता, दुखी जरूर होता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, आपने मुझे बुला लिया होता । मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं । अब सदन को चलने दीजिये । आज दिनांक 4 जनवरी, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की जाती हैं । पहली सूचना है श्री राजेन्द्र यादव की ।

* श्री बाबूराम–

मान्यवर, धरती त्याग करना छोड़ देगी, चन्द्रमा शीतलता छोड़ देगा तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मा० बाबूराम जी कृपया अब सदन को चलने दीजिये ।

श्री बाबूराम–

मान्यवर, आप मुस्कुराते हुए पीठ पर बैठें यही हम चाहते हैं । हम तो गुस्से के पात्र हैं ही । आपके क्रोध से हम लोगों को बहुत कुण्ठा हुई है । अगर आप हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा देंगे तो हम लोगों का विश्वास जाग्रत होगा । जब आप क्रोधित होते हैं तो हमारा विश्वास टूटता नजर आता है । यह गुस्सा तो आपको उधर करना चाहिए क्योंकि उधर लोग भरे हुए हैं ।

(शोर)

श्री बाबूराम–

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में आप गुस्सा न करें । आप बहुत विद्वान आदमी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोगों का विश्वास टूट रहा है तो मैं इसी क्षण त्याग-पत्र दे दूंगा इस पद से ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबू राम–

नहीं श्रीमन्, ऐसा मत करियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

आज दिनांक 4 जनवरी, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । यदि आप लोगों की अनुमति हो तो ये सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाय ।

(श्री उबैदुर्रहमान जी का नाम पुकारा गया परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे, उनकी सूचना के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से श्री भोला शंकर मौर्य जी की सूचना को लिया गया ।)

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।)

जनपद गाजीपुर में मुख्य शहर की रेलवे क्रासिंग रौजा पर बाईपास या ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र यादव–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत मुख्य शहर में 4-5 डिग्री कालेज हैं तथा 10-11 इण्टर कालेज हैं, रेलवे क्रासिंग रौजा पर प्रतिदिन घन्टों जाम रहता है उसी रोड से रसड़ा से वाराणसी मऊ से वाराणसी चितवड़ा गांव से वाराणसी जमानिया से गाजीपुर मार्ग से 80 प्रतिशत जनता उसी रोड से जिला मुख्यालय पर अपने कोर्ट कचहरी के कार्य से आती है । जाम से कचेहरी के कार्य में बाधा पड़ती है तथा बच्चों के कालेज के घण्टे छूट जाते हैं तथा परीक्षाओं के समय घोर संकट का सामना परीक्षार्थियों को झेलना पड़ता है ।

उक्त समस्या को देखते हुए या तो बाइपास या ओवर ब्रिज का बनाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

उक्त प्रस्ताव के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं ।]

बरेली के पी०सी०एफ० प्रबन्धक द्वारा डी०ए०पी० उर्वरक के लाखों रुपये के घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राम–

[मान्यवर, मैं जिला बरेली के पी०सी०एफ० प्रबन्धक द्वारा किये गये डी०ए०पी० उर्वरक के लाखों रुपये के घोटाले का एक प्रकरण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । माह अक्टूबर, नवम्बर, 1999 में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों में वितरित की जाने वाला खाद जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये है । उक्त प्रबन्धक ने फर्जी तरीके से समितियों के माध्यम से बाजार में बेंच दिया और किसानों के फर्जी नाम लिख दिये गये । इसमें प्रबन्धक के अतिरिक्त उप निबन्धक, सहायक निबन्धक आदि भी सहयोगी रहे हैं ।

उक्त घोटाले के कारण क्षेत्र के किसानों में आक्रोश व्याप्त है एवं जनता आन्दोलित है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मेरा अनुरोध है इस जन विरोधी एवं किसान विरोधी कृत्य करने तथा सार्वजनिक धन का गबन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय एवं किसानों को उनका वाजिब हक दिखाया जाय ।]

जनपद जौनपुर के गडवारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सुजानगंज में 33 के० वी० ए० का सब स्टेशन बनने में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

[महोदय, 20 मार्च, 1999 को मैंने जनपद जौनपुर के गडवारा विधान सभा में सुजानगंज में 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन बनने में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 51 की सूचना दी थी । शासन को त्वरित कार्यवाही का आदेश भी हुआ था परन्तु आज तक स्थिति ज्यों की त्यों है । सन् 1991 से उक्त सब स्टेशन बन रहा है । अभी तक बन नहीं पाया है ।

कृपया इस प्रकरण में अभी तक आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी तथा किसकी गलती से ऐसा हुआ, का पता लगाकर उचित दण्ड तथा तुरन्त कार्य पूर्ण करवाने की कृपा करें ।]

जनपद फतेहपुर के हस्वा क्षेत्रान्तर्गत आसलपुर गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध दबंग लोगों द्वारा की गयी घटना की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र, हस्वा के गाजीपुर थाना क्षेत्र में आसलपुर गांव के श्री सतान चमार, अनुसूचित (चमार) बिरादरी के यहां गांव के दबंग लोगों द्वारा खडन्जा के लगाने के विवाद में मारपीट तथा घर में आग लगा दी गयी, जिससे उसके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया । पूरे गांव में आतंक व्याप्त है तथा इलाका पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया है ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त घटना से गांव में उत्पन्न भय को समाप्त कराया जाये तथा दोषी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाये तथा प्रभावी कार्यवाही कराया जाय ।]

जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में विद्युतीकरण एवं विद्युत लाइनों की मरम्मत हेतु जनपद स्टोर में सामान उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, 334 कालपी विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 1999-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि तथा विधायक कोटे से 23 ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ । धनराशि अधिशाषी अभियन्ता उरई को डी०आर०डी०ए० उरई से अवमुक्त की जा चुकी है । परन्तु स्टोर में पोल तथा कन्डक्टर, क्रास आर्मस, डिस, जी०आई० पिन, उपलब्ध न होने से विद्युतीकरण का कार्य बाधित हो रहा है । ख० बि० महेबा से सधारा उकासा ग्रामों के छः राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों में जी०आई० पिन न होने से विद्युत प्रवाह न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि पलेवा को पड़ी है जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की पृथक-पृथक स्वीकृतियां और पृथक-पृथक धन राशियां होने के बावजूद भी कालपी विधान सभा क्षेत्र के धन के विरुद्ध, उपलब्ध सामान उरई व माधोगढ़ क्षेत्रों में भेज दिया गया । कालपी क्षेत्र के स्वीकृत आवंटित धन के अनुरूप विद्युतीकरण का सामान कालपी क्षेत्र के कार्यों के लिये आवंटित नहीं किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया । सहायक अभियन्ता स्टोर, उरई की पक्षपातपूर्ण नीतियों के तहत ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है तथा न ही ट्यूबवेल चल रहे हैं । किसान पूरी तरह तबाह हो रहे हैं इस समय स्टोर में उपरोक्त कोई सामान उपलब्ध न होने से समस्त कार्य बाधित हैं ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा कला पद हेतु की गई नयी नियुक्तियों में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखीराम जोशी–

[मान्यवर, श्रीमती सुनीता बिजल्वाण ने संयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के विज्ञापन संख्या–1/18-10-97 रा०बा० विद्यालय, गढ़वाल मण्डल में कला पद हेतु स्नातक वेतन क्रम के अन्तर्गत देहरादून डाकघर से पंजीकृत पत्र सं०–ए–541–1 दिनांक 29-10-97 द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था, पोस्ट मास्टर जनरल, देहरादून ने अपने पत्रांक सी०पी०टी०/जन–31 दे०दून/99 दिनांक 1-11-99 द्वारा श्रीमती सुनीता को अवगत कराया है कि उनका आवेदन/रजि० दिनांक 3-11-99 को प्राप्तकर्ता, संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्राप्त करा दिया गया था ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा मई/जून, 99 में जो नियुक्तियां की गई उसमें श्रीमती सुनीता को वंचित रखा गया जबकि मेरिट में उनके अन्य नियुक्त अध्यापकों से उच्च/अधिक अंक थे, श्रीमती सुनीता को नियुक्ति वंचित कर अन्याय किया गया है ।

आपसे अनुरोध है कि उक्त गम्भीर औचित्य के मामले में श्रीमती सुनीता की वरीयता को देखते हुए तत्काल नियुक्ति के निर्देश करें ।]

बदायूं जनपद के बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत जवाहर रोजगार योजना हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि का कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, बदायूं जनपद के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना एवं दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि को निम्नवत् ग्राम पंचायतों ने जमकर दुरुपयोग किया और जो धनराशि को विगत 3 वर्षों में उपलब्ध करायी गयी उसका गबन करके अधिकारियों से मिलकर गबन कर लिये हैं तथा उसके विरुद्ध ग्रामों के व्यक्तियों द्वारा की गयी शिकायतों पर राजनैतिक कारणों से कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण पूरे विधान सभा क्षेत्र में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है, क्षेत्र की जनता आन्दोलित है और किसी भी समय कोई बड़ी घटना क्षेत्र में घट सकती है । ग्राम पंचायतों के नाम यह है (1) ग्राम पंचायत उधैती गवों, (2) उधैती सर्कों, (3) महानगर (4) ग्राम पंचायत खड़ुंआ विकास खण्ड सहसवान, विकास खण्ड अम्बियापुर ठड़ूमर (2) बहनोमी (3) पिडौल (4) खेड़ा पूर्वा (5) गढ़ी (6) जासैनी (7) नागर झूना (8) बादशाहपुर (9) खौतारा (10) बेहटा गौसाई विकास खण्ड बिसौली (1) परौली (2) नागपुर पूरपुर (3) सरैरा (4) तारापुर (5) रतनपुर कोट (6) कोट विकास खण्ड इस्लामनगर (1) खुशहालपुर (2) पुरदलपुर (1) वितौरा कुन्दन (2) व्यौली (3) कौली हरनामपुर ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएव लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय तथा महत्वपूर्ण सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर शासन को निर्देश प्रदान किया जाय कि इस लोकमहत्व की सूचना पर जांच हेतु आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को निर्देशित करें कि उक्त समस्त ग्राम पंचायतों में किये गये घोटालों की जांच बरेली में ग्राम विकास के टी०ए०सी० प्रकोष्ठ से कराने का कष्ट करें ।]

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम इस प्रकार हैं–सर्वश्री (डा०) लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री आर० के० चौधरी, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री सरवर अली * खां, श्री दीपलाल भारती, श्री तेजभान सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री लालजी वर्मा, श्री रामललित चौधरी, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री बाबू खां, श्री राम जग, श्री ददूदू प्रसाद, श्री मुन्ना चौहान और श्री शिशुपाल सिंह यादव ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 जनवरी, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं पहली सूचना डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है ।

संसद की भांति विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने सदन तथा सदस्यों की भावनाओं से सहमत होकर और उनका समादर करते हुए 7 जुलाई, 1998 के उपवेशन में समितियों के गठन की घोषणा की थी और उस पर विचार-विमर्श भी हुआ था कि इस सदन की बजट समितियों का गठन किया जाय ताकि बजट और बिल्स पर सम्यक रूप से विचार-विमर्श हो सके । इसी दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया था । उस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट समितियों के गठन के संबंध में समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर शासन तुरन्त निर्णय ले जिससे कि समितियों का गठन हो सके और बजट तथा बिल्स पर सम्यक् विचार हो सके, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार हो सके ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि इस प्रकरण पर विचार किया गया था । माननीय नेतागण की बैठक में शासन का जो मनतब्य था उस समय वह स्पष्ट कर दिया गया था । अब इसमें आगे कुछ करने की बात नहीं रह जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद में इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

विगत बजट सत्र में मा० ऊर्जा मंत्री द्वारा मा० सदस्यों की सूचना पर उनके क्षेत्र में पांच गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की घोषणा का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पिछले बजट सत्र से पहले वाले बजट सत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में विधायक द्वारा जो 5 गांव दिये जायेंगे, उन गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा । मैंने भी 1998-99 में पांच गांव दिये और वे स्वीकृत भी हुए परन्तु आज की तारीख तक एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ । संबंधित अधिशासी अभियन्ता के पास मैं कई बार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया परन्तु आज तक कोई भी विद्युतीकरण नहीं हुआ । वर्ष 1999-2000 में भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ । जब स्वीकृत ही नहीं हुआ है तो विद्युतीकरण कहां से होगा । जब पिछले साल के ही गांव विद्युतीकृत नहीं हुए हैं तो इस साल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । इसलिये मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इसको सुनिश्चित करवायें कि जो यहां सदन में कहा जाय वह जरूर लागू हो और न लागू होने वाला हो तो कहा ही न जाय ।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, यह सत्य है कि सदन में घोषणा की गई थी और माननीय सदस्यों के गांव चयनित होकर जनपद पहुंच गये हैं । चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से और कुछ विभागीय अधिकारियों की भी लापरवाही रही है जिस कारण से देरी हुई है । माननीय सदस्य ने नोटिस दिया तो उसका संज्ञान लिया है और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विद्युतीकरण की कार्यवाही जल्दी हो जायेगी और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नगत मामला प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 में तो नहीं आता है इसलिये इसको अस्वीकार किया जाता है चूंकि यह विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों और उनके क्षेत्रों से संबंधित है इसलिये ऊर्जा मंत्री और शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । सदन में जो भी घोषणा हो उसका पालन यदि नहीं होता है तो उससे सदन की गरिमा गिरती है । घोषणा न करें तो अच्छा है यदि करते हैं तो उसका पालन होना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन हो रहा है और होगा ।

मेजा और बलिया सहित अन्य बन्द कताई मिलों के सम्बन्ध में सदन में दिये गये आश्वासन के बावजूद अभी तक न चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने निदेश दिये कि सदन में जो घोषणा हो उसका पालन सरकार को करना चाहिए । मान्यवर, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में इन्हीं संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मेजा, बलिया, और जौनपुर की कताई मिलें जो अवैधानिक तरीके से बन्द हैं, सरकारी नियमों का उल्लंघन करके, मिल के हजारों मजदूरों को जो आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं पिछले 14-15 महीने से सरकार उनको वेतन नहीं दे पा रही है । इसी सरकार ने कहा था कि इन मिलों को चलाने के लिये सरकार उपाय करेगी और चलायेगी । मान्यवर, 2-3 बार मीटिंग भी हुई और मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि बजार से ऋण लिया जाय क्योंकि सरकार के खजाने में धन नहीं है, सरकार दिवालिया हो चुकी है इसलिये बाजार से ऋण लेकर इन मिलों को चलाने की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रमुख सचिव, वित्त से मैंने आग्रह करके उनसे गारन्टी भी दिलवाई और 35 करोड़ रुपये बाजार से इकट्ठा भी कर लिया गया और उसके बावजूद 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज यह मिल नहीं चलाई जा रही हैं । न ही इन मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसके लिये पैसा लिया गया था । आज हजारों मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं । सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय । मिलों को चालू किया जाय, उनका आधुनिकीकरण किया जाय और मजदूरों को वेतन दिया जाय । इसका निराकरण शीघ्र होना चाहिए ।

(श्री अम्बरीष कुमार व मुन्ना चौहान जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा० रेवती रमण जी के क्षेत्र का मामला था । इन्होंने पूरी बात कह दी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक एक मिनट सुन लें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

जो प्रश्न मा० रेवती रमण जी ने किया है उस पर उन्होंने विस्तार से बात कह भी दी है और सारे तथ्य सदन के सामने रख दिये हैं । मैं आपके माध्यम से शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो यह प्रजातंत्र की शीर्ष संस्था जो हमारे प्रदेश में है इससे लोगों का विश्वास उठ जायेगा । इसलिये मान्यवर, जो आश्वासन दिया जाय उसको पूरा किया जाना चाहिए । बाजार से पैसा उपलब्ध होने के बाद भी इन्होंने मजदूर विरोधी नीति को जारी रखा है । कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये इन मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाय, न मजदूरों को वेतन दिया जाय, न इन मिलों को चलाया जाय तो इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी । बाजार से जिस उद्देश्य के लिये पैसा लिया तथा उस उद्देश्य के पूरा न होने से बाजार में सरकार की साख खराब होगी । सदन में जो आश्वासन दिया गया उसके पूरा न होने से हमारी विश्वसनीयता और पूरे सदन की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है । इस पर चर्चा करायें और सरकार को निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा की मांग नहीं । यह नियम-300 की सूचना है । चौहान जी पूरी बात तो आ चुकी है ।

* श्री मुन्ना चौहान–

जिस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है नियम 300 के अन्तर्गत जो प्रश्न रेवती रमण सिंह जी ने उठाया है । श्रीमन्, इसी सदन के अन्दर जब इस विधान सभा के बाहर इन मिलों के तमाम हजारों मजदूरों ने आकर धरना प्रदर्शन किया तो इस सम्मानित सदन के अन्दर कुंवर रेवती साहब ने सवाल उठाया था कि किस तरीके से इन मिलों को पुनर्जीवित किया जाय, इनकी तालाबन्दी समाप्त की जाय ? सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया और तदनुसार सरकार से पूंजी का इन्तजाम किया गया लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इन मिलों को चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई । मैं इसी सन्दर्भ में केवल यह बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर घरेलू उद्योग आज बन्द होते चले जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर एक अराजकता की स्थिति पैदा होती जा रही है । हजारों मजदूर सड़कों पर हैं । उन पर आश्रित परिजन की जो स्थिति है यदि आज इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले 1-2 सालों में स्थिति यह होगी कि उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण तालाबन्दी का माहौल हो जायेगा । जिस तरीके से आज मल्टी नेशनल के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि यह उद्योग, यह इकाई घाटे में चल रही थी इसलिये इसको बन्द करना जरूरी था । हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवाद की जो स्थिति है । सरकार की एक जिम्मेदारी है सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में सन्तुलन बनाये रखने की सरकार उसको बनाये रखने में पूर्ण रूप से असफल होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे स्वीकार करें और सरकार जो आश्वासन सदन में दें उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है । बन्द मिलों को चालू करायें आज जो तालाबन्दी की स्थिति है और मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है वह सुधर सके ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय, कुल 23 कताई मिलें हैं जिनकी आई०एम० से अध्ययन कराया गया और उसके अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट प्राप्त की गई । अभी औद्योगिक विकास विभाग को यह आदेश तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने दिये थे कि रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाय । हमारे सामने तीन विकल्प हैं । एक तो डी०एफ०वाई०आर० में दें, निजीकरण करायें और यह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं की नहीं । तीन विकल्पों में कौन सा विकल्प विभाग लेकर आ रहा है मंत्रि-परिषद् की आर्थिक समिति के सामने यह लिया जायेगा । विभाग को निर्देशित किया है कि तुरन्त अपना पक्ष लेकर मंत्रि-परिषद् की आर्थिक समिति में प्रस्तुत करें तब वहां पर विचार किया जायेगा आई०एम० की रिपोर्ट को सामने रख कर जो भी सम्भव होगा कार्यवाही की जायेगी । यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं आग्रह करूंगा, मंत्री जी ने तो नयी बात बता दी, आई०एम० की रिपोर्ट आएगी लेकिन यह जो 23 मिलें हैं उनसे अलग यह तीन मिलें हैं जिनके लिए बाजार से पैसा उपलब्ध करा लिया गया है बाजार से पूंजी निवेश कर लिया गया है । सरकार ने स्पष्ट किया था कि आधुनिकीकरण करायेंगे तो इनको 23 मिलों के साथ जोड़कर कहना सही नहीं है । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि जौनपुर, इलाहाबाद, मेजा, बलिया कताई मिल को आधुनिकीकरण करके चलाया जाएगा । 35 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया गया, अब इसमें रिपोर्ट से क्या लेना-देना । सरकार के आश्वासन का क्या हुआ, मैं आग्रह करूंगा आप सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि यह 23 मिलों के साथ इनको न जोड़े, आधुनिकीकरण के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है उससे आधुनिकीकरण करके इनको चलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको अस्वीकार करता हूं । सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं उसके लिए आश्वासन समिति में पूछा जा सकता है । तीन मिलों को अगर अलग किया गया था, मुझे भी स्मरण है सदन में इसके लिए बात हुई थी और कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं, संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि जैसे पहले बैठकें आयोजित की गई थीं वैसे ही बैठक बुला करके कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

अन्य सूचनायें जो नियम 300 में आई हैं वह प्रथम दृष्टया नियम 300 में नहीं आती हैं । एक अंग्रेजी प्रवक्ता को पेंशन न मिलने के बारे में सूचना दी गई है, किसी प्रवक्ता को पेंशन मिली या नहीं यह सदन से संबंधित नहीं है, दूसरी सूचना रिश्वत वसूल किये जाने के बारे में है, नियम 300 में एक सूचना, अधिकारी के घोटाले करने के बारे में है, एक विकास कार्य पूरा न होने के बारे में है, नियम 300 को देखें ... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालित नियमावली और संविधान के निर्वचन के अनुरूप सदन चलता है ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय, 50 लोग मारे गए हैं मेरी इसके संबंध में सूचना है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय, मेरी सूचना भी है ।

श्री अध्यक्ष–

डा० धर्मज्ञ मिश्र जी, आपकी सूचना नियम 300 में एक अंग्रेजी प्रवक्ता को पेंशन नहीं मिल रही है इस बारे में है, नियम 300 का दुरुपयोग न करें। जिस समय नियम 300 में सूचना देने लगे तो एक बार नियम 300 पढ़ लें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे)

पटेल जी आप बैठ जाएं आपकी सूचना नियम 300 की नहीं है, फिर वही दृश्य उपस्थित हो रहा है। लालजी वर्मा जी आपकी सूचना नियम 300 में नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

मेरी सूचना मध्यांचल के बारे में है।

श्री अध्यक्ष–

आप कैसे बोल रहे हैं आपकी सूचना नियम 300 में नहीं है। नियम 51 और नियम 56 में है।

श्री राम औतार शाक्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जाएगा। श्री भोला शंकर मौर्य और श्री अशोक बाजपेयी की सूचना निरस्त की जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं।

शाक्य जी, मैं सुन नहीं रहा हूं, मिश्रा जी बैठ जाएं, अंग्रेजी प्रवक्ता के बारे में सूचना नियम 300 में नहीं आती है, आप लोग बैठ जाइए, लिखा नहीं जा रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(व्यवधान)

प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं विभिन्न सहयोगी दलों के मंत्रियों को अयोध्या के विवादित स्थल के विषय में परस्पर विरोधी बयानों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मा० डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री रणधीर सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, डा० अशोक बाजपेयी जी की सूचना नियम 300 में नहीं आती है। श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह ने सूचना दी है अयोध्या के विवादित स्थल के विषय पर परस्पर विरोधी बयान प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री एवं विभिन्न सहयोगी दलों के मंत्रियों ने दिया है। नियम 300 में कैसे आयेगा ? सदन के बाहर वक्तव्य दिया है तो यह कैसे आयेगा ? केवल समाचार-पत्रों में स्थान मिल जाय और कुछ ऐसी बात कर दी जाय जिससे अशान्ति पैदा हो यह आप न करें। पहले आप नियम 300 को पढ़िये।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा भी देख लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं पढ़ रहा हूं । औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा । परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो समय की बात है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप अनुमति नहीं दे रहे हैं यह मानकर मैं चल रहा हूं । कृपापूर्वक संविधान का अनुच्छेद 164 को देखें इसमें है (1) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल, मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

तो इसमें कौन सा निर्वचन है ?

श्री प्रमोद कुमार–

आप दो पर आ जायें । मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । मैं इस पर बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन सा कार्य विनियमित होता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

सदन में 15 मिनट पहले तीन कताई मिल से कैसे कार्य विनियमित होता है या फिर पांच गांव में विद्युतीकरण हुआ नहीं है ? इससे कैसे सदन का कार्य विनियमित होता है ? इनसे तो सदन का कार्य विनियमित हो रहा है लेकिन जो मुख्य मंत्री जी और मंत्री परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं उससे यह सदन का कार्य विनियमित नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई नया सदस्य इसको उठाये नियम 300 में तो ठीक भी कहा जा सकता है लेकिन आप तो पुराने सदस्य हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व 164(2) के अधीन है । माननीय मुख्य मंत्री जी और कोई मंत्री जब भी अपना बयान दे तो उसमें एकरूपता होनी चाहिए । इसी सरकार के मंत्रियों ने यह कहा है कि राम जन्म भूमि और अयोध्या का मुद्दा भाजपा के एजेन्डे में नहीं है, प्रधान मंत्री जी कहते है कि राष्ट्रीय एजेन्डे में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन का कार्य कहां विनियमित होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुख्य मंत्री कुछ बोलें, प्रधान मंत्री कुछ बोलें और मंत्री कुछ बोलें....

(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, केवल अखबार में छपवाने की नीयत से यह अव्यवस्था यहां हो रही है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जब आपने एक व्यवस्था दे दी कि नियम के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती तब इसके पश्चात् भी माननीय सदस्य चुनौती देते हैं तो यह तो उचित नहीं है कि बार-बार कह रहे हैं कि यह संगत नियमों में आती है । मान्यवर, इस तरह के विषयों को उठाने वाले माननीय सदस्यों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी कही गयी बात कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो खुद ही पूछ रहा हूं कि नियम 300 में कैसे आती है और उसी दौरान अपनी बात भी कह दे रहा हूं ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अगर इस तरह की बातें कार्यवाही का अंग बनेंगी तो और भी लोग इस तरह की चेष्टा करेंगे । यह संसदीय नियमों का उपहास होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, न मैं इनका उपहास उड़ा रहा हूं न और किसी का, यह जाने इनका दिमाग जाने ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह हमारे दिमाग को चुनौती दे रहे हैं मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बयान को वापस लिया है यह नियम 164 (2) का उल्लंघन करता है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में यह सूचना नहीं आती है, मैं इसको निरस्त करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह समय माफिया सदन का अनावश्यक रूप से समय नष्ट करते हैं, इनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें ।

जनपद बिजनौर में बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 1999-2000 में अधिकारियों द्वारा विधायकों का प्रस्ताव न लेकर अपनी मर्जी से प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद श्री आर० के० सिंह पटेल को सूचना है जो नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड विकास निधि में जो जिला अंश और राज्य अंश का धन विधायकों की संस्तुति पर व्यय होता है उसमें जो हमारे अधिकार हैं उसका जिलाधिकारी ने हनन करके हमारे जनपद चित्रकूट में एक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर्वी-बूडा मार्ग अपनी मर्जी से जिलाधिकारी द्वारा साढ़े चौदह लाख का स्टीमेट बनवाकर प्रस्ताव स्वीकृत करवा लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सभी माननीय सदस्यों को एक परिपत्र मिला होगा जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि जो व्यक्तिगत या क्षेत्र की समस्यायें हैं उनको नियम 51 में देने का कष्ट करें ताकि उन पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सके ।

*श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह नीतिगत मामला है इसमें जिलाधिकारी ने मनमानी की है आप इसमें निर्देश दें कि इस तरह की धनराशि माननीय विधायकों की संस्तुति पर ही व्यय हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शासन का ध्यान इस पर आकृष्ट कर दिया है । मैं इसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि प्रदेश के किसी अन्य जनपद में भी इस तरह की समस्या हो तो उस समस्या का निराकरण कर देंगे ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कक्ष की कही हुई बात का संज्ञान नहीं लिया जाता । कल कुछ बात हुई थी और माननीय सदस्य हमारे इन्द्रजीत सरोज जी और मतेश जी ने कहा कि नोटिस लगाई है नियम 300 में, इनके जनपद में विधायक निधि का पैसा नहीं गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसे नियम 51 में ले लिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियम 51 में होता क्या है ? कल भर तक का सदन है वह कब वक्तव्य के लिए आयेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आज ही उसका समाधान निकाल देंगे ।

विधान सभा के सामने चीनी मिल मजदूरों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा कतिपय विधायकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रकरण को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रातः माननीय नेता विपक्ष ने लाठीचार्ज के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया था । मैंने अनुरोध किया था कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैंने जानकारी प्राप्त की । जानकारी के अनुसार ये उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ के बैनर के अन्तर्गत लगभग 1500 से 2,000 के लगभग कुछ लोग इकट्ठा हुए और जब इकठ्ठे होकर अपनी सभा कर रहे थे तो अति उत्साह में आकर उन्होंने विधान सभा की तरफ मार्ग करने का एलान कर दिया । सब को जानकारी यह है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है और प्रशासन की तरफ से यह आदेश भी हैं कि विधान सभा की तरफ कोई मार्च नहीं करेगा, जो वहां पर पुलिस फोर्स थी उसका दायित्व था कि उनको रोके उन्होंने उस दायित्व का निर्वाह किया और उनको रोका गया किसी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं किया गया और न ही किसी को चोट आई है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, हमारे दल के विधायक श्री राधेश्याम सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल दोनों लोग उपस्थित थे वह सम्बोधित कर रहे थे चीनी मिल कर्मचारियों को और वहां उन्होंने लाठीचार्ज होने की बात यहां सदन में आकर कही और इसी से उत्तेजित होकर सदन का कार्य बाधित भी हुआ । श्रीमन्, इसी उद्देश्य से मैंने अनुरोध किया था कि इस सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को अपनी बात रखनी चाहिए उनको वहां अपनी रखने का अवसर प्रदान किया जाय । उनको अवसर भी आपने प्रदान कर दिया था । यह सही है कि जैसे सदन स्थगित हुआ मैं भी गया मुझसे विपक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं उसमें से सभी दलों के नेता वहां गये थे सब ने जानकारी की थी सबके सामने कर्मचारियों ने बतलाया था कि पी०ए०सी० के लोगों ने लाठीचार्ज किया । अब सत्य उनकी बात है या माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात है, यह मैंने आंखों से देखा नहीं है इसलिये यह कह नहीं सकता । लेकिन यह निश्चित है कि झूठ बोलने वाले को जनता न माफ करेगी और न खुदा माफ करेगा । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों सदस्यों की बात को सुन लें तो आप उससे आश्वस्त हो जायेंगे कि वास्तविकता क्या है ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी संसदीय कार्य मंत्री को विधान सभा के समक्ष घटित घटना के संबंध में वक्तव्य देने का निर्देश दिया था ।

जब विधान सभा का सत्र चलता है तो विधान सभा के समक्ष धरना, प्रदर्शन आदि कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध होता है । इसी सदन में इस बार और इसके पूर्व भी आप इस पीठ पर विराजमान रहे हैं । कदाचित एक सदस्य मैं भी हूं चाहे कनिष्ठ हूं या वरिष्ठ हूं । जब तक सत्र की कार्यवाही चलती है, मैं भी उन सौभाग्यशाली सदस्यों में से हूं, जो सत्र के अन्तिम क्षण तक बैठा रहता हूं, वहां पर साढ़े 10 बजे मैं इसलिये गया था कि मेरा अल्पसूचित में प्रश्न लगा था, मैंने सोचा मैं 5 मिनट संबोधित कर लूं । इस संबंध में कल भी मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुई थी, आपने कल इस विषय को उठाने की अनुमति भी दी थी और कल इसे उठाया भी था । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, चाहे तो आप सदन की समिति बनाकर जांच करवा लें । जो सामने लोहे का फाटक लगा है, वह लगातार बन्द रहता है, कोई इधर आ नहीं सकता है । उधर विधान सभा के सामने दारुलशफा का फाटक भी बन्द था, ताला लगा हुआ था, हजारों की तादाद में वह लोग जिनको पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिला, जो मिलों को चलाने के लिये लगातार प्रयास कर रहे हैं, यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है, वहां भारतीय जनता मजदूर पार्टी के अखिलेश तिवारी भी बैठे हुये हैं, जो पिछले 30 सालों से आर०एस०एस० से जुड़े हैं । उसमें एटक, इंटक के लोग भी हैं ।

आज 18 चीनी मिलें बन्द हैं और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बने । श्रीमन्, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जो सी०ओ० पोस्टेड थे, मैंने पूछा, कहां से आये हो तो उन्होंने बताया कि खीरी लखीमपुर से आया हूं । मैंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं आप मजिस्ट्रेट को बुलवा लें

और इन लोगों को जो ज्ञापन देना हो, वह मुख्य मंत्री को या गन्ना मंत्री को ज्ञापन दिलवा दें । उसके बाद जिधर कृष्णानन्द राय और सरस्वती अम्माल रहते हैं, उधर धरना का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें केवल मैं ही नहीं था, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी थे, तमाम श्रमिक नेता भी थे, जिस समय मैं वहां बोल रहा था, उसी समय श्रमिकों, मजदूरों का जुलूस आ रहा था, उन पर अकारण लाठीचार्ज कर दिया गया, मैंने कहा कि लोगों की कोई जेल जाने की नीयत नहीं है, गिरफ्तारी देने की नीयत नहीं है, आप लाठीचार्ज मत करिये, इसके बाद कुछ मजदूर उग्र भी हुये, मैंने उनको शान्त किया, महिलाओं पर भी लाठी चार्ज हुआ, मैं थोड़ा बच गया अन्यथा मैं भी शायद घायलावस्था में होता क्योंकि सी०ओ० गौतेन्द्र पाल वहां आ गये और उन्होंने मुझे बचाया । बाद में एस०पी० सिटी आये, यहां संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ ।

मैं कहता हूं आप एक समिति बना दीजिये, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वह घटना हकीकत है, सत्य है कि नहीं, यह पता चल जाय । मेरे समक्ष घटना हुई है, उसके बाद वहां अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि पी०एस०सी०, पुलिस के लोग थे, मजिस्ट्रेट हमारे मंच के पास खड़े थे, वह भी हतप्रभ रह गये कि कैसे लाठीचार्ज हो गया, बाद में यह कहा गया कि वह लोगों को उठा-उठाकर अन्दर कर रहे थे । मैं आज तक यह नहीं जानता हूं कि पुलिस और प्रशासन के लोग कैसे उठाकर उनको सभा में ला रहे थे । संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि लोग अति उत्साह में थे । लाठीचार्ज, दुर्व्यवहार मेरे और माननीय सदस्य के समक्ष हुआ है, अब निर्णय आपको लेना है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है ।

* श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन में जितने मेरे माननीय सदस्य बैठे हैं, वह सब माननीय सदस्य, किसानों, मजदूरों के वोट को लेकर यहां बैठे हैं ....

मान्यवर, 18 चीनी मिलें बन्द हैं, जिसमें 11 निगम की चीनी मिलें हैं और 3 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं और एक सरकारी क्षेत्र की चीनी मिल है । वहां के 10 हजार मजदूर अपने घरों से चलकर लखनऊ की धरती पर आए हैं । हमारे सभी माननीय सदस्य जिसके क्षेत्र में चीनी मिलें बन्द हैं आज उस क्षेत्र के किसान और मजदूर आए हुए हैं । हम सदस्यों की मजबूरी है कि हम किसानों-मजदूरों के बीच में जाकर उनकी बातों को उठाये । साढ़े 10 बजे मैं और माननीय जगदम्बिका पाल जी मजदूरों और किसानों की सभा को सम्बोधित कर रहे थे । पहले मैं बोल लिया था, बाद में माननीय जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे । फाटक बन्द था और फाटक बन्द होने के बावजूद पुलिस मजदूरों और किसानों को लाठियों से पीट रही थी । हम लोग मंच से आए, लाठी हम लोगों के ऊपर भी चलायी गयी । यह गंभीर मामला है । यह मजदूरों और किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है । 10-10 महीने से किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं मिला है । यह इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । हम कहना चाहते हैं कि जब-जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी है तो लाठी ही नही, गोली चलाने का काम किया है । हम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहतें हैं कि जो गन्ना मूल्य बकाया हो उसका तुरन्त भुगतान कराया जाये और जो बन्द चीनी मिलें हैं, उसको चलाने की व्यवस्था की जाय और जो कर्मचारियों का वेतन बकाया है, उसको दिलाया जाये । हमारे गोरखपुर मण्डल में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

10 चीनी मिलें बन्द हैं । किसान मजबूरी में क्रेसरों को 30 रुपये कुन्तल गन्ना बेच रहा है । जिन अधिकारियों ने लाठी चार्ज कराया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, उन्हें दण्डित किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल इस विषय पर एक घण्टे का समय लगा था । तथाकथित लाठी चार्ज की बात हुई है । आवश्यक नहीं है कि सभी माननीय सदस्य बोलें ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, मैं दो बातें स्पष्ट कह देना चाहता हूं । गन्ने की समस्या को लेकर चर्चा हुई थी । कल गन्ना मंत्री जी ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस समय मिल बन्द होने या नहीं बन्द होने की चर्चा नहीं हो रही है, इस समय लाठी चार्ज की जो बात है, वह सदन के सामने आयी है । गन्ना किसानों की समस्या को लेकर कल एक घण्टे से अधिक का समय इस पर व्यय हुआ था । कोई आवश्यक नहीं कि सभी माननीय सदस्य विचार व्यक्त करें ।

(व्यवधान)

सामान्यतः कोई माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सूचना देते हैं तो हम उसे सत्य मानते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्यों की सूचनाओं के आधार पर मैंने तुरन्त जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के बाद सदन को सूचित किया गया है । मैं अपनी बात पर कायम हूं । उनको केवल विधान सभा की तरफ बढ़ने से रोका गया है कोई लाठीचार्ज का अवसर नहीं आया है । यहां पर जो बात कही गयी वह राजनीतिक रंग देने के लिए रखी जा रही है । मैं इस बात का खण्डन करता हूं, प्रतिवाद करता हूं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें । अब यह प्रश्न समाप्त हो गया ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, हम लोगों के सामने लाठीचार्ज हुआ है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, हमारे जनपद का सवाल है, हमारी मजबूरी है ।

(श्री राम नक्षत्र एवं श्री विनोद मणि सदन की वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें । सभी माननीय सदस्यों के इस पर विचार आ गये उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रीजी ने अपनी बात रख दी, अब यह प्रकरण समाप्त हुआ । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये किन्तु शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री रामजग, श्री विनोद मणि तथा श्री राम नक्षत्र सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 77वां प्रतिवेदन †

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 77वां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा, उत्तरांचल विकास, नियुक्ति, कार्मिक, गृह/गोपन, संस्थागत वित्त, सिंचाई, कृषि, ग्राम्य विकास विभागों (वर्ष 1982 से 1998) के आश्वासानों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 17वां विशेष प्रतिवेदन †

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 17वां विशेष प्रतिवेदन, जो सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पी०सी०एफ० द्वारा संचालित को-आपरेटिव इ्रग फैक्ट्री, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के संबध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जंगीरोड से बेरहवां चौराहा होते हुए गीता स्वामी तिराहा तक नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अरविन्द कुमार मौर्य व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जंगीरोड से बेरहवां चौराहा होते हुए गीतास्वामी तिराहा तक नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अरविन्द कुमार मौर्य व अन्य निवासीगण, जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपना दिनांक 3 जनवरी, 2000 की बैठक में सदन के दिनांक 4 जनवरी, 2000 से दिनांक 6 जनवरी, 2000 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

सदन का दिनांक 4 जनवरी, 2000 से 6 जनवरी, 2000 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया :–

4 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

नोट :– † छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000––आधा घण्टा,

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000––आधा घण्टा,

(ग) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000––आधा घण्टा,

(घ) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000––आधा घण्टा,

(ङ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण संशोधन) विधेयक, 2000––आधा घण्टा,

3–नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द का चिन्ह "विधि" रख दिया जाय ।"

4–नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

5–ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, दो घण्टे की चर्चा ।

6–प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

7–खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय होने वाली रासायनिक खादों की कमी को दूर करने के विषय में दिनांक 15 जुलाई, 99 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

5 बुधवार

1–निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ।

2–विधायी कार्य ।

3–प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के, अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा।

4–जनपद रामपुर में शुगर कारपोरेशन की चीनी मिल के बन्द होने से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने तथा मिल के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिव बहादुर सक्सेना द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा।

5–प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरण कैटस्कैन मशीन और एम०आर०आई० मशीन उपलब्ध कराये जाने के विषय में दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–14 नत्थी (ग) के संबंध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

6 गुरुवार बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव, जो मा० संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के सामने चीनी मिल मजदूरों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा कतिपय विधायकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार संबंधी प्रकरण को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मान्य परम्परा रही है जब इसी सदन में निर्वाचित होकर शपथ ग्रहण करके जो सदस्य बैठे हैं अगर वह कुछ कहते हैं तो यह माना जाता है कि वह सच कह रहे हैं। अभी श्री जगदम्बिका पाल जी ने व श्री राधेश्याम जी ने वृतान्त बताया कि किस तरह से विधान भवन के सामने घटना घटित हुई। उसके बाद नेता विरोधी दल उप नेता श्री राम तेज जी बसपा के तीन नेता, मैं स्वयं, लोक दल के नेता, जनता दल के नेता, कम्युनिष्ट पार्टी के नेता सभी लोग घटनास्थल पर गये थे। हम लोग वहां देखकर आए हैं। जो घायल हैं उनको हम लोग देखकर आये हैं जिन लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है उन लोगों को हम लोग देखकर आये हैं।

मान्यवर, इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता है कि विधान सभा से 100 कदम की दूरी पर हुई घटना को देखकर हम लोग आएं उसका स्वरूप बताएं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने जिन लोगों ने यह बर्बर लाठीचार्ज किया है उनके बयान पर आधारित बयान पढ़कर अपनी बात को सच साबित करने पर तुले हैं। इससे ज्यादा दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। दो सदस्य कह रहे हैं हम सब लोग

कह रहे हैं क्योंकि हम लोग देखकर आये हैं कि वहां लाठी चार्ज हुआ है, वहां लोग घायल पड़े हैं उसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी पर अमादा हैं । कृपापूर्वक आप इसी विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बना दें वह चली जाए वह समिति शाम तक आपको रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे जिससे सही तथ्य का पता चल जाय । अगर लाठी चार्ज की बात उसके बाद गलत साबित हो जाए तो जो सजा हमें मुकर्रर की जायेगी हम उसे स्वीकार करेंगे अन्यथा संसदीय कार्य मंत्री हमारी चुनौती को स्वीकार करें कि बल प्रयोग नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने परम्पराओं का भी उल्लेख किया इस सदन की एक परम्परा यह है कि किसी भी प्रश्न की ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया जाये जो कि किया जा चुका है । यदि कोई माननीय सदस्य इस सदन में कोई बात कहता है तो उसके आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है । मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने, जो सूचना प्राप्त हुई वह कहा । हमारी नियमावली में प्राविधान है यदि कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो इसके लिए हमारी नियमावली में प्राविधान है । यहां विरोधाभास है । कुछ माननीय सदस्य एक बात कह रहे हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं । आप सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सूचना देंगे तो मैं कार्यवाही कर लूंगा । हमारे नियमों में यह प्राविधान है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्मरण दिला दूं कि इससे पूर्व जब आप इसी सीट पर विराजमान थे, सत्ता पक्ष एक बात कह रहा था तो विपक्ष दूसरी बात कर रहा था । यही स्थिति थी, तो आपने एक निर्णय दिया था जिसमें आपने श्री भाल चन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जो गाजीपुर गई और जांच कर अपना निर्णय दिया । जिसके अनुसार सरकार का बयान गलत साबित हुआ । आपने नियमावली में प्राविधान की बात कही तो मैं यह बात आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

शासन ने इस बात को स्वीकार किया था । बाद में श्री भाल चन्द्र शुक्ल के स्थान पर श्री ज्ञानेन्द्र कुमार को नियुक्त किया गया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

एक तरफ सारे दलों के नेता जो बात देख कर आ रहे हैं । जिस घटना का ब्योरा दे रहे हैं । स्पष्ट प्रमाण देने को तैयार है और दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं यह सब गलत है । आप एक समिति गठित कर दे जो सच और झूठ को अलग-अलग कर देगी । इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण और क्या हो सकता है कि सरकार गलत बयानी कर रही है, सदन को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है ? यह सरकार चीनी मिल मालिकों के हाथों बिक चुकी है । इस सरकार के विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

नेत विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, हमारे दो माननीय सदस्य लाठीचार्ज के समय उपस्थित थे । उन्होंने जो सूचना दी उसके आधार पर यहां चर्चा करने का भी प्रयास किया । आपने कहा मैं नियम 300 और 301 लेने के बाद सुन लूंगा । हमारे कुछ माननीय सदस्य जिन्होंने घटना को प्रत्यक्ष देखा, जो घटना से संबंधित थे और स्वयं भी उससे पीड़ित थे, उत्तेजित हुए और फ्लोर पर आ गये । इस सारे प्रकरण के बाद हम सब लोग गन्ना किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों, मजदूरों के पास गये, वहां गये जहां वह लोग बैठे थे, उन्होंने बतलाया, सारी घटना का विवरण हमें दिया । माना कि हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग,

संसदीय कार्य मंत्री जी सही बोल रहे हैं तो इस सच और झूठ का निर्णय कौन करेगा ? यह चेयर करेगी, आप करेंगे क्योंकि कि आप सक्षम हैं । हम लोग जो कहते हैं उसका सही झूठ का निर्णय इसी सीट से होता है । आपको ही निर्णय लेना होगा । इस विधान सभा की तीन सदस्यीय समिति बना दीजिए जो मौके पर जायजा ले और उसके पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करे । कल घोषणा करे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है ? जब आप निर्णय करने में सक्षम है और आप अपने अधिकार की उपयोगिता नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष–

आप सुसंगत नियमों में सूचना दे दें । जब मेरे सामने सूचना आयेगी तो मैं निर्णय दे दूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, हम यह नहीं चाहते कि कोई विवाद उत्पन्न हो । अगर आप विपक्ष के सदस्यों की समिति गठित नहीं करना चाहते तो मैं सत्ता पक्ष के दो-तीन सदस्यों के नाम बता देता हूं । आप उनसे जांच करवा लें । मुझे उन पर पूरा भरोसा है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों के नाम बता दूं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर सुसंगत नियम के अन्तर्गत सूचना आयेगी तो मैं उस पर विचार करके संबंधित समिति को भेज दूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह तो टालने वाली बात है । सामने में बात हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में हमेशा प्रत्यक्ष बात होती है । एक बात सत्ता पक्ष कहता है और एक बात विपक्ष कहता है ।

श्री धनीराम वर्मा–

संबंधित नियम में भी हम जो बात कहेंगे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात कहेंगे, स्थिति तो वही आयेगी जो स्थिति आज है ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सारे तथ्य आदरणीय सदन में आ गये हैं । इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं । माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने आपसे निवेदन किया है कि जो यह विधान सभा के सामने घटना हुई है न वह सत्ता पक्ष से संबंधित है और न ही विपक्ष से संबंधित है । प्रदेश के सभी किसानों और मजदूरों की यह समस्या है । अभी समाजवादी पार्टी का विशेष अधिवेशन देवरिया में चल रहा था तो किसानों ने हमें रोक-रोक कर हम लोगों से कहा कि हमारे ऊपर समस्या आ गई है । इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी 17 तारीख से समूचे उत्तर प्रदेश में आन्दोलन करने जा रही है । आज आपसे केवल इतना निवेदन है कि जो घटना विधान सभा के सामने में आज हुई है और वह भी इस आदरणीय सदन के चलते हुए, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ । आज सारे प्रदेश के किसान और मजदूर यह देखना चाहते हैं कि उनके ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सदन क्या निर्णय लेने जा रहा है ? यह सरकार किसान विरोधी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अब नहीं लिखा जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में हमने नेता प्रतिपक्ष के विद्वतापूर्ण विचारों को सुना उन्होंने कहा कि जब विवाद हो और आपका कथन कुछ और है और हमारा कथन कुछ और है तो एक समिति का गठन कर दिया जाये। मान्यवर, लोकतंत्र के इतिहास में तो यह है ही कि पक्ष और प्रतिपक्ष विवाद के लिए ही होता है।

खाली एक अवसर को छोड़कर जब कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का विषय आता है सदैव विवाद रहा है। आप कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। हम तथ्यों पर आधारित बात कहते हैं और तथ्यों को उजागर करते हैं। इसमें समिति बनाने का मामला कहां से आ गया। अगर कुछ विवाद की बात है तो कुछ संगत नियम हैं उसमें आप निर्णय देते हैं। आप मामला उठा लें और निर्णय हो जायेगा उसके अन्तर्गत। बार-बार यह कहना कि कमेटी गठित की जाय, यह कोई बात नहीं है। हमारा आपका विवाद होता रहा है। मैं आपकी इस बात का प्रतिवाद करता हूं और जो मैंने पहले कहा था उसके ऊपर बल देता हूं कि कहीं कोई लाठी चार्ज वहां पर किसी प्रकार का नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने जो भी व्यवस्था देनी थी, दे दी है।

श्री धनीराम वर्मा–

सत्ता पक्ष झूठ बोलने पर उतारू हो गया है। यह चीनी मिल मजदूरों की ही समस्या नहीं है यह तमाम विधायकों को झुठलाने की बात है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है बहुत ही गंभीर है। आप कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये आज तैयार नहीं है। इसलिये इस सत्ता पक्ष की जो झूठी सूचना है उसके विरोध में और चीनी मिल मजदूरों की जो गहन समस्या है उसके विरोध में हमारा दल विधान सभा के सदन के फ्लोर पर धरना देगा और तब तक नहीं उठोगा जब तक कि यह माफी न मांग लें।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी व अन्य द्वारा नियम–216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 को मैं कल तक के लिये स्थगित कर देता हूं।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को श्री अजय भट्ट द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–169 के उत्तर के संबंध में सहकारिता मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (पटेल रामकुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–169 के उत्तर के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं, जो निम्नलिखित है :–

शोधन वक्तव्य

प्रश्न संख्या	प्रश्न	विधान सभा में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
1	2	3	4
अतारांकित प्रश्न संख्या–169	(क) क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील स्थित "सरस्वती ऊलेन मिल्स लि०" को पुनः चालू करवाने हेतु शासन द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया ? (ख) क्या उक्त प्रतिष्ठान को पुनः चालू करवाने की कार्यवाही की जायेगी ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	(क) सरस्वती ऊलेन मिल्स लि० वी० आई० एफ० आर० में संदर्भित थी । वी० आई० एफ० आर० ने दि० 12-1-1994 को "बाइण्डिग अप" के आदेश दे दिये । (ख) प्रश्न ही नहीं उठता । (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।	अतारांकित प्रश्न संख्या–169 का उत्तर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर तथा जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा से प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया था । जिला उद्योग केन्द्र तथा निदेशक, उद्योग के पत्र से स्पष्ट कि बी०आई०एफ०आर० द्वारा सरस्वती ऊलेन मिल्स को बाइण्डिंग अप किये जाने की तिथि की सूचना 28-3-94 के बजाय 12-1-94 अंकित करने में त्रुटि अवश्य हुई है, परन्तु इसका उद्देश्य शासन को गलत सूचना भेजने/मा० सदन को गुमराह करने जैसी मंशा नहीं थी और न ही किसी का कोई गलत उद्देश्य ही सिद्ध होता है। बी० आई० एफ० आर० द्वारा कम्पनी को बन्द करने की सूचना का तथ्य सही है केवल तिथि ही संयोगवश गलत है । विधान सभा प्रश्नों का उत्तर भेजते समय कई स्तरों से सूचना संकलित की जाती है और सही उत्तर देने का पूरा प्रयास रहता है । बी० आई० एफ० आर० का निर्णय पांच वर्ष पुराना था और वह भी एक निजी इकाई के संबंध में था इसलिए ऐसे निर्णयों की सूचना सदैव शासन स्तर पर सुलभ नहीं रहती है । जिला उद्योग केन्द्र एवं निदेशक उद्योग के स्तर से जो गलती हुई वह परिस्थितिजन्य ही हुई और इसमें कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है ।

1	2	3	4
			2–उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 166(2) के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्कालीन महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा को सूचना भेजने में बरती गयी असावधानी/लापरवाही के लिये चेतावनी दे दी गई है ।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2000 †

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठकर नारे लगाते रहे ।)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नोट :–† दिनांक 31-1-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†† दिनांक 18-1-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[redacted] †

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

[redacted]

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 4-1-2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से लाटरी के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को आश्यता हेतु सुना जावेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । मैं श्री बुनियाद हुसैन अंसारी को बुला रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना का भी विषय लगभग यही है । इन दोनों सूचनाओं को क्रमबद्ध कर दिया गया है । आपको इसके बाद सुन लूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस बिन्दु पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं यह उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकरों से जुड़ा हुआ है । आज लाखों बुनकर भुखमरी की कगार पर पहुंच गये है और उसका कारण यह है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार बुनकरों से कर्ज वसूल कर रही है, ईद के मौके पर जेलों में बन्द किया जा रहा है, वसूली के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है और वहीं सरकार का यह आदेश है कि उत्पीड़न न किया जाय । वसूली अगर देते हैं तो ले ली जाय । लेकिन इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बुनकरों को बन्द किया जा रहा है और सरकारी आदेशों की

नोट :– † दिनांक 24-1-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

अवहेलना की जा रही है और बुनकरों का जो पैसा है, जो यू०पी० हैण्डलूम कारपोरेशन है, कानपुर ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बुनकरों का माल क्रय कर लिया और उसमें ज्यादा सीतापुर जनपद का है दरियां क्रय की और आज ढाई तीन साल हो गये हैं, पिछले सत्र में माननीय हथकरघा वस्त्र उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि बुनकरों का भुगतान ईद के पहले कर दिया जायेगा, लेकिन पिछली ईद बीत गयी और पैसा का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रदेश के किसी जनपद में 10 प्रतिशत से ज्यादा पैसे का भुगतान नहीं किया गया है । दूसरी ईद आ गई है । 8 या 9 तारीख को होने वाली है और उनके बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि उनके पास सिवाईयां खरीदने के लिये पैसा नहीं है तो जिस तरह से अपने धन की वसूली यह सरकार कर रही है जब वे पैसा बुनकरों को देगी तो क्या वह ब्याज सहित देने का प्रयास करेगी और दूसरा यह पैसा ईद के पहले देगी ? मान्यवर, करोड़ों रुपये का भुगतान, जो बड़े-बड़े लोग हैं उनसे, कमीशन लेकर किया जा रहा है । लेकिन जो छोटे-छोटे बुनकर हैं उनका पैसा यह कहकर कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है नहीं किया जा रहा है । यह बड़ी ही गंभीर विषय है और अहम विषय है । आज प्रदेश के लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गये हैं ।

मान्यवर, बुनकर तड़प-तड़प कर मर रहे हैं और उनके हाथों में जो दस्तकारी कूट-कूट कर भरी है वे हाथ आज रिक्शा चला रहे हैं या सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहे हैं । सरकार उनको आर्थिक सहायता नहीं दे रही है तो जो उनकी पूंजी है, हथकरघा निगम में है उसका भुगतान ब्याज सहित किया जाय और ईद से पहले किया जाय ।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, यह पावर लूम बुनकरों का कुटीर उद्योग जो है यह करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी दिये हुये हैं । अकेले अम्बेडकर नगर में कम से कम दो लाख लोगों को यह उद्योग रोजगार दिये हुये हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में 50 हजार से ज्यादा पावर लूम चल रहे हैं । जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ है । मेरठ, मुबारकनगर इसी तरह से प्रदेश के तमाम अन्य क्षेत्रों में भी इस पावर लूम कुटीर उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला हुआ है । आज सरकार की गलत नीति के कारण, विद्युत विभाग की गलत नीति के कारण यह कुटीर उद्योग पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर खड़ा हुआ है । सारे बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं उनको विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से नहीं मिल रही है ।

अम्बेडकर नगर में आज 6-7 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है आपने विद्युत की दर भी बहुत बढ़ा दी है । मिनिमम चार्ज ढाई गुना बढ़ा दिया है । महाराष्ट्र में यह प्रति हार्सपावर 160 रुपये रेट इसका फिक्स है । इन्हीं शेष मांगों को लेकर पिछले आठ महीने से बुनकर आन्दोलित हैं, उनका कहना है कि हमारे जो मीटर हैं, बिजली विभाग वाले उसमें लूट करते हैं जिससे बिजली विभाग को भी नुकसान होता है, उनका कहना है कि कम से कम 22 घण्टे बिजली दी जाय और बिजली का फिक्स रेट कर दिया जाय, हमारे मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि यह प्रदेश उद्योग वाला प्रदेश बने । हमारे अम्बेडकर नगर में बुनकरों के आन्दोलन के कारण कानून व्यवस्था की भी स्थिति पैदा हो रही है, लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं । लोग सिंचाई के लिये पलायन भी कर रहे हैं । आप चाहे 150 रुपये रेट फिक्स कर दें, या बढ़ा दें उनको सस्ता कपड़ा मिलता है, आप बुनकरों की ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, टाण्डा का टेरीकाट 20-20 रुपये में मुहैय्या हो रहा है आज इतना सस्ता कपड़ा हम मुहैय्या करा रहे हैं जिससे कि गरीबों का भला हो रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अविलम्बनीय प्रश्न पर उनकी जो जायज मांग है वह पूरी हो सके इसलिए आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने का काम करें । यह अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है, तात्कालिक है और करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, विद्युत की आपूर्ति और राजस्व की वसूली एक दूसरे के पूरक हैं । माननीय सदस्य विद्युत की आपूर्ति की बात तो करते हैं लेकिन राजस्व की वसूली के प्रति सहयोग की बात नहीं करते हैं । मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् जब दरें तय करता है तो समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करता है और उसके बाद वह उसे कैबिनेट में भेजता है जहां विद्युत की दर तय होती है । जिस समय पावरलूम की दरें तय हो रही थीं तो उनकी एसोसियेशन के लोग आये थे और उनके अनुरोध पर कैबिनेट ने उसे घटाया था । अब ये लोग सामूहिक रूप से हमारे परिषद् के अभियन्ताओं को घुसने नहीं देते हैं ।

मान्यवर, 2 श्रेणी हैं एक-एलएमवी–2 और दूसरी एलएमवी–6, एलएमवी–2 छोटे वालों को और एलएमवी–6 बड़े पावरलूम वालों को मिलती है । लेकिन यह एक परम्परा बना ली गयी है अपना एक अधिकार समझ लिया गया है कि विद्युत इस्तेमाल करेंगे और बिल नहीं देंगे तो इसमें सरकार कार्यवाही करेगी । मऊ या कुछ अन्य जनपद में यह हुआ कि बिल नहीं देंगे तो हमने सेक्शन–3 और सेक्शन–5 की कार्यवाही शुरू करी है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली की बिल की अदायगी को जब तक प्राथमिकता पर नहीं लायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । बिल न दे और बिजली का उपयोग करें, सस्ती बिजली की मांग करें इसको सरकार नहीं स्वीकार करेगी । मेरा अनुरोध है कि वे लोगों से कह दें कि बिल दें नहीं तो सरकार सख्ती करके वसूली में कोई कोताही नहीं करेगी क्योंकि और भी बिजली देनी है जनता को । मान्यवर, न तो सरकार उनको भुखमरी के कगार पर खड़ा कर रही है और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादती हो रही है, केन्द्र सरकार सब्सिडी देती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको खारिज कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यहां दो प्रकार के विचार आये हैं ग्राह्यता पर ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है । इसलिये मैं इस पर चर्चा की मांग कर रहा हूं । इसके फिक्स रेट कर दें जिससे कि उसकी चोरी बन्द हो जाय । मैं विद्युत विभाग की सहायता के लिए इस मांग को उठा रहा हूं । इसका मीटर हटाकर जो फिक्स रेट बनता है महाराष्ट्र की तरह, जैसा उन्होंने कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 160 रुपया कर दिया है इसी तरह से माननीय मंत्री जी विचार करके फिक्स करने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिस बात का उल्लेख किया बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने मैं उस बात से सहमत हूं सीतापुर में बुनकरों की हालत खराब है और यह भी सही है कि उन्होंने वर्ष 1997-98 में 15 लाख 98 हजार की दरी हथकरघा निगम को सप्लाई की थी । इसमें जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं, दोनों की स्थिति बराबर है । हथकरघा निगम की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है और बुनकरों की तो स्थिति खराब है ही । कुल 15 लाख 98 हजार की जो दरी खरीदी गई थी, उसमें से 5 लाख 91 हजार की वापस कर दी गई थी । बाकी के भुगतान में डेढ़ लाख का भुगतान दिनांक 17-3-99 को हो गया, उसके बाद डेढ़ लाख का भुगतान दिनांक 9-7-99 को हो गया । अभी 7 लाख 16 हजार बाकी है, चूंकि हथकरघा निगम की हालत देने की नहीं थी, इसलिये यह भुगतान नहीं हो पाया । हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका भुगतान करा दिया जाय ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ब्याज सहित पैसा अदायगी की जायेगी । मान्यवर, इस पर चर्चा मंजूर कर लीजिये । सरकार का जवाब पूरा नहीं है । 3-3 साल से पैसा पड़ा हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने स्वयं बताया कि 1997-98 में माल खरीदा गया था । इसमें सीतापुर वाले भी आपके ही हैं और हथकरघा निगम वाले भी आपके ही हैं । निगम बन्द करने की बात करो तो बुनकरों की हालत खराब हो जायेगी । कहते हैं, बुनकरों को बेरोजगार किया जा रहा है । मैं तो स्वयं चाहता हूं कि बुनकरों का भुगतान कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री लालजी वर्मा की सूचना पर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय ऊर्जा मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं ।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा पुनः बोलने का प्रयास किये जाने पर)

मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसी संदर्भ में कुछ और माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, थोड़े से परिवर्तन के साथ । उस समय जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो उस समय स्पष्टीकरण ले लीजियेगा ।

दूसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह की है ।

श्री लालजी वर्मा–

मेरी जो सूचना थी, उससे संबंधित यदि कुछ और सूचनायें हैं तो इसी के साथ उनको भी ले लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, यह जिद क्यों ? तीसरे नं० पर जो सूचना है, वह इससे संबंधित है । मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपकी एक-एक शंका का निवारण माननीय मंत्री जी से करा दूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

जब आप अध्यक्ष पीठ से स्वतः इस बात से संतुष्ट हैं कि तीसरी नोटिस पर जब चर्चा होगी, तब इसका उत्तर आयेगा तो फिर अभी इसको अग्राह्य किये जाने का औचित्य बनता नहीं है । ऐसा भी नहीं है कि अभी इसका पूरी तरह निराकरण हो गया है, अभी पूरा उत्तर आया नहीं है तो फिर उसको सुनने से पूर्व अग्राह्य किया जाना उचित नहीं होगा ।

श्री राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद पावरलूम ही एक ऐसा कुटीर उद्योग है जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ऐसे में सदन नहीं चल सकता ।

* श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, सरकार बुनकरों के साथ उपेक्षित रवैया अपना रही है । यह कुटीर उद्योग दिन प्रतिदिन जो प्रदेश का 70 प्रतिशत कपड़ा उत्पादन करने का काम करता है, बर्बादी की ओर अग्रसर है । इस उद्योग से जुड़े हुए हजारों बुनकर 10 माह से आन्दोलित हैं, अपनी 6 सूत्रीय मांग को ले करके । उत्तर प्रदेश में बुनकरों की बिजली दर को जो 125 रुपये न्यूनतम था, उसे बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया । जो 250 रुपये था उसे 365 रुपये कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश में हम प्रति यूनिट के हिसाब से लेते हैं, जबकि महाराष्ट्र में प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिजली मुहैया करायी जाती है । मध्य प्रदेश में 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मुहैया करायी जाती है, जबकि हमारे प्रदेश में इसको 3.65 रुपये की दर से मुहैया कराया जाता है ।

मान्यवर, मैं बाल श्रम का विरोधी हूं लेकिन इस उद्योग में जो बच्चे लगे हैं, यह एक शिक्षा है । आज बाल श्रमिकों को जो किसी उद्योग में सीख रहे हैं उनके मालिकों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है । यह ऐसा हुनर है जिसको बड़ी उम्र होने के बाद वह सीख नहीं पायेगा । इसलिये मैं मांग करता हूं कि बाल श्रमिकों को जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनके मालिकों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए । मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के विधान सभा की छाती पर लगभग 10 लाख से अधिक बुनकर जो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकें हैं । उनकी 6 सूत्रीय मांग है, वह धरना पर बैठे हैं । उनकी मांग न्यायसंगत है । मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी 6 सूत्रीय मांग जो है उस मांग को उचित मानते हुए उनके धरने को न्यायसंगत तरीके से समाप्त कराया जाय । पहली उनकी मांग है यह कि बुनकरों के पावरलूम को दी जाने वाली विद्युत की दर प्रतिमाह फिक्स की जाय । यह कि पावरलूम बुनकरों को सस्ती दर पर विद्युत सप्लाई की जाये ।

तीसरी यह कि मार्च, 1999 से विद्युत मूल्य में की गयी वृद्धि को वापस लिया जाये । यह कि बुनकर बहुल क्षेत्रों में कम से कम 22 घण्टे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित की जाये और बुनकरों के विद्युत बकाये को माफ किया जाये । मान्यवर, एक पावरलूम पर लगभग 8 व्यक्ति काम करते हैं और उन्हें केवल 5 या 6 घण्टे विद्युत मिलती है । कभी-कभी हफ्तों बिजली नहीं मिल पाती है । जो एक पावरलूम पर 8 व्यक्ति कार्य करते हैं, उनको 8 घण्टे काम करना चाहिए जबकि वे केवल 5-6 घण्टे ही काम कर पाते हैं, बिजली की कमी के कारण । तो जो व्यक्ति एक पावरलूम पर लगे हुए हैं तो वे भुखमरी की कगार पर पहुंचेंगे ही । प्रदेश के कुटीर उद्योग के विकास का प्रश्न है । इससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं,उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए सारे सवालों को स्थगित करते हुए उस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

*डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, यह एक ज्वलन्त समस्या है । इसका अन्दाजा माननीय मंत्री जी को नहीं होगा जो लखनऊ में रहकर बिजली की स्थिति को देख रहे हैं । बुनकरों को बिजली नहीं मिल रही है, पावर लूम बन्द हो रहे हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जब मध्य प्रदेश में बिजली की रेट फिक्स है, यदि महाराष्ट्र में बिजली का रेट कम है तो क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण वर्ग को जो गरीब है, यह सरकार की उदासीनता है और सरकार की कैसी सोच है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश की भांति उत्तर प्रदेश में भी बिजली का रेट फिक्स किया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ ही साथ बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाय । मंत्री जी का कहना है कि वह पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी कमाई से ज्यादा पैसा मांगा जायगा तो वह कहां से देंगे ? माननीय मंत्री जी के जिले हरदोई में 24 घंटे बिजली दी जाती है और हम लोग अपने शहरों में बिजली 2-3 घंटे भी नहीं देख पाते हैं, तो हरदोई की तरह हम लोगों को भी 24 घंटे बिजली दी जाय । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मानवीय आधार पर विचार करते हुए सरकार इन लोगों के प्रति न्याय करे और इस मामले पर कार्य स्थगित करके चर्चा करायी जाय ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, इस उद्योग में बाल श्रमिक लगे हैं इस उद्योग के मालिकों को जेल भेजा जा रहा जो उचित नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने पहले भी सदन में कहा है मीटर से बिजली सप्लाई की जायगी और रीडिंग के हिसाब से उनको बिल देने में क्या तकलीफ है ? माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि मीटर हटा दें और फिक्स्ड चार्ज कर दें । इससे चोरी को बढ़ावा मिलेगा । यह सरकार विद्युत चोरी को कतई बढ़ावा नहीं देगी । अगर यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार विद्युत दरों में ज्यादती कर रही है तो नियामक आयोग बन गया है उसके सामने जायं । बिजली के रेट वह तय करेंगे । विद्युत बिल जमा न करने के कारण आर० सी० जारी की गयी हैं । अगर बिजली के बिल को अदा नहीं करेंगे तो सरकार और राज्य विद्युत परिषद् उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसान सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराता है इसलिये उसको छूट दी जाती है । कृषि के बाद यह सबसे बड़ा उद्योग है । कपड़ा सबसे ज्यादा जीवन उपयोगी वस्तु है और करोड़ों बुनकर इस काम में लगे हैं और वह सस्ती दर पर कपड़ा उपलब्ध कराते हैं । अगर इस दृष्टि से देखें तो बुनकरों को सहूलियतें दें । जब मंत्री जी यहां पर बैठते थे तो बुनकरों के हित में बड़ा भाषण देते थे । महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें फिक्स रेट पर बिजली दे रही हैं तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रति हार्स पावर के हिसाब से नहीं दे सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का कहना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फिक्स्ड रेट पर बिजली दे रहे हैं क्या यहां पर इसी तरह बिजली देना संभव है, अगर नहीं तो क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, जिस समय इस प्रदेश में बिजली की दरें तय हो रही थीं उस समय नियामक आयोग बन गया था । श्रीमन्, अगर बिजली का उपयोग करेंगे और बिल नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ? आप उनकी मांगें देख लें । मीटर हटाये जायं, आर०सी० वापस ली जायं, बिजली का पैसा माफ किया जाय । मान्यवर, बिजली की जो दरें तय की गयीं थी उसको कैबिनेट मीटिंग में घटाया भी गया था फिर भी जिद पर अड़े हैं । गांवों को सस्ती दर पर बिजली दी जाती है इसके लिये सब्सिडी दी जाती है वह पैसा कहां से आयेगा ? बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे तो परिषद् का कार्य कैसे चलेगा ? अगर बिजली के बिल नहीं दिये गये तो सरकार और भी सख्त कार्यवाही करेगी ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम नक्षत्र, माननीय डा० वकार अहमद, माननीय लालजी वर्मा को सुनने एवं मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुये निरस्त करता हूं ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, सरकार की बुनकर विरोधी नीति के कारण मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सरकार की बुनकर विरोधी नीति के कारण मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम ललित चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम नक्षत्र सदन त्यागकर चले गये ।)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, होटल में खायेंगे और उसका बिल नहीं देंगे तो होटल बन्द हो जायेगा ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैन साहब को कभी-कभी दौरे पड़ते हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि जैन साहब को आगरा भिजवाने का कष्ट करें । क्योंकि इनकी बातों से हाउस में कभी उत्तेजना न फैल जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जैन साहब स्वयं चिकित्सक हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मानसिक रोग तो किसी को भी हो सकता है । मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के मामले को इस सदन में उठाना चाहता हूं । हमारे संविधान में समाचार पत्र जगत को चौथा स्तम्भ कहा गया है । ये अखबार और अखबार नबीस इस देश की सेवा इस ढंग से करते हैं और खासतौर से लघु और मध्यम अखबार ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक हर वर्ग के लोगों में जाकर समाचार इकट्ठा करके और उसको प्रसारित करके हर वर्ग की सेवा करते हैं और मान्यवर, इसीलिए सरकार ने एक विज्ञप्ति /जी०ओ० के द्वारा यह व्यवस्था की थी कि 70 फीसदी विज्ञापन इन्हीं लघु और मध्यम/ग्रामीण अखबारों को दिया जाय, लेकिन 1996 में तत्कालीन सरकार ने जो विज्ञापन समिति थी उसको भंग करने का काम किया और आज यह होता है कि इन अखबारों को विज्ञपन के नाम पर कुछ मिल नहीं पाता है और उससे ये अखबार संचालित नहीं हो पा रहे हैं । इससे एक बहुत बड़ा वर्ग इन समाचार-पत्रों के बन्द होने से वंचित हो जायेगा ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि उस विज्ञापन समिति को फिर बनाया जाये और 70 फीसदी विज्ञापन इन लघु मध्यम समाचार-पत्रों को दिया जाय जिससे समाज में जो यह सेवा कर रहे हैं और हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उससे हमारे तमाम पत्रकार भाई हैं उनकी जीविका चल रही थी वह इन समाचार-पत्रों को विज्ञापन न मिलने से अधर में लटकी हुई है ।

इससे यह भी संभव है कि जो बड़े पैमाने पर जो अखबार चल रहे है वह बन्द हो जायेंगे । अतः आप अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रकरण आपके सामने और सदन के सामने प्रस्तुत किया ।.उसके सम्बन्ध में कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं । मान्यवर, 31 जनवरी, 1991 को एक नियमावली बनायी गयी थी जिसको संशोधित करके 21 फरवरी, 1991 को एक विभागीय आदेश जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विज्ञापन वितरण नीति के बिन्दु-7 में स्पष्ट किया गया था कि प्रदेश के कुल बजट का यथा संभव 70 फीसदी लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों के लिए उपयोग हो । साप्ताहिक समाचार-पत्र को एक वर्ष में यथासंभव टेण्डर सहित 10 पृष्ठ का विज्ञापन जारी किये जाये और इसी बिन्दु संख्या–11 में यह भी कहा गया था कि विज्ञापन बिलों का भुगतान 7 दिनों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट द्वारा कराया जाये और यदि उसमें विलम्ब हुआ हैं तो कारणों की छानबीन की जाये ।

मान्यवर, हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश कर रहे हैं । इस युग में भी हमारे लघु और मध्यम समाचार-पत्र हमारे आंचलिक संस्कृति की रक्षा करते हैं, उसका सम्बर्द्धन संरक्षण करते हैं और बड़े समाचार-पत्र जिन स्थानीय समस्याओं को स्थानाभाव के कारण स्थान नहीं दे पाते, उन समस्याओं को उठाने का काम भी करते हैं । अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं कि लघु और मध्यम समाचार-पत्र इस प्रदेश की 16 करोड़ लोगों, ग्रामीण लोगों से भी सीधे-सीधे जुड़े हैं और समाज के निम्नतम व्यक्ति से इनका सीधा संवाद है । यह एक ऐसा श्रम साध्य कार्य है पूंजी के अभाव में साधन के अभाव में लघु और मध्यम समाचार-पत्रों के जो संवाददाता हैं, सम्पादक हैं, मालिक हैं किसी प्रकार इन समाचार-पत्रों को चला रहे हैं । यह बहुत ही कठिन कार्य है इस कठिन कार्य को दुष्कर बनाने का काम यह सरकार कर रही हैं, जो घोषित विज्ञापन नीति है, उसका पालन भी नहीं हो पा रहा है उनको 10 पृष्ठ के टेंडर का विज्ञापन नहीं मिल रहा है । 70 फीसदी बजट लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को आवंटित करने की बात थी उसका भी पालन नहीं हो रहा है । दूसरी बात यह है कि विज्ञापन भी जो उनको मिलते हैं उसका भुगतान नहीं होता है उसके लिये मालिकों को लखनऊ और सूचना विभाग के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उनकी चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन भुगतान नहीं होता । बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेते अखबारों को विज्ञापन देकर इस धनराशि को बरबाद कर रहे हैं तथा सबको समान रूप से विज्ञापन नहीं मिल पा रहे हैं । इससे पूरे प्रदेश के लघु और मध्यम समाचार-पत्रों के मालिकों, कर्मचारियों और संवाददाताओं में रोष की स्थिति बनी हुई है । हमारे यहां महामहिम राज्यपाल महोदय गये थे उनको भी ज्ञापन दिया गया था, लगातार धरना, प्रदर्शन, जुलूस हो रहा है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्य स्थगन करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

जिस महत्वपूर्ण विषय पर श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार जी ने इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया यह वास्तव में ऐसा विषय है । एक तरफ हम कहते हैं कि समाचार-पत्र लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है आजादी से लेकर आज तक हमारे देश के लोकतंत्र ने एक रास्ता तय किया है उसमें इन छोटे, लघु, मध्यम ग्रामीण अंचलों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की बड़ी भारी भूमिका है । यह छोटे समाचार-पत्र न केवल ग्रामीण अंचलों में बल्कि दूरस्थ अंचलों में समाचार पहुंचाने का काम करते हैं । इनमें लेबर इंटेंसिव है यह किसी बड़े भारी आधुनिक प्लांट में काम नहीं करते हैं बल्कि मैनुअल तरीके से इनमें छपाई का काम होता है । चाहे पल्स पोलियो कार्यक्रम हो, चाहे कुष्ठ रोग निवारण का

कार्यक्रम हो उसमें जनजागृति करने का काम यह समाचार-पत्र ज्यादा करते हैं, जो राष्ट्रीय समाचार-पत्र हैं, जो बड़े समाचार-पत्र हैं वह ग्रामीण जनता तक ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिये उनको जो विज्ञापन दिलाये जाते हैं उसका कोई लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं मिल पाता, कोई जानकारी उस तक नहीं पहुंच पाती है, लिहाजा जो ग्रामीण क्षेत्र के लघु और मझोले समाचार-पत्र हैं, उनके बारे में नीति निर्धारित की गई थी कि 70 फीसदी विज्ञापन इनको दिया जाएगा । क्योंकि जो राष्ट्रीय कल्याण के कार्यक्रम होते हैं उनका प्रचार-प्रसार करने में यह छोटे और लघु समाचार-पत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । इसलिये विज्ञापन का अधिक से अधिक हिस्सा इनको दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप विद्वान सदस्य हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अपनी बात कहें ।

* श्री मुन्ना चौहान–

जो छोटे, मझोले समाचार-पत्र हैं उनको विज्ञापन आज की तारीख में दे भी दिये जा रहे हैं तो उसके भुगतान की समस्या होती है । उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि सूचना निदेशालय के चक्कर काटते रहें । कुल मिलाकर लघु और मझोले समाचार-पत्रों की जो भूमिका है उसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है । मैं प्रार्थना करूंगा कि यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, यह प्रदेश के जन-जन से संबंधित है, प्रदेश की ग्रामीण जनता के हक का सवाल है । इन छोटे और मझोले अखबारों में काम करने वाला मजदूर जो है, कर्मचारी जो है आज अपना पेट नहीं भर पा रहा है । आज देश के अन्दर सवाल उठ रहा है, सूचना अधिकारों को मौलिक अधिकारों में बदलने की बात उठ रही है । यह छोटे अखबार ग्रामीण, दूरदराज, की जनता तक समाचार पहुंचाने में अपनी अहम् भूमिका अदा करते हैं । यदि इन अखबारों को काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो यह बन्द हो जायेंगे । यदि इनको बन्द करने के लिये मजबूर किया जायेगा तो फिर इसका क्या मतलब कि जो सूचना अधिकारों को मौलिक अधिकारों में तब्दील करने पर विचार हो रहा है । मान्यवर, इस सरकार का आचरण छोटे अखबारों के विपरीत है । यह सरकार छोटे अखबारों की विरोधी है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाये ।

श्री राधेश्याम सिंह, विधायक को गिरफ्तार किये जाने की सूचना

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ हजार मजदूरों को, किसानों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है । श्री राधेश्याम सिंह समेत अन्य कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसों में भर-भर कर जेल भेजा जा रहा है । मान्यवर, यह सरकार किसानों की दुश्मन है, मजदूरों की दुश्मन है । यह सरकार किसानों की जायज मांगों को दबाना चाहती है । देवरिया के रामकोला में मजदूरों पर गोली चलाई गई । हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि श्री राधेश्याम समेत अनेक कार्यकर्ताओं को, मजदूरों को कौन सी धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है और कहां भेजा जा रहा है । मान्यवर, यह प्रथा है, यह व्यवस्था है कि यदि कोई माननीय सदस्य जेल में निरुद्ध भी है या गिरफ्तार किया जा भी चुका है उसे संसद की प्रोसीडिंग में लाया जाता है । मान्यवर, यह सरकार विधायकों को इस सदन में आने नहीं देना चाहती है । यह सरकार उन विधान सभा सदस्यों के खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्यवाही कर रही है जो इस सदन में आना चाहते हैं । यह सरकार उन विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है जो मजदूरों, गन्ना किसानों, जनता की आवाज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सदन में उठाना चाहते हैं । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदेश दें इस सरकार को कि उन विधायकों को तत्काल यहां बुलवाया जाये ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिन सम्मानित सदस्य का संदर्भ यहां दिया गया है वह सुबह कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे । सदन की कार्यवाही से कौन उनको बाहर ले गया और किसने उनको बाहर जाने के लिये प्रेरित किया ।

मान्यवर, सदन की कार्यवाही सुबह 11.00 बजे से चल रही है और उस समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे । यदि उनको सदन में भाग लेने से रोका गया होता तो तब यह सवाल उठता परन्तु यहां पर तो दूसरी बात है । सदन की कार्यवाही को कोई महत्व न देकर वह बाहर किसी जलसे में भाग लेने चले गये । इतनी महत्वपूर्ण कार्यवाही को छोड़कर वह बाहर चले गये । यदि वहां पर वह कोई अवरोध पैदा कर रहे होंगे तो जो कुछ भी कार्यवाही वहां पर हुई होगी, वह हुई होगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह एक गैर-जिम्मेदाराना उत्तर है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है । मान्यवर, इस सदन में कुछ ऐसे दल हैं जिनका न तो किसानों से कोई लेना-देना नहीं है । छदम् तरीके से उन्हें उकसाने का काम कुछ दल करते हैं, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है और अपनी तुच्छ राजनीति करने के लिये वह इस फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं । बार-बार कोई न कोई सवाल उठाकर इस सदन को स्थगित करने का काम करते हैं । किसानों और मजदूरों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है । एक कार्यवाही चल रही थी, उसी बीच दूसरा प्रकरण उठा दिया गया । कुछ माननीय सदस्य जो चाहेंगे क्या वही होगा ? सभी माननीय सदस्यों का बराबर का अधिकार है । अनुचित विषयों को उठाकर इस फ्लोर का अनुचित प्रयोग कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं । अधिकार सबका बराबर है । कुछ माननीय सदस्य जो चाहेंगे क्या वही होगा ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ पर भी आक्षेप किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीठ भी भ्रमित है और पीठ को मिसलीड किया जा सकता है । मान्यवर, सदन के फ्लोर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मैंने यह कहा कि कई अन्य मामलों में भी निरुद्ध माननीय सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने के अनुमति दी जाती रही है परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथ्यों को दूसरे ढंग से यहां पर रख रहे हैं । मैंने यह कहा कि सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये कुछ विशेष प्राविधान हैं और उन विशेष प्राविधानों के तहत निरुद्ध माननीय सदस्यों को लाया जाता रहा है । परन्तु यह सरकार विद्वेषपूर्ण ढंग से कार्यवाही कर रही है और नाजायज तरीके से अपने पुलिस का इस्तेमाल करके श्री राधेश्याम जी को गिरफ्तार कर लिया गया है इसलिये मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में शासन को निर्देशित करें और विधायक जी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु बुलवायें क्योंकि इस सरकार का चेहरा तो पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सदन कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा । कुछ माननीय सदस्य अनावश्यक विषयों को यहां पर लाकर सदन को स्थगित करवा देते हैं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही यहां पर चल रही है और सदस्य को यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, राधेश्याम सिंह जी को गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना इस आदरणीय सदन में माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी ने दी । श्रीमन्, यह सूचना को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि यह सदन के समय की बर्बादी की जा रही है और मनमाने ढंग से सदन चलाये जाने की बात कही जा रही है । इससे ज्यादा दुःखद पहलू क्या हो सकता है कि किसी विधायक के साथ सरकार या अन्य कोई किसी प्रकार की घटना घटित करता है उसकी सूचना अगर सदन में दी जाती है तो वह समय की बर्बादी है । इससे ज्यादा बिडम्बना मैं समझता हूं कि और कुछ हो नहीं सकती है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं सुन लें कि मनमाने ढंग से एक क्षण सदन नहीं चलाया जा सकता है । मनमाना कानून तो आप पास कर सकते हैं और जनता पर कानून लाद सकते हैं लेकिन मनमाने ढंग से सदन नहीं चला सकते हैं । न चला पाये हैं । न चला पायेंगे । यह सदन मनमाने ढंग से नहीं चलाया जा सकता है । यह मैं चैलेंज करता हूं । आप चलाकर देखिये ।

श्री हुकुम सिंह–

हम सारी बात सहन कर सकते हैं लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष का क्रोध हम सहन नहीं कर सकते हैं । आपका बड़ा सम्मान है । सारा सदन आपका सम्मान करता है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप अकेले सम्मानित करेंगे तो सम्मानित थोड़े हो जायेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

चूंकि आप सम्मान के योग्य हैं इसलिये हम आपका सम्मान करते हैं । आपने चेतावनी की बात कही है । आपको चेतावनी देने की क्या आवश्यकता है ? आपके मुख से चेतावनी शब्द शोभा नहीं देता है ।

* डा० धर्मज्ञ मिश्र–

हमारे दो साथी सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कार्य स्थगन के रूप में कुंवर रेवती रमण सिंह, अम्बरीष जी व मुन्ना जी ने जो सवाल उठाया था उस प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक लघु और मध्यम समाचार-पत्र का प्रश्न है उनका महत्व है । उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है । समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । एक समय था जब गांवों में, छोटे कस्बों में, शहर में समाचर-पत्र पढ़े जाते थे । असली जागृति विज्ञापन से नहीं आई कहीं और से आयी है ।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

हमारे दल के दो सदस्य गिरफ्तार किये गये हैं । उनको यहां कार्यवाही में भाग लेने के लिये बुलाया जाय । यह इस तरह से कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर ग्राह्यता के संबंध में अपनी बात कह रहे थे । उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिये उसके बाद आपकी जो व्यवस्था होगी उसे मैं सुन लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी अनुमति से उपस्थित किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आ जाने दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया उस पर व्यवस्था आ जाए तब आगे कार्यवाही चले ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी, मैंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

व्यवस्था के तहत निराकरण हो जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

इस संदर्भ में कुछ कहने के पहले मैं भी अनुभव करता हूं कि लघु मध्यम श्रेणी के कितने समाचार पत्र हैं, इनके बारे में गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिये । इसका संदर्भ लेते हुए आप कुछ कहेंगे तो ठीक रहेगा ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र के बराबर बोलने के कारण व्यवधान हो रहा था)

श्री हुकुम सिंह–

जिस नीति का उल्लेख सूचना में किया गया है उसका पालन किया जा रहा है । नियमित प्रकाशित होने वाले जो समाचार-पत्र हैं उनको उसी रेशियो में विज्ञापन दिये जा रहे हैं, कुछ कठिनाइयां हैं उसका समझना पड़ेगा । राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्र हैं वह विभिन्न जनपद और मंडलों से प्रकाशित होने लगे, उनको हर जिले में लगाना शुरू कर दिया, वह गांव-गांव में जाने लगे, तो चुनौती कहां से आई इसको समझना चाहिये । केवल विज्ञापन के आधार पर समाचार-पत्र प्रकाशित हों यह संभव नहीं है उसके लिये

पाठक चाहिये, रीडर चाहिये, उनकी संख्या चाहिये । इसी तरह से निजी क्षेत्र के विज्ञापन चाहिये, उस स्रोत पर पाबन्दी लगी है, प्रतिबन्ध लगा है क्योंकि सूचना के विभिन्न क्षेत्र खुल गये, रेडियो और टी० वी० हो गये, विभिन्न क्षेत्रों में अखबार छपने शुरू हो गये । आपके निर्देश का पालन किया जाएगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मेरा निवेदन है, चुनौती कहां से मिली मेरा यह प्रश्न नहीं है मेरा प्रश्न है, नियमावली 2 फरवरी, 1991 को बनाई गई जिसका रेलीवेंट सेक्शन पढ़कर मैंने सुनाया । सरकार उसको बदल रही है या नहीं ? अगर सरकार उसे नहीं बदल रही है तो सरकार उसको लागू करेगी या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक विज्ञापन समिति के गठन का प्रश्न है वह प्रक्रिया में है, जो नियमावली 1991 की है, जैसा कि बताया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं अग्राह्य पाते हुये इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम सिंह, विधायक को गिरफ्तार किये जाने की सूचना (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्,मेरा दुर्भाग्य है कि इतने विस्तार में बात रखी, लेकिन समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप रामलालित और अम्बिका के बीच में फंस गये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि सदन की कार्यवाही के दौरान अगर किसी मुकदमें या अन्य किसी कारण से भी इस सदन के सम्मानित सदस्य जेल में बन्द होते हैं तो सदन में कार्यवाही में भाग लेने के लिये, मतदान के अवसर पर, मतदान ही नहीं दूसरे अवसरों पर भी माननीय सदस्य की सदन में उपस्थिति के लिये विशेष प्राविधान हैं । यहां तक कि मान्यवर, सजायाफ्ता और ज़ेरे तजबीज लोगों को लाने की भी व्यवस्था की गई है । राधेश्याम जी इस सदन के सदस्य हैं उन्होंने इस सरकार के किसान विरोधी रवैये पर विरोध को दर्शाने पर, उन पर लाठी चार्ज किया गया और माननीय अध्यक्ष से अपनी पीड़ा को कहने का जब उन्होंने काम किया, तो यह सरकार इतनी जालिम है कि जब सदन स्थगित हुआ तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि मैं कार्यवाही की बात नहीं कर रहा हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी शायद डर रहे होंगे कि कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, आज हमारी मांग यह है कि पूर्व के दृष्टान्तों को सामने रखते हुए जो विधान सभा सदस्य होने के नाते उनको अधिकार है, उसको सुरक्षित रखते हुए तत्काल श्री राधेश्याम जी और श्री विश्वनाथ सिंह जी को उपस्थित किये जाने के लिये सरकार को निर्देश देने की कृपा करें । बाकी बातें तो हम कल करेंगे ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सूचना अभी दी गयी है मैं इस सूचना के आधार पर जानकारी कर लूं तभी कहना उचित होगा । जो थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी, परम्परा और मर्यादाओं की जानकारी है, वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये आ रहे हों, लेकिन यहां तो सदन की कार्यवाही को छोड़कर जा रहे थे । उन्होंने यहां की कार्यवाही का महत्व नहीं समझा और वहां पर चले गये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज अनुदान की मांगों पर मतदान होना है और यह सरकार जो डरी हुई है कि अल्पमत के कारण गिर जायेगी, सदस्य को बाहर गिरफ्तार कर लिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तो उप नेता हैं । कोई साधारण सदस्य बात कहे तो कोई बात नहीं है । किसने आग्रह किया था कि सदन को छोड़कर चले जायें ? आपने किया हो तो किया हो हमने नहीं किया था । जब उन्होंने सदन के महत्व को नहीं समझा तो क्यों परेशान आप हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप सूचना एकत्र करके, कुछ समय जितना लगे, उसके बाद वस्तुस्थिति से यहां पर बता दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मतदान के पहले ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस तरह की बात स्वीकार नहीं करूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आज की सदन की समाप्ति के पूर्व सूचना दे दूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मतदान से पहले ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं समझता । यह दुराग्रहपूर्ण है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहली सूचना बुनकर के संबंध में, दूसरी सूचना भी बुनकर के संबंध में और फिर तीसरी सूचना भी बुनकरों के संबंध में है । तीनों सूचनाएं एक ही विषय से हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि इसको एक ही मान लिया जाय और 6, 7 तथा 8 वीं सूचना को ले लिया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर बाद में विचार कर लूंगा । अब मैं चौथी सूचना ले रहा हूं ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, शिक्षा नीति के संबंध में जो नियम–56 के अन्तर्गत मेरी सूचना है, उस पर बोलने का अवसर आपने दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आप इस बात से सहमत हैं कि इस प्रदेश में शिक्षा नीति की स्थिति इतनी खराब है कि अन्य समस्यायें भी पैदा हो रही है, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिक वाद और वर्णवाद का जहर पनप रहा है । प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का जो सवाल है, उच्च शिक्षा का जो सवाल है, आज स्थिति अच्छी नहीं है । व्यवस्था है कि 800 की आबादी पर या कम से कम 3 कि०मी० दूरी पर यह प्राविधान है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेंगे । इस मानक के हिसाब से कम से कम 2 हजार विद्यालय होने चाहिये । जो पुराने मानक हैं उसमें भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कराने में सरकार असफल रही है । उच्च प्राथमिक की स्टेज तक आने पर 40 प्रतिशत छात्र शिक्षा से वंचित हो जाते हैं । बालक और बालिकाओं के मध्य 4 : 1 का अनुपात है इस तरह से न बालक शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और न बालिकायें । 426 ऐसे विकास खण्ड हैं जहां पर बालिकाओं के लिये भी न तो कोई शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं न अर्द्ध शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं । अभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश की देश की जातिवाद की व्यवस्था अच्छी है, मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूं अगर कोई बात वैज्ञानिक चिन्तन के खिलाफ हो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । जो शिक्षा नीति है उससे जातिवाद, वर्णवाद बढ़ा है, हमने तो वर्गविहीन समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज की जो कल्पना की थी । आज आवश्यकता जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिये । मुख्य मंत्री जी यह बताते हैं इस प्रदेश की जाति व्यवस्था यूनिक है तो प्रदेश कैसे आगे चलेगा । दोहरी शिक्षा नीति यहां पर है, एक तरफ अंग्रेजी स्कूल हैं दूसरी ओर आर० एस० एस० के विद्यालय हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पुनरावृत्ति न करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

1991 से लेकर 1999 के बीच जो शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है वह 16 प्रतिशत बढ़ा है वहीं अध्यापकों का प्रतिशत 4 प्रतिशत (चार गुना) बढ़ा है छात्रों के प्रवेश की समस्या है पाठ्यक्रम की जो स्थिति है, वर्णवाद जातिवाद कभी उपयोगी रहे होंगे आज के समय में उपयोगी नहीं हैं । डेढ़ हजार राजकीय माध्यमिक विद्यालय और ढाई सौ राजकीय विद्यालय हैं जो अध्यापक विहीन हैं क्या आपकी शिक्षा चल पायेगी ? भवनविहीन, छतविहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हजारों में है । न प्राथमिक विद्यालय के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और न माध्यमिक विद्यालय के छात्र सही शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं उच्च शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब है जो आपकी प्राथमिक शिक्षा नीति है उसको रोजगार परक नहीं बनाया गया है यह बहुत अहम् सवाल है, लोक महत्व का है इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य बड़े जोश से बोले । शायद जानकारी आपको होगी कि अभी तक पूरे प्रदेश में एक लाख 37 हजार विद्यालय प्राइमरी और जूनियर के रूप में खोले जा चुके हैं । 39 जिले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वी० पी० योजना के अन्तर्गत सेचुरेट हो गये हैं, 38 जिले और ले लिये गये हैं । मान्यवर, उस योजना के अन्तर्गत हर 3 किमी० पर एक जूनियर हाईस्कूल और हर डेढ़ कि०मी० पर प्राइमरी पाठशाला और अगर डेढ़ कि०मी० पर आबादी बढ़ी है गांव की तो एक कि०मी० के अन्दर पर प्राइमरी पाठशाला खोलने का प्राविधान है । मान्यवर, वी०वी०पी० के अन्तर्गत 38 जिले और ले लिये गये, 39 पूरे हो गये हैं और इन 38 जिलों में हर डेढ़ कि०मी० पर एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कर दी जायेगी और 3 कि०मी० पर जूनियर हाई स्कूल, डेढ़ कि०मी० पर प्राइमरी पाठशाला की स्थापना कर दी जायेगी । उच्च शिक्षा की बात कही गयी । उच्च शिक्षा की एक नीति पहले से चली आ रही है । हमारे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों से ही सम्बद्ध हो करके डिग्री कालेज बनते हैं ।

सरकार ने अपनी सोच के अनुसार किया है, आप डिग्री कालेज स्थापित करना चाहें तो आपका स्वागत है, न जाने कितने डिग्री कालेजों विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव आये हुए हैं और इसके लिये सम्भवतः अगले सत्र में एक विस्तृत विधेयक लाया जायेगा कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने की क्या योजना है ? मान्यवर, जो आज प्रश्न उठाया गया है तात्कालिक नहीं है इतना विस्तृत है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय तक पहुंच गये और अब स्थिति यह है कि कार्य-स्थगन के रूप में यह स्वीकार नहीं होना चाहिये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मेरे मैनपुरी जनपद में राजकीय इन्टर कालेज में 6 में से 5 प्रवक्ता के पद रिक्त हैं । क्या महीने भर में जितने पद रिक्त हैं उनको भरवा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

उनको तनख्वाह दीजिये और रख लीजिये क्या दिक्कत है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, क्या 15-20 दिनों में रिक्त प्रवक्ता के पद को भरवा देंगे । हम कोई चपरासी नहीं है कि मंत्रियों के दरवाजे-दरवाजे पर अप्लीकेशन लेकर दौड़े, मैंने कह दिया और यह सदन की सम्पत्ति हो गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वह कहते हैं और फिर पीछे देखते हैं लगता है कि वह मानसिक रूप से यहां नहीं है ।

मान्यवर, जो दिक्कत है, कठिनाई है उसको देखते हुए सरकार ने यह किया है कि विषय-विशेषज्ञ के रूप में भर्ती की जाय और जहां कमी है, उसकी भर्ती की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं सूचना को अग्राह्य करते हुए इसको निरस्त करता हूं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, आपको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह विगत दो वर्ष से मिलीजुली सरकार चल रही है लेकिन यह पूरी तरीके से हरिजनों के खिलाफ है, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ है । अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत कितने गांव पूरे उत्तर प्रदेश में लिये जाते हैं उनका संतृप्तीकरण नहीं हो रहा है, न सड़कें बनाई जा रही हैं यह योजना या तो लागू न की जाये और जब लागू कर दी गयी है तो उसको चालू करने के स्पष्ट निर्देश दिये जाये । हर वर्ष 10 गांव चुने जाते हैं उनको सेचुरेट कर दिया जायेगा लेकिन धन तो है

नहीं । जिला योजना की बैठक में अधिकारी यही बात कहते हैं कि धन नहीं है । सड़कों के निर्माण के लिये धन नहीं है, कैसे सड़क बन जायेगी ? मेरे जिले के एवं प्रदेश के वरिष्ठ विद्युत मंत्री से आदेश करवाया कि गांवों का विद्युतीकरण करवा दीजिये उसी के परिपेक्ष में, मैं, सदस्य वितरण, जो शक्ति भवन में बैठते हैं, वहां आदेश लेकर गया कि मल्लावां के निकट के अम्बेदकर गांव जो सम्भवतः 15 गांव हैं, उनका विद्युतीकरण कर दिया जाय, लेकिन आज तक एक भी अम्बेदकर गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ, न उनके पुरवों का विद्युतीकरण किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मिश्र जी, कृपया अपने को ग्राह्यता तक सीमित रखें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, अम्बेदकर गांव के लिये अलग से शासन के आदेश हैं लेकिन उसके लिये बजट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था की जाय और हर अम्बेदकर गांव का व उसके पुरवों का तथा गांव में पाये गये हर वार्डों का विद्युतीकरण किया जाय, तब हम इस सरकार को जानें की यह गरीबों की सरकार है, हरिजनों की सरकार है, हम जानें की अनुसूचित जाति के लोगों की सरकार है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वह आज ही इसके आदेश करें । सदन में घोषणा करें । कल्याण सिंह जी का तो कल्याण हो गया, उन्होंने गरीबों, कर्मचारियों तथा हरदोई चीनी मिल मजदूरों की रोजी रोटी लेकर हत्या कर दी थी । हरदोई की मिल बन्द करा दी, आज चीनी मिल के कर्मचारी जब प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है । आज जब गन्ना किसान, विधान सभा के सामने आन्दोलन करके अपने हक को मांग रहे हैं तो उन पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कीजिये, आपकी आगे कोई बात अंकित नहीं की जायेगी ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य डा० धर्मज्ञ मिश्र ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, इन अम्बेदकर गांवों के संबंध में 11 कार्यक्रम थे, जो सरकार द्वारा चिन्हित किये गये थे ।

श्री अधिष्ठाता–

जैसी ओजस्वी वाणी में माननीय सदस्य ने समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उससे थोड़ा कम ओजस्वी वाणी में आप भी अपने विचार रखें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने भी काफी रिसर्च की है लेकिन दूसरा ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है । आप भी सारे खड़े हो जायें तो भी बराबर नहीं होंगे ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

तो मैं बता रहा था कि यह कार्यक्रम है स्कूल भवन, किसान पेंशन, स्वच्छ शौचालय, इन्दिरा आवास, नाली खड़ंजा, सम्पर्क मार्ग, विधवा पेंशन और ग्रामीण विद्युतीकरण आदि । मैं बताना चाहूंगा कि जब किसी गांव का चयन अम्बेदकर गांव के रूप में हो जाता है ।

मान्यवर, जब किसी गांव का चयन अम्बेदकर गांव के रूप में हो जाता है तो हमें लगता है कि अलग से कोई धन आ रहा है । बल्कि विभागों का जो सामान्य बजट है उसी बजट से यह कार्य किये जाने हैं । यह जरूर है कि जितनी प्रगति की अपेक्षा थी, उतनी प्रगति नहीं हो सकी, विशेष रूप से विद्युतीकरण में । विद्युतीकरण में माननीय मंत्री जी ने विशेष रूप से माननीय विधान सभा सदस्य को 5-5 गांव दिये थे यदि आप स्वयं उनका चयन कर लिए होते तो शायद आपको शिकायत नहीं रहती ।

(व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, विद्युतीकरण यदि हमारे क्षेत्र में हुए हो तो हम विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिन गांवों के नाम दिये हैं वह अम्बेदकर ग्राम में नहीं आते हैं । कृपया आप अम्बेदकर गांव के नाम बतला दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य, हमारे उत्तर से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट होंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० धर्मज्ञ मिश्र, ऊर्जा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं । आप कृपया बैठ जायें । मैं प्रलाप अंकित करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । सदन अनुशासन से चलता है । अपने ऊपर अनुशासन बनाये रखें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, हरदोई के लोग हमेशा इस सदन में शोषण करते हैं । पहले अग्रवाल जी थे, वह शोषण किया करते थे । उन्हीं के जनपद के डा० धर्मज्ञ मिश्रा जी हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप दल के विधायकों पर बंदिश लगाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पांच सूचनाएं ग्राह्यता पर मैंने सुनीं, छठी सूचना, प्रदेश की निरन्तर कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग जनपदों से अलग-अलग घटनाओं के बारे में, यहां कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूचना भेजी है । मेरा निवेदन है कि किसी सूचना पर एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं वह दो मिनट बोल लें जिस सूचना पर दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनमें से कोई

एक अपनी बात कह लें और जिस सूचना पर तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं उनमें से कोई दो व्यक्ति अपनी बात कह लें, इस तरह से आप मुझे सहयोग करें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, कल मैंने एक सूचना दी थी । माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप इस सूचना को कल दे दीजिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा जनपद के थाना फतेहाबाद के ग्राम भोलापुरा में 19-12-99 को एक पंचायत 11.00 बजे दिन में हो रही थी, पाठशाला के पास, उसमें गांव के प्रधान और सरपंच मौजूद थे और 11 आदमी मौजूद थे । एक आदमी घुटपुर का जिसका नाम चरन सिंह था, वह भी वहां था और वहां पर पंचायत हो रही थी । इसके बाद वहां पर एस० पी० ग्रामीण, आगरा और पांच-छः थानों की पुलिस 12.00 बजे दिन में पहुंची और बिना कुछ पूछे गोली चला दी जो जवाहर नाम के आदमी के पेट में लगी । सरपंच और गांव वालों ने इसका विरोध किया कि हम लोग पंचायत कर रहे हैं आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं । जो आदमी घायल हुआ उस आदमी को जीप में पुलिस डालकर ले जाती है और जब इसका विरोध किया जाता है तो रूपराम के घर में जो स्कूल के पास है पुलिस आग लगा देती है और जवाहर को उठा ले जाती है पुलिस पिटाई से चरन सिंह की मृत्यु हो गयी । वहां पर दिन के 12 बजे इतनी बड़ी घटना हो गयी और इस घटना के विरोध में गांव के लोगों ने बाईपास पर 3 बजे रास्ता जाम किया । सारे तथ्यों को डी० आई० जी० के सामने भाजपा के नेताओं ने रखा लेकिन अभी तक एस०पी० ग्रामीण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । एक आदमी मारा गया और एक आदमी की जान खतरे में है, पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल है । गांव के लोग भयभीत हैं, मुखबिर और डाकुओं तथा पुलिस का आतंक गांव में है जिससे गांव के लोग अपने घर छोड़ कर भाग रहे हैं । इतना ही नहीं पुलिस लोगों के घर में घुसकर बर्तन तोड़ने और घरों को गिराने का काम फतेहाबाद, फिरोजाबाद में कर रही है, पुलिस के संरक्षण में मुखबिर और बदमाश गांव वालों को तरह-तरह से परेशान कर रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए । 12 बजे दिन में ऐसी घटना होती है हम चाहेंगे कि एस०पी० ग्रामीण के खिलाफ हत्या, आगजनी और एक आदमी जो मारा गया है और एक जो घायल है उसके बारे में कार्यवाही की जाय और उनका स्थानान्तरण किया जाय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको गम्भीरता से लें और यह न कहें कि वहां गोली नहीं चली । एक आदमी मारा गया है और एक आदमी अस्पताल में मौत से जूझ रहा है । इस घटना में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, यही मैं मांग करता हूं ।

श्री कैलाश–

मान्यवर, जनपद गाजीपुर में जो घटना हुई है वह यह साबित करती है कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बिल्कुल नहीं रह गयी है और सरकार अधिकारियों और पुलिस के भरोसे चल रही है । 27-12-99 को थाना खानपुर के कलवारी गांव में, दुखन्ती बिन्द नाम का एक आदमी जो ईंटा पाथने का काम करता था उसको भट्ठे के मालिक ने मारा-पीटा और मोटर साइकिल से उसको रौंद दिया जब उसे थाने ले जाया गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गयी । उसकी मौत के बाद गांव के चार-पांच सौ लोग इक्ट्ठा हुये और रास्ता जाम कर दिया तब कहीं जाकर एफ०आई०आर० धारा 323 और 504 लिखी गयी । वहां के थानाध्यक्ष ने शांतिपूर्वक घेराव कर रही भीड़ पर पुलिस कर्मियों की मदद से निरीह लोगों पर लाठी चार्ज किया और गोली चलायी जिससे दो आदमी मारे गये और पुलिस ने 10–12 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया उसके बाद कलवारी गांव में पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों को पीटा गया जिससे पूरे क्षेत्र में

तनाव बना हुआ है । पुलिस की गोली से दो लोग मरे हैं और 10–12 लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं । मेरी मांग है कि पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाय और जो दो आदमी मारे गये हैं उनको 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कैलाश जी ने जिस घटना का जिक्र किया मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं परन्तु यह कहना चाहता हूं कि सामन्तों और पुलिस की मिली भगत से जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, आम जनता पर जुल्म किये जा रहे हैं । एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होता, एक भी अधिकारी दण्डित नहीं होता लेकिन 200 रुपये बकाये के लिए गरीब आदमियों को पकड़ कर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको मोटर साइकिल से रौंद दिया जाता है, इसके बावजूद थाने में 323/504 का मुकदमा दर्ज किया जाता है जो नानकागनीजिबिल अपराध है और उसमें एक सिपाही भी पूछने नहीं जायेगा । सरकार के हाथ खून में रंगे हुये हैं । उसकी जीभ भी सनी हुई है । मरने वाले लोग कौन हैं, कोई सामन्त नहीं मरता है, कोई अपराधी नहीं मरता । इस सरकार के काल में मरता है गरीब और भट्ठे पर ईंटा पाथने वाला और छोटी जाति का ही मरता है, दुखन्ती बिन्द, राम जग बिन्द ही मरते हैं । माननीय अधिष्ठाता जी, घटना जिसके बारे में तिथि, स्थान, समय सारी चीजें सुनिश्चित तरीके से रखी गयी हैं यह अत्यन्त अविलम्बनीय है । सहस्त्राब्दी समाप्त हो रही थी, उसी दिन यह घटना हुई है इसके लोक महत्व को देखते हुए आपसे यह आग्रह करता हूं, इस हत्यारी सरकार को, जनता गारद करेगी लेकिन इन हत्यारों को सजा देने का काम तत्काल किया जाना चाहिए । मृतकों को 10-10 लाख और गम्भीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपया तत्काल दिलवाया जाये । इस घटना के बाद जो नौजवान भाग गये है वहां दूसरी निष्पक्ष टीम भेजकर दिखलवाया जाये और ऐसा आश्वासन दें कि वह गांव को लौट सकें ।

श्री उदयराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश की बिगड़ रही कानून-व्यवस्था के बारे में विचार रखने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आज किस तरह से उन्नाव जनपद में अपराधों की एक बाढ़ सी आ गयी है और पुलिस इन अपराधों पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर पा रही है । मेरा तो यह मानना है कि पुलिस अपराधियों को इसलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है । मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 24-10-99 को दिन के 3.00 बजे अजगैन में अनवार अहमद की हत्या की जाती है, हत्यारे उसकी मोटर साइकिल लेकर भाग जाते हैं और तीन महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस से बात करिये तो वहां के कप्तान का बयान आता है कि हम उसके तह तक जाना चाहते हैं और बहुत ही जल्द अभियुक्त गिरफ्तार हो जायेंगे । एक साल के अन्दर उस स्थान पर तीन लोगों की हत्या की जाती है । वहां पर कई बार राहजनी और लूट जैसी घटनायें हो चुकी हैं लेकिन पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं है । थाने में दिन के 3.00 बजे उस कस्बे में जहां 6-7 हजार लोग इक्ट्ठा थे, बाजार लगी हुई थी अपराधी जाते हैं और सोने-चांदी के दुकानदार की दुकान के अन्दर घुसकर सामान लूट करके चले जाते हैं लेकिन डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं हो सका है । सत्तापक्ष के कुछ नेताओं का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है जिसके कारण पुलिस अपराधियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है । एक अन्य घटना की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । थाना असीवन में रामराज काछी को गोली लगती है और जब वह रिपोर्ट लिखाने जाता है और थानाध्यक्ष को प्रार्थना-पत्र देता है तो थानाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र ले लेता है और कहता है कि जाईये, मैं छानबीन करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

उदयराज जी आप, लघु कहानी को उपन्यास बना रहे हैं । ग्राह्यता पर अपनी बात रखिये ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैंने इन घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि किस तरह से पुलिस लापरवाही करती है जिसके कारण घटनायें बढ़ रही हैं । मैं इस बिन्दु की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब वह गरीब थाने जाता है, घटना की सूचना देता है उसे पुलिस थाने से भगा देती है वह थाने के अन्दर चिल्लाता है कि अगर वापस जाता हूं तो मेरी हत्या कर दी जायेगी । वापस आते समय तीन सगे भाइयों की हत्या हो जाती है चार लोग घायल हो जाते हैं । 12 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीकृत होता है इतनी बड़ी घटना हो जाती है । 12–14 दिन बीत जाने के बाद आज तक पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और न ही धारा 82-83 की कार्यवाही करना उचित समझा है । आज यह कानून व्यवस्था की स्थिति है । संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में अपराधों में गिरावट आई है । मेरे उन्नाव जनपद में ही पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि अपराध में वृद्धि हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री उदयराज यादव–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अब अंकित नहीं होगा । सदन के धैर्य की परीक्षा न लें ।

श्री उदयराज यादव–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राम अचल राजभर की है ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गाजीपुर जनपद की बड़ी ही हृदय विदारक घटना का जिक्र करना चाहता हूं । एक भट्ठा मालिक के यहां दुखंती बिन्दु जो उनके यहां मजदूरी करते थे उन्होंने मालिक से कहा कि हमें खेती के काम से घर जाना है हमें दो दिन की छुट्टी दे दें । भट्ठा मालिक ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हमारे 200 रुपये बेसी के हैं । तुमको छुट्टी नहीं मिल सकती है तो दुखंती बिन्दु ने कहा हमसे पैसे ले लें लेकिन छुट्टी दे दें । इस पर भट्ठा मालिक ने चार-पांच झापड़ मारे जिससे वह वहीं गिर पड़े, इस पर मोटर साइकिल से भट्ठा मालिक नें उनको रौंदने का काम किया जिससे अंजर-पंजर टूट गए । उनको अस्पताल में भरती कराया गया जहां 28 तारीख को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई । 29 तारीख को थाने में रिपोर्ट लिखाने लोग गए, थाने की घेरा बन्दी की गई तो वहां की रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया । जब दबाव बढ़ा तो पुलिस के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया जिसमें दो लोग तत्काल मर गए ।

नोट:– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रमेश, पुत्र राम जनम बिन्द, ग्राम कलवारा, दयाराम बिन्द, ग्राम वैरछवा की गोली लगने से मृत्यु हो गई । प्रदर्शन हुआ एक दर्जन लोग घायल हो गए वह अस्पताल में भरती हैं । जो लोग भाग गए उनकी साइकिलें इकट्ठी करके उस पर ट्रक चढ़ाने का काम किया गया जिससे वह चकनाचूर हो गईं । मेरी मांग है कि जो लोग मर गए हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए । मारने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए व सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

अधिष्ठाता जी, जनपद चित्रकूट की पुलिस की कार्यशैली के सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं यह भयमुक्त समाज का नारे देने वाली सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि वहां समाज भययुक्त है एवं पुलिस भयमुक्त है । चित्रकूट में 15-10-99 को थाना पहाड़ी के बगल में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के दुकान से वहां के लोगों ने उसका सामान लूट लिया । दिनांक 16-10-99 को वह व्यक्ति राम खेलावन पुत्र बाबूलाल दिन भर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने बैठा रहा वहां के थानाध्यक्ष ने उसकी रिपोर्ट न लिखकर उसको रात तक बैठाए रखा । रात 12 बजे थाना अध्यक्ष ने कमरे के अन्दर से चोरी का सामान में से थोड़ा सा सामान देकर भगा दिया और जब रिपोर्ट लिखने की बात कही गई तो लातों-घूंसों से मारा गया और बाहर कर दिया गया, मान्यवर, चोरी का सामान थाना अध्यक्ष, खुद थाने के अन्दर से दे रहा है और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, यह है पुलिस व्यवस्था । यह सरकार अपराधों में कमी का आंकड़ा दिखाकर वाहवाही लूटना चाहती है । जनपद चित्रकूट में प्रतिदिन अनेक घटनायें होती हैं और रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है । बलात्कार की घटनायें होती हैं मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती । दिनांक 15-11-99 को थाना राजापुर में श्रीमती मनगुरिया पत्नी श्री चुनकू चमार नि० पटना खालसा, के साथ बलात्कार होता है । रिपोर्ट दर्ज नहीं होती । जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है मगर कार्यवाही नहीं की जाती है । मान्यवर, पुलिस हजारों रुपये प्रतिदिन अवैध तरीके से गरीबों से, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों से, पिछड़ों से, वसूल कर रही है, उनका उत्पीड़न पुलिस द्वारा किया जा रहा है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना पर तीन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, श्री राम अचल राजभर और श्री बी०आर० वर्मा । इनमें से कोई एक सदस्य अपनी बात रखे । कृपया संक्षेप में बोलें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिस हृदय विदारक घटना का जिक्र हमारे माननीय सदस्य ने किया है, जो गरीब था उसका कुसूर मात्र इतना था कि उसने काम करने से इंकार किया था । इस घटना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं । 29 तारीख को उस गरीब की मृत्यु हो जाती है और इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है । जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गांव के लोग थाने का घेराव करते हैं उसी दिन शासन के मंत्री के एक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहते हैं । यह मैंने सुना नहीं है । हमारे दल के वरिष्ठ सदस्य वहां पर गये और जो सूचना मिली है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं । उन्होंने यह कहा कि यह नीच जाति के लोग हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसे मैं जानता हूं ये शब्द हैं उस व्यक्ति के ? इस पर थानाध्यक्ष का मनोबल भी बढ़ता है । शासन का अगर एक जिम्मेदार प्रतिनिधि ऐसी बात कहेगा तो थानाध्यक्ष जरूर हरकत में आयेगा । इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर गोलियां चलीं और तमाम लोग उसमें घायल हुए और तीन लोगों की मृत्यु हो गई । साइकिलें छोड़-छोड़कर जब लोग भागने लगे तो उनकी साइकिलों पर गाड़ियां चलाकर उन्हें तहस-नहस कर दिया गया । यही नहीं इसके बाद पुलिस के लोग गांवों में चले गये । कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह शासन पक्ष का ही क्यों

न हो, या फिर मंत्रि-परिषद का कोई सदस्य चला जाये, वहां पर लोगों को जिस तरह की चोटें आयी हैं और महिलाओं को चोट आई हैं, यहां तक कि एक महिला का बच्चा पैदा हुआ था, उसको चोट आई है, इसकी जांच कर लें तो वास्तविकता सामने आ जायेगी । इस गम्भीर मसले को शासन संवेदनशीलता के साथ ले । आप किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी इसकी जांच के लिये भेज सकते हैं, मंत्रि-परिषद के किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, जिसे आप उचित समझें उसे भेज सकते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग मर गये हैं उन्हें राहत के रूप में 5 लाख रुपए दिया जाय और जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हेतु 1-1 लाख रुपए दिया जाय । जांचोपरान्त जो पुलिस कर्मी दोषी पाये जायं, चाहे वह मंत्रि-परिषद् का ही प्रतिनिधि क्यों न हो, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय ताकि कानून का राज कायम हो सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, इनके मुखिया श्री राम प्रकाश गुप्त जी हैं चाहे इन्हें आये हुए अभी 1 माह का ही समय हुआ हो परन्तु मैं तथ्यों के आधार पर बल देते हुए कहना चाहता हूं क्योंकि सरकार वही है और गठबन्धन भी वही है, इनके कार्यकाल में कोई चीज बढ़ी हो या न बढ़ी हो परन्तु अपराध अवश्य बढ़े हैं उसके लिये यह सरकार बधाई के पात्र हैं । मेरे पास हर समाचार-पत्र की कटिंग मौजूद है प्रदेश के कोने-कोने में अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है चाहे वह हत्या हो, अपहरण का हो या बलात्कार की घटना हो और चाहे वह चोरी की घटनायें हों । हमारा इसमें आलोचना करने का मकसद नहीं है । मैं निवेदन के साथ माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि हमारी आलोचना को आप आलोचना के रूप में न लें । आप इसे आधार बनायें ताकि प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था स्थापित हो सके । हमारी सरकार तो केन्द्र में नहीं है आपकी पार्टी की केन्द्र में सरकार है । आप ही के गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराधों में अव्वल नम्बर पर है । यह सार्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, यह आपकी ही सरकार आपको दे रही है । आज उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है । मैं समझता हूं कि आप इसे गम्भीरता से लें और इसे रोकने के लिए दृढ़तापूर्वक दबायें ताकि प्रदेश को अपराध मुक्त करा सकें इसके लिए आपको गम्भीर कदम उठाने होंगे । मान्यवर, आपराधिक अधिकारियों को बदल देने से अपराध खत्म नहीं होंगे । अपराधियों को बदलकर अपराधों पर अंकुश नहीं लगता है कानून व्यवस्था तो तब सार्थक होगी, अपराध तो तब कम होंगे जब आपमें राजनीतिक इच्छाशक्ति होगी कि अपराधों पर रोक लगनी है । मान्यवर, 1977 में आप उप मुख्य मंत्री रहे हैं क्या आपकी उस सरकार में किसी आपराधिक इतिहास के मंत्री को मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ ? आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, मुखिया हैं, आप जरा मंत्रियों के इतिहास को मंगाकर देख लें आप देखेंगे मंत्रियों का आपराधिक इतिहास है और मंत्री बनने के बाद भी गतिविधियां जारी हैं, उसके बाद आप उनके मुख्य मंत्री हैं तो प्रदेश को भूल जाना चाहिए कि अपराधों पर नियंत्रण लगेगा । पहले आरोप लगते थे कि मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप अपने पुलिस अधीक्षकों से मंत्रियों की कुंडली मंगा लें, अगर आपको अपराधी नजर आयें तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं उसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे ? स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में, कहा जाता है उसमें आठ मंत्रियों के नाम हैं....

श्री अरविन्द जैन–

यह खुद अपराधी हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इनकी मानसिक जांच कराई जाए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, स्पेशल टास्क फोर्स रिपोर्ट मंगाकर देख लें । अगर आपके मंत्रियों पर ऊंगली उठी है, श्री प्रकाश शुक्ला से सम्बन्ध हैं, तो फिर उसमें आप जैसा चाहें कार्यवाही करें, वरना जैसा चल रहा है उसको चलने दें । मेरे पास "एशियन ऐज" अखबार 28 दिसम्बर का है इसकी खबर आप गम्भीरता पूर्वक लें, इसका संबंध प्रदेश से नहीं देश से है । क्या आप कल्पना करेंगे कि आपके प्रदेश में कानपुर में 30-31 अक्टूबर को हलीम कालेज में एक्वान कान्फ्रेंस हुई ? जगह का नाम और तारीख बता रहा हूं । मान्यवर, वह कान्फ्रेंस किसके सम्मान में हुई, आपको मालूम है ? उस कान्फ्रेंस में एक व्यक्ति महिमा मंडित किया गया था वह था "उस्मा बिन लादेन" वह कुख्यात आतंकवादी के रूप में दुनिया में जाना जाता है, उसके समर्थक कान्फ्रेंस करें इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है । आप अपराध रोकने की बात करते हैं । आई० एस० आई० की गतिविधियां कई प्रदेशों में चल रही हैं नकली पांच सौ के नोट चलाये जा रहे हैं । इनका इरादा क्या है ? इनका इरादा आपकी अर्थ व्यवस्था को चौपट कर देना है । आप इसमें क्या प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या आप प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चौपट होते हुए देखना चाहेंगे ? मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इनमें नहीं है और जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति इनमें आ जायेगी इनका बहुमत समाप्त हो जायेगा और यह नहीं होने देना चाहते हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत पर शक नहीं है । अगर आप कानून व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत नीचे से नहीं करायें बल्कि आप अपने अगल बगल बैठे हुये व्यक्तियों से करायें जिनके हाथ इसमें लिप्त हैं । उनको आपके साथ बैठने का अधिकार नहीं है बल्कि उनको जेलों में भेजना है सत्ता में नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य स्थगन की सूचना की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति निसंदेह चिन्ताजनक है और उत्तर प्रदेश सरकार को कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जितना गम्भीर होना चाहिये संभवतः उतनी गम्भीर वह नहीं है । श्रीमन्, मैं इस बात से अपनी बात की शुरुआत नहीं करना चाहता हूं कि आज यह आंकड़े इतने दुखद और शर्मनाक हैं । आज भारत सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि विगत सन् 99 के वर्ष, में आठ हजार तीन सौ तीन हत्यायें हुई हैं केवल उत्तर प्रदेश में जबकि बिहार में पांच हजार तीन सौ ग्यारह और मध्य प्रदेश में तीन हजार दो सौ छाछठ हत्यायें हुई हैं । यह आंकड़े स्वयं यह प्रमाणित करते हैं कि आज अपराध के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ।

आज उत्तर प्रदेश ने एक मामले में कीर्तिमान स्थापित किया है वह है अपराधों के क्षेत्र में, अपहरण और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है । यह एक चिन्ताजनक स्थिति है । मान्यवर, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में में सन् 99 के चन्द महीनों की घटनाओं का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि यहां हत्याओं का जो औसत रहा है वह प्रत्येक 48 घंटे में एक कत्ल हुआ है । प्रत्येक सप्ताह दहेज की वेदी पर एक महिला चढ़ी है तो यह राजधानी की स्थिति है । इससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की राजधानी में पुलिस की कितनी सक्रियता है । 52 दहेज की हत्यायें, 200 और हत्यायें, 125 लूट की घटना में, और 2000 विवेचनाएं आज लखनऊ पुलिस के हवाले हैं जिसमें कार्यवाही नहीं हो पा रही है । श्रीमन्, मैं उन घटनाओं की तरफ आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो आज तक की पुलिस की उपलब्धियां क्या

रही हैं । विगत वर्ष 1999 में वर्तमान मा० मुख्य मंत्री जी के पदासीन होने के पूर्व की यह स्थिति है, राजभवन के सामने, जेल अधीक्षक श्री आर० के० तिवारी की हत्या हुई उस घटना का पर्दाफाश हो गया लेकिन दबाव के चलते जो गवाह थे वह होस्टाइल हो गये पुलिस ने कोई संरक्षण गवाहों को नहीं दिया । इसी तरह से पुलिस प्रमुख कार्यालय के सामने श्री दर्शन यादव की स्टेनगन लूट ली गयी । इसकी तफ्तीश ठण्डे बस्ते में डाल दी गयी । विधान सभा के सामने रिक्शा चालक की हत्या कर दी गयी । जिलाधिकारी आवास के पास नशे से धुत्त युवकों ने एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी । इसी शहर में से बहुखण्डी में स्थित मंत्री आवास में एक मा० राज्य मंत्री के नौकर की मृत्यु हो गयी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यहां कोई होम डिपार्टमेंट पर चर्चा हो रही हो तो हमें कुछ नहीं कहना है, यह कार्यस्थगन है, अगर कार्यस्थगन में विस्तार से दो-दो घंटे चर्चा होगी तो कार्यस्थगन क्या होगा ? हम आपका संरक्षण चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा नहीं है, जो भी कानून व्यवस्था की उत्पन्न स्थिति के संबंध में विचार करने के लिये जो सूचना आई है उसके अनुसार माननीय सदस्य को समय दिया ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, कल भी चर्चा हुई थी । जो हकीकत है उसको आपके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, लूट का राज है, दवा आपकी आंख में नहीं डालेंगे तो यह प्रदेश जहन्नुम में चला जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

जो नियम 56 में सूचना आई उस सूचना के हिसाब से आपका क्रम आया यह अनुरोध है कि समय की सीमा को ध्यान में रखकर दो-दो मिनट में अपनी बात कहने का जो निर्णय हुआ था उसका पालन करें और यही पर अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, जो प्रदेश सरकार का दायित्व है उसका निर्वहन कितना हुआ है यह बता रहा हूं । यहां लखनऊ में विगत दिनों युवा पत्रकार राहुल शर्मा को लूटा गया उसकी हत्या कर दी गयी, आज तक उस विवेचना में कुछ नहीं हुआ अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई ।

नये मुख्य मंत्री आदरणीय गुप्त जी का मैं अभिनन्दन करता हूं उनका एक लम्बा अनुभव है, मेरी कामना है कि उनके बाजू मजबूत हों । आज जो स्थिति है प्रदेश की, उसका सामना करने के लिये मजबूत इच्छा शक्ति की प्रबल आवश्यकता है । यह तात्कालिक लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है । आई० एस० आई० 23 जिलों में अपना जाल फैला चुका है । एकता, अखंडता और कम्युनल हारमोनी में बाधा पहुंचाने की वह कोशिश कर रहा है, यह भी चुनौती मा० मुख्य मंत्री जी के सामने हैं । इस तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कानून व्यवस्था पर अपनी बात कहने का अवसर दिया । आज पूरे प्रदेश में लगता है कानून व्यवस्था का राज नहीं है । मान्यवर, प्रतिदिन अखबार लेकर पढ़िये तो अखबार का आधा पन्ना केवल अपराध से भरा होता है । आज पूरे प्रदेश की स्थिति यह हो गयी है कि कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है । आज पूरे के पूरे

प्रदेश में जैसा कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्री का बयान है, गत वर्ष उनका खुद लोक सभा में बयान था कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में बिहार और मध्य प्रदेश से पीछे नहीं है । इस प्रकार से पूरे भारत में उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं । मान्यवर, जैसा कि 6 माह के आंकड़े हैं गत वर्ष के, हत्याएं 8330 उत्तर प्रदेश में और बिहार में 5311 इसी प्रकार से अपहरण उत्तर प्रदेश में 4369 और बिहार में 2758 तो इस प्रकार से देखा जाय तो उत्तर प्रदेश अपराध में आगे हैं, आज व्यापारियों का अपहरण हो रहा है ।

अभी आजमगढ़ जिले के देवा थाने में चौहान की हत्या हुई, अभी गाजीपुर में थाना खानपुर में हत्या हुई (व्यवधान) और कोई नहीं पकड़ा गया । राजनीतिक नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमें चलाये जाते हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाती है । आज पूरे प्रदेश में दलितों के ऊपर सामन्तों की मिलीभगत से 6 माह के अन्दर दो हजार से ज्यादा हत्याएं और कम से कम 1900 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं । आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है जंगल राज है दलितों की रक्षा करने में यह सरकार निकम्मी साबित हो रही है । मान्यवर, यह सरकार कमजोर सरकार इसलिये है कि यह खरीद फरोख्त की सरकार है किसी पर कन्ट्रोल नहीं है । आज अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है । आज जो सरकार के मुखिया हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े ओहदे पर बैठें हैं आज उनके शासनकाल में पुलिस विभाग अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में, कमजोर को संरक्षण देने में अक्षम हैं । आज पुलिस जो है, वह अपराधियों को शह दे रही है, जिसका परिणाम यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगलराज कायम है । आज कहीं कानून व्यवस्था का राज नहीं है, कानून व्यवस्था में पूरे प्रदेश में गिरावट है । सरकार बिल्कुल असहाय साबित हुई है, क्योंकि सरकार में खुद अपराधी लोग शामिल हैं । आज इस सरकार से खुद अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सातवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, डा० अम्मार रिजवी और श्री अखिलेश सिंह जी की है । इसमें एक माननीय सदस्य को समय दिया जा रहा है, कृपया अपने को संक्षिप्त रखेंगे तो आभारी रहूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपको तथा सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे सम्मानित नेताओं ने जिन बातों को, जिन प्रसंगों को, जिन घटनाओं का उल्लेख किया है और संदर्भित किया है,मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा । कानून व्यवस्था के इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े होंगे और एक अच्छे वकील, विद्वान वकील की तरह से कहेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों के आंकड़ों में प्रतिशत के हिसाब से कमी आई है । मान्यवर, हम लोग नये वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, नई सहस्त्राब्दि में प्रवेश कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि किसी समय केवल उत्तर या प्रत्युत्तर की राजनीति से ऊपर उठकर देखें । चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, हम दोनों का दायित्व प्रदेश की जनता के साथ है । जहां सरकार उत्तरदायी है, वहीं सार्वजनिक जीवन में होने के नाते विपक्ष भी उत्तरदायी है ।

कानून व्यवस्था का प्रश्न केवल सत्ता पक्ष का नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित सदस्यों के लिये, उत्तर प्रदेश के, समाज के रहने वाले किसी भी नागरिक के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रश्न जुड़ा हुआ है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से, माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सदन को आप भले आंकड़ों से संतुष्ट कर दें लेकिन प्रदेश की जनता माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपके आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होगी, जब तक इस प्रदेश में एक ऐसा परिवर्तन न आये, जब तक ऐसे वातावरण का सृजन न हो, जहां हर व्यक्ति, हर आम महिला, हर नारी, हर दलित को लगे कि हमारी जिन्दगी की गारन्टी इस शासन में है और निश्चित तौर पर हम सुरक्षित हैं । आज जिस तरह से घटनायें हो रही हैं, मैं पूर्व की किन्हीं घटनाओं का सन्दर्भ नहीं देना चाहता हूं, यह सही है कि सरकार की जवाबदेही होती है,

लेकिन फिर भी मैं कल्याण सिंह जी की सरकार के समय हुई हत्याओं, अपराधों की घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता, न मैं पिछले एक महीने की घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं तो सिर्फ पिछले चार दिन की घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। जब सदन समाप्त हो, तो आप विचार करें और इसे चुनौती समझकर उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करें। जब पूरी दुनिया नये साल की खुशियां और उमंग उल्लास की तैयारी कर रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता भी नये साल की खुशियां मनाने की तैयारी कर रही थी, उस दिन से आज 4 तारीख है। श्रीमन् मैं आपके ही जनपद इटावा का उल्लेख सबसे पहले करना चाहता हूं, वहां भारत सरकार के बैकिंग सचिव देवी दयाल जी के भाई के पुत्र 16 वर्षीय राहुल का अपहरण किया गया और आज तक उस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। दूसरी घटना अयोध्या की है, जहां के बारे में इस सरकार की सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। मुख्य मंत्री जी वहां गये और कहा कि राम मंदिर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, बाद में मुख्य मंत्री जी ने उस बयान को परिवर्तित किया। लेकिन उस अयोध्या में 1 जनवरी को, जब पूरे प्रदेश के लोग खुशियां मना रहे थे, अयोध्या की कोतवाली से एक फर्लांग दूरी पर सिंगार घाट स्थित चन्द्रा गेस्ट हाउस से एक व्यापारी का अपहरण किया गया और दूसरे दिन सरयू के किनारे उसकी लाश मिली, आप सोचिये, इस घटना का अयोध्या के आसपास क्या असर होगा। इसी प्रकार 2 जनवरी को मथुरा में पूर्व डी० आई० जी० की पुत्री का अपहरण हुआ और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और आज वह महर्षि दयानन्द अस्पताल में जीवन-मौत से जूझ रही है। इसी प्रकार राजधानी लखनऊ में तालकटोरा में एक व्यापारी से 70 हजार रुपये और उसका स्कूटर लूट लिया गया। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली जनवरी को उस तालकटोरा में परचून के व्यापारी के 70 हजार रुपये लूट लिये गये। इसका लखनऊ वासियों पर क्या असर होगा ? आज सुबह समाचार पत्र खोला, नई सहस्त्राब्दि का स्वागत लखनऊ विश्वविद्यालय में बमों और गोलियों से किया गया। माननीय मंत्री जी केवल चार दिनों का मूल्यांकन करें, प्रदेश की कानून व्यवस्था का स्वयं मूल्यांकन करें तो आप इस सदन को आंकड़ों से संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार अयोध्या में हुई घटना, डी० आई० जी० की पुत्री के साथ हुए सामूहिक बलात्कार, तालकटोरा में व्यापारी के साथ हुई लूट का इकबाल करे। मान्यवर, मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि 40.38 प्रतिशत शिकायतें उत्तर प्रदेश की हैं। अगर आपकी कल्याणकारी सरकार है, आप दूध का दूध और पानी का पानी अलग करते हैं तो आप मानवाधिकार आयोग का गठन करायें और जो शिकायतें आयें उनकी जांच करायें। श्रीमन्, मैं किसी ऐसी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, शायद मुख्य मंत्री जी मूल्यांकन करने जा रहे हैं।

प्रदेश के हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, तो जब प्रदेश के गृह राज्य मंत्री संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है,जिस तरह से निचले स्तर पर वसूली हो रही, इस प्रशासन की लाठी अराजक तत्वों पर चलना चाहिये। देश की अस्मिता का समझौता दुर्दान्त आतंकवादियों को छोड़कर नहीं हो सकता अन्यथा हम कारगिल के शहीदों को जवाब नहीं दे पायेंगे। जो राष्ट्रीयता, भारतीयता की बात करते हैं। इससे ज्यादा ग्राह्य, अविलम्बनीय, लोक महत्व का तात्कालिक विषय नहीं हो सकता। मैंने घटना का उल्लेख किया है। उस घटना के बाद सदन आज बैठ रहा है। मैं समझता हूं कि आप चर्चा के रूप में इसे ग्राह्य करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आठवीं सूचना श्री रामपाल की है। मैं चाहता हूं कि अपनी बात दो मिनट में कह दें तो ज्यादा सहयोग रहेगा।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित तो करें। मान्यवर, अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसकी ग्राह्यता के संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था जहां तक प्रदेश की अस्त-व्यस्त है, तमाम साथियों ने इस संबंध में प्रकाश डाला है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के जिलों में खासतौर से जनपद जालौन में कानून और व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं रह गयी है । हमारे इसी सदन में जनपद जालौन, कोंच, उरई के प्रतिनिधि मौजूद हैं । वहां पर पिछले दो-ढाई महीनों से अपहरणों का सिलसिला चल रहा है । ग्राम मचकछा थाना माधौगढ़ में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ । ग्राम गीधनकीखोड़ थाना माधौगढ़ में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ । इसी प्रकार से ग्राम धिंवौर में थाना नदीगांव में 3 व्यक्तियों का अपहरण हुआ । ग्राम हीरापुर थाना नदीगांव में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ । ग्राम मकरौव थाना नदीगांव में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ । 12-12-99 को ग्राम मजीठ थाना रामपुरा में 2 व्यक्तियों का अपहरण हुआ । ग्राम बोहरा थाना गोहन में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ । ग्राम गोहन थाना गोहटन में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ, एक ग्राम नवासी, थाना कुठौंद में 2 व्यक्ति का अपहरण हुआ । ग्राम लौना थाना सिरसकिवार में 4 व्यक्तियों का अपहरण हुआ । इसी तरह से मल्पुवा थाना सिरसकिवार में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ । ग्राम उमरी थाना रामपुरा में 5 व्यक्तियों का अपहरण हुआ और ग्राम झरेवा थाना रामपुरा में 6 व्यक्तियों का अपहरण हुआ ।

इस तरह से 29 व्यक्तियों का अपहरण किया गया जिसमें 364 की एफ०आई०आर० लिखी गयी । डकैत लोग टेंट लगाकर पड़े हुए हैं और पुलिस डकैतों से मिली हुई है । पुलिस और अपहरणकर्ताओं में सांठ-गांठ है और 20–25 प्रतिशत रुपया पुलिस अपहरण में लेती है । इटावा, कानपुर देहात, जालौन में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गयी है । वहां पर किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं । माननीय विधायक सन्तराम जी और वर्मा जी बैठे हुए हैं इनके यहां भी 15-16 अपहरण हुए हैं । मैंने थानेदार और मुकदमों के नम्बर सहित सूचना दी है लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है । डकैत अपहरण कर रहे हैं और आतंकवादी लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं । नामजद एफ०आई०आर० होने के बावजूद पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है । ऐसी परिस्थितियों में यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सामान्य रूप से उत्तर दे दिया जाता है तो वह अच्छी बात नहीं है ।

बुन्देलखण्ड में बिजली न दें, सड़क न बनायें लेकिन गरीब मजदूरों, किसानों और छात्रों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको खत्म करें और वहां की कानून व्यवस्था ठीक करें अन्यथा बुन्देलखण्ड का बच्चा-बच्चा बगावत कर देगा । मैं सरकार का ध्यान खासतौर से जालौन की ओर दिलाना चाहता हूं । आपसे प्रार्थना है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत काफी देर से चर्चायें हो रही हैं । चर्चा में करीब 60 जिले ऐसे आ गये जहां पर डकैतियां, अपराध, बलात्कार हो रहे हैं । इस तरह से यहां पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की जानकारी आ चुकी है । मैं अपने बहराइच जनपद के बारे में कहना चाहता हूं । बहराइच में बालकराम प्रधान की हत्या हो जाती है । मुकदमा थाने पर लिखाया जाता हैं 308/99, धारा 147, 148, 149, 504/302 जिसमें कुछ मुल्जिमान न्यायालय में चले जाते हैं । उस समय के मुख्य मंत्री जी जो न जाने किन कारणों से भाजपा से निकाल दिये गये हैं उन्होंने 1 लाख रुपया लेकर उस मुकदमें में सी०आई०डी० की इन्क्वारी बैठा दी और इतने पर भी जी नहीं भरा तो सी०बी०सी०आई०डी० की जांच बैठा दी । गोरखपुर के इन्स्पेक्टर ने जांच शुरू की, वह न मुद्दई से मिला और न गवाहों से मिला । वह सीधे मुल्जिमानों से मिल गया । तीन आदमी जो जेल चले गये थे, उनको रिमाण्ड पर लेने के लिए इन्स्पेक्टर न्यायालय नहीं गया और वह तीनों मुल्जिम छूट गये । माननीय अधिष्ठाता जी, 9.00 बजे दिन दहाड़े हत्या हो गयी । बड़ी हिम्मत करके कल्याण सिंह ने मुल्जिमानों से एक लाख रुपया लेकर सी०बी०सी०आई०डी० को जांच सौंप दी । बालकराम का 315 बोर की बन्दूक व कुछ अन्य असलहा पुलिस कप्तान के यहां जमा रहा, वह पुलिस कप्तान, बहराइच से बराबर कहता रहा कि असलहा लौटा

दीजिये परन्तु उसे असलहा नहीं लौटाया । उसका परिणाम यह हुआ कि बालराम घर से आ रहे थे रास्ते में रोककर गोली मार दी गयी । इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों का हाथ है । मुल्जिमान को रिमाण्ड पर नहीं लिया गया और वह पेरोल पर छूट गये । मुल्जिमान के छूट जाने से वहां की कानून व्यवस्था और खराब हो गयी है ।

इसी तरह से बाबू राम पूर्व प्रधान मुकदमा अपराध संख्या–310/99 धारा 147, 148, 149, 504 एवं 302 भारतीय दण्ड विधान में दर्ज होता है, मुल्जिमान पकड़े जाते हैं लेकिन फिर कुछ असामाजिक तत्व आते है और फिर रुपया लेकर सी०बी०सी०आई०डी० को जांच सौंप दी जाती है । सी०बी०सी०आई०डी० जांच की भरमार हो गयी है । माननीय अधिष्ठाता जी, दोनों आदमी संयोग से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें गोली मार दी जाती है और कल्याण सिंह ने रुपया लेकर मुंह काला कर लिया और सी०बी०सी०आई०डी० को जांच सौंप दी मैं जानता था कि मौजूदा जो मुख्य मंत्री हैं वह समझ से काम लेंगे लेकिन बाबूराम की हत्या के बाद, बहराइच के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुल्जिमानों से पैसा लेकर फिर मुख्य मंत्री से सी०बी०सी०आई०डी० का आदेश करवा दिया । इन्स्पेक्टर जो इस केस की जांच कर रहा है वह मुल्जिमों से मिल गया है वह जांच नहीं करता । जब मुख्य मंत्री रुपया लेगा तो कोतवाल काहे को जांच करेगा । सी०बी०सी०आई०डी० में कौन से ईमानदार लोग आ गये हैं ?

समाजवादी पार्टी के लोगों का कत्ल करवाकर सबमें सी०बी०सी०आई०डी० की जांच करवा रहे हैं इससे वह किस चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं ? जनपद बहराइच में सी०बी०सी०आई०डी० की जांच की बाढ़ सी आ गयी है । भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े मंत्रीगण, मुख्य मंत्री जी आज यह आपको अच्छा लग रहा है लेकिन इसका नतीजा बुरा होगा । मान्यवर, न्यायालयों में मुकदमें चल रहे है मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जो इन्स्पेक्टर उसकी तफ्तीश करते है उसकी तारीख पर जाकर पैरवी करें ताकि जो मुल्जिम जेल में हैं वह छूटने न पायें और उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा दी जाय । जरवल रोड का एस०ओ० जो मुल्जिमान से मिल गया था । उस पर कार्यवाही होनी चाहिए । मामला न्यायालय में है अगर उसमें तारीख पर पुलिस नहीं जाती है तो मुल्जिमान छूट जाते हैं, उन्हें पेरोल मिल जाता है । बालक राम बारामाझा गांव के और बाबूराम भूतपूर्व प्रधान नियामतपुर, बहराइच के थे । जनपद बहराइच के 19 थानों में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने का काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया । यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न मैंने उठाया है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रसाद, श्री सीताराम निषाद की है । मेरा अनुरोध है कि इसमें से एक माननीय सदस्य अपनी बात रख लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आज इस आदरणीय सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराधों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों नें अपने विचार व्यक्त किये और अपने-अपने जनपदों के सम्बन्ध में जानकारी दी । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है । कानून का राज खत्म होकर जंगल राज हुआ है । मैं कुछ दृष्टान्तों को देकर कानून व्यवस्था की स्थिति बताना चाहता हूं । मेरे जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी के आवास के सामने 12-13 तारीख को मु० कयूम खां जो वहां करावली में रहता है उसका आवास अधिकारी के बंगले से लगा हुआ है । वहां पर एक दुःसाहसिक डकैती हुई वह करोड़ों की डकैती हुई । जिस समय दर्जनों डकैत घर वालों को जाकर एक कमरे में बन्द करते हैं, उनके ऊपर रिवाल्वर रख देते हैं उसमें चोरी की रिपोर्ट लिखी जाती है व आज तक कार्यवाही नहीं होती है ।

मेरे क्षेत्र जगनपुर में मुस्लिम खां के लड़के की शादी में इसी तरह की घटना हुई उसमें रिपोर्ट सही नहीं लिखी गयी । न ही आज तक कार्यवाही हुई । कौड़िया थाना है 22 अक्टूबर को एक अल्पसंख्यक परिवार के मुखिया को जेल में बन्द कर दिया जाता है । उसकी 25 वर्षीय पत्नी को और उसके दो मासूम बच्चों को जिन्दा जला दिया जाता है । यह दर्दनाक घटना इस देश के लिए और इस सरकार के लिए शर्मनाक है । दो साल के मासूम बच्चे व पांच साल के मासूम बच्चे तथा एक महिला को नंगा करके जिन्दा जलाया गया । वहां के कप्तान तक घटना के बाद नहीं गये । मैं इस सम्बन्ध में शासन से मांग करता हूं मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये हर्जाने में दिये जायें ।

इसी तरह की एक घटना उरई में घटित हुई वहां की कोतवाली में 22 नवम्बर को एक दलित महिला जो 25 साल की है, कोरी बिरादरी की है वहां की कोतवाली की पुलिस वहां जाकर उस महिला से कहती है कि तुम्हारे यहां शराब बनती है, हरिजन बस्ती में शराब बनती है वह महिला कहती है कि हमारे यहां शराब नहीं बनती है न ही कोई पीता है, मेरा ससुर अन्धा है, पति सिलाई करके भरण-पोषण करते है इस पर पुलिस के लोगों ने दलित महिला को गिराकर उसके गुप्तांग में बन्दूक की नली डालकर चोट पहुंचायी जिससे खून गिरने के कारण 25 साल की वह दीलत महिला बेहाश होकर गिर जाती है । श्रीमन्, जब मैं माननीय नेता श्री अखिलेश जी के निमंत्रण पर उनके यहां जा रहा था तो बस के अन्दर मैंने एक पेपर में पढ़ा कि एक महिला के गुप्तांग में राइफल की नाल डाल दी गई । मैंने घटनास्थल पर जाना उचित समझा और रास्ते से ही घटनास्थल की ओर रवाना हो गया । मैंने उक्त घटना देखी, उस स्त्री को देखा जिसके साथ यह काण्ड हुआ । मैं अस्पताल गया वहां वह महिला बेहोश पड़ी थी । अन्य महिलाओं ने वह खून से लथपथ कपड़ा दिखाया । मान्यवर, हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं । इस सरकार के लिए यह एक चुनौती है, हमारे लिए एक चुनौती है कि हम औरत का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं । यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता । जब मायावती जी मुख्य मंत्री थी तभ भी चौधरी जिन्दे जी के आव्राहन पर प्रदेश में ऐसी ही घटना हुई थी । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है । महिलाओं को हम मां के रूप में देखते है, बहन के रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं । हमारा देश सीता, सावित्री का देश है । आजादी के 52 साल बाद भी आज महिलाओं के पेशाब के रास्ते में, गुप्तांग में राइफल की नाल डाली जाती है । यही नहीं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी अनेक घटनायें होती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब बस करिए । काफी हो गया ।

श्री अवधेश कुमार–

मान्यवर, मेरे यहां हाजीपुर गांव में दो नौजवानों की हत्या दिन दहाड़े की गई । यहां पर निषाद जी बैठे हैं, मैं उन्हीं के क्षेत्र की बात कहता हूं जहां दो दर्जन से अधिक हत्यायें हुईं, डकैतियां पड़ रही हैं । मान्यवर, सुहावल में नौराही थाने में डकैती पड़ी और पुलिस कुछ नहीं कर रही है । मान्यवर, मैं अयोध्या जिले की बात कर रहा हूं । 31/1 की बात है, जब सारा शहर नई शताब्दी का स्वागत कर रहा था, वहीं राजकुमार ओझा नामक व्यक्ति को रात में करीब ढ़ाई बजे जब वह पेशाब करने के लिए उठा तो उसका अपहरण कर लिया गया और फिर उसकी लाश बस्ती के पास पाई गई । अभी लोक सभा की कार्यवाही में गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं । यही नहीं मान्यवर, मानवाधिकार आयोग में भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट की घटनायें लगातार बढ़ती चली जा रही है । आपराधिक घटनाओं के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है । कल्याण सिंह जी ने अपराधियों पर शिकंजा कसा था ।

(व्यवस्था)

श्री अधिष्ठाता–

ग्राहयता पर अपना बल दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका सहयोग चाहता हूं । इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है ? एक दो साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई । अल्पसंख्यक के 5 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई । एक दलित महिला के पेशाब के रास्ते में बन्दूक की नाल डाल दी गई ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मै आपका सहयोग चाहता हूं । मैं इस सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहा था । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है और इस सदन की कार्यवाही रोक कर इस विषय पर अविलम्बनीय रूप से चर्चा करायी जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक सूचना पर जिस पर तीन-तीन लोगों के हस्ताक्षर हैं कृपया एक ही सदस्य अपनी बात रखें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, राजू को दिनांक 6-12-99 को थाना न्यू आगरा क्षेत्र में पोइया घाट पर दोपहर के सवा दो बजे फर्जी मुठभेड़ में दिखाकर मार गिराया दिखाया गया है । फर्जी मुठभेड़ में राजू उर्फ राजकुमार पुत्र श्री भरत सिंह अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी गयी । दिनांक 6-12-99 दिन सोमवार करीब 11.30 बजे थाना ताजगंज क्षेत्र के हज्जूपुरा मुगल सेरेटन होटल के पीछे से एक फौजी के मकान में रह रहे बलवीर ट्रेकटर मिस्त्री व राजू को उनके एक परिचित कांस्टेबिल देवेन्द्र भदोरिया अपने साथ उठा ले गये और बाद में राजू की हत्या कर दी गई । मैं इस प्रकरण में सी०आई०डी० द्वारा न्यायिक जांच की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपना उत्तर देने दें ।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हृदय से आभारी हूं और साथ ही साथ आपको बधाई भी देता हूं । मान्यवर, आज के कार्य स्थल की सूचनाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है । एक भाग तो गाजीपुर की घटना को लेगर कई माननीय सदस्यगण ने अपनी चिन्ता व्यक्त की, दूसरा, सामान्य कानून व्यवस्था के ऊपर और तीसरा कुछ माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र तथा अपने जनपद के बारे में कहा । मैं गाजीपुर की घटना से अपनी बात शुरू करता हूं । मैंने इस घटना के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, इसमें न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं और इलाहाबाद के जिला जज को इसमें नामित किया गया है और जांच करने के साथ ही साथ मृतक को एक लाख रुपए की सहायता और जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 25 हजार रुपए की सहायता और जो सामान्य रूप से घायल हुए हैं उन्हें 5 हजार रुपए की सहायता दी गयी है शासन की तरफ से । इसके अतिरिक्त जो बिन्द परिवार है

जिलाधिकारी द्वारा अपने कोष से 10 हजार रुपए की सहायता दी गई है । परन्तु एक बात जानकर कष्ट हुआ । हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं श्री बी० आर० वर्मा, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री या उनके प्रतिनिधि ने वहां पर जाकर क्या-क्या कहा ? मंत्री का उल्लेख किया मैं जानकारी दे दूं घटना के बाद मंत्री जी उस बिन्द परिवार में गए, उस गांव में गए, उन्होंने मंत्री जी से अपनी पीड़ा ही नहीं कही बल्कि यह भी कहा कि हमारी निष्ठा, हमारी आस्था आपके साथ है, जो हमारा शोषण करना चाहते हैं हम उनकी निन्दा करते हैं, जिस तरह से इस घटना में राजनीतिक रोटी सेंकने का काम किया जा रहा है यह सही नही है एक दर्दनाक घटना हुई इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं अपने साथी की प्रशंसा करता हूं कि बिन्द समाज में वह जिस तरह लोकप्रिय हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं है ....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें, पूरी बात आने दें ।

श्री हुकुम सिंह–

यह सारे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर किसी अधिकारी द्वारा शोषण न किया जा सके । जहां तक हमारे सम्मानित सदस्यगण रघुवर दयाल वर्मा जी ने आगरा की घटना का उल्लेख किया उसकी जानकारी की जा रही है, जब जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी । सामान्य कानून व्यवस्था के बारे में कहा गया । सामान्य कानून व्यवस्था को लेकर के प्रमोद कुमार जी सदैव मंत्री परिषद् को लेकर बात शुरू करते हैं, उनके भाषण की शुरुआत और अन्त यहीं से होता है, उसका जवाब हम हमेशा देते भी रहे हैं और दे भी रहे हैं इस मंत्री परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण स्वच्छ छवि के हैं अपराधियों से उनका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं हैं । अपराधियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले हैं इनके सहयोग से समस्त प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं । कानून व्यवस्था को कैसे समझें कि ठीक है या गलत हैं ? कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आंकड़े दे देंगे, डकैती की घटना वर्ष 1998-99 में इतनी हुई लूट की घटना इतनी हुई, तो एक आधार यह भी है देखें क्या स्थिति है ?

सदन में भी बराबर आश्वासन दिया जाता रहा है और पुलिस को भी कड़े निर्देश हैं कहीं कोई घटना होती है, अगर कोई केस दर्ज कराना चाहता है तो उसको दर्ज किया जायगा, छिपाया नहीं जायगा, कुछ सरकारों ने अपराध मुकदमों को छिपाकर उपलब्धि दिखाई है,, हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा डकैती में 24 प्रतिशत कमी आई है, लूट में 22 प्रतिशत कमी आई है, बलवा में 22 प्रतिशत कमी आई है, नकबजनी में 16 प्रतिशत कमी आई है फिरौती में 10 प्रतिशत की कमी आई है, रोड होल्डप में 2 प्रतिशत की कमी आई है, यह आंकड़े तब हैं जब कुछ छिपाया नहीं जा रहा है ।

(व्यवधान)

हत्या में 7 प्रतिशत की कमी आई है । मान्यवर, देखना यह पड़ता है कि सामान्य माहौल क्या है? जनता में क्या इस बात का एहसास है कि हम सुरक्षित हैं, क्या सामान्य जनता समझती है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, अगर महसूस करती है तो समझेंगे कि उपलब्धि है ? हम यह मानकर चलते हैं कि आदर्श स्थिति नहीं हैं जो माननीय राज्य मंत्री के बयान का उल्लेख किया गया था । उनके बयान का आशय यह था कि सुधार अवश्य हुआ है लेकिन सुधार का स्कोप कम है उनके बयान को नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए । कानून व्यवस्था बदतर हुई है हम यह मानने की स्थिति में नहीं हैं यह भी नहीं है कि बहुत आदर्श स्थिति है । हम जन प्रतिनिधि सच्चे मन से यह विचार करें कि कैसे जनता की अपेक्षा के अनुसार आगे चलें ? यह भी आरोप लगाये जाते हैं कि गुण्डों को संरक्षण दिया जाता है । तो

आप अपने गिरेबान में झांककर देखें कि कौन संरक्षण दे रहा है ? मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एक शासन इस प्रदेश में ऐसा भी आया जिसमें अपहरण को उद्योग बनाया तो उसको समाप्त करने में समय तो लगेगा ही ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें और सहयोग करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं तो केवल सामान्य के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा । जब आप किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, आज आप बलात्कार की बात करते हैं, मैं भी इस मत का हूं कि उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और उसमें कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन जो लोग यह बात करते हैं वह यह भूल गये हैं कि जब रामपुर के चौराहे पर पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था ....

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बजाये इसके कि क्या कार्यवाही हुई यह व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं ? आपके पास सूची है, अपराधी मंत्रियों की सूची है उसको दिखा दें एस०टी०एफ० ने जो सूची दी है उसको दिखा दें । बजाय यह देखने के यह लीपा पोती कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जो मंत्री यहां पर उचक रहे हैं उन्हें इस सरकार ने मीसा में बन्द किया था ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस तरह का आचरण ठीक नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर इनके पास सूची नहीं है तो यह अपने-अपने सहयोगियों मंत्रियों से कहें कि अपना-अपना चिट्ठा खोल दें । तमाम पेशी पर दौड़े होंगे, सी०बी०सी०आई०डी० ने जो दुकान खोली है उसमें फीस दी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया सहयोग करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

नियम-56 के अन्तर्गत आपकी अनुमति से जो समस्याएं यहां पर उठायी गयी हैं अगर उनके परे संसदीय कार्य मंत्री जी को जाने का अधिकार है तो यह अधिकार हमें भी है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन समस्याओं को उठाया गया है उनका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सही है कि यह चिन्ता का विषय है और इसमें चिन्ता होनी भी चाहिए चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का । आई०एस०आई० की गतिविधियों के बारे में चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि इससे

हमारे देश और प्रदेश को खतरा पैदा हो रहा है । फेक करेन्सी की बात कही गयी । तो इसमें चिन्ता स्वाभाविक है । हमने उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या किया है, यह मैं बता दूं ? सारे नेपाल बार्डर पर हमने व्यवस्था की है, अभी जो विमान अपहरण की घटना हुई वह भी नेपाल में हुई । ए०डी०जी०पी० के नेतृत्व में नेपाल बार्डर टास्क फोर्स का गठन किया गया, दो आई०जी० वहां पर लगाये गये, चार डी०आई० जी, लगाये गये अतिरिक्त फोर्स लगायी गयी पूरा प्रयास है कि आई०एस०आई० की गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोक सकें । क्योंकि बहुत बड़ा काम है 1-2 दिन में काम होने वाला नहीं है । राष्ट्रभक्ति का हम में माद्दा है तो हमें इस बुराई का मुकाबला करना चाहिए ।

मान्यवर, कानपुर की घटना का जिक्र किया गया, बिन लादेन की प्रशंसा की गयी । यह वास्तव में दुःखद बात है, इस पर चिन्ता होनी चाहिए, मान्यवर, इस देश में जहां पर अपनी बात कहने के लिए पूर्ण आजादी हो चाहे हम उससे सहमत हों या न हों यह दल बैठा हुआ है, इसकी सरकार उस बिन लादेन का मुकाबला करने के लिए संकल्प ले चुकी है । समाचार-पत्रों में बात छपी उसकी जानकारी की गयी । इसके बारे में जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं सारे मामले को अतिरंजित कर पेश करने की आवश्यकता नहीं है सरकार इसके बारे में सजग है, इन गतिविधियों पर अंकुश लगाया है, आगे नहीं बढ़ने देंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अभी कान्धार की बात कही जा रही है, कान्धार की जहां तक बात है, सम्मानित प्रधानमंत्री जी की सूझ-बूझ थी कि इतने मुसाफिरों को यहां पर हम सुरक्षित ले आये । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

अगर यह सूझ-बूझ थी, तो क्या यह देशद्रोह नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठे । आप लोगों की पूरी बात आयी, आप इनकी बात पूरी सुनिये ।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ?

श्री अधिष्ठाता–

अभी बीच में कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । अब व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा करना उचित नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

अभी मान्यवर, उनकी जगह पर मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधान मंत्री होते तो उनको पता चल जाता कि कैसे राज चलाया जाता है ?

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल यह है कि इस सदन में गम्भीर वातावरण हो गया । कन्धार के बारे में, जो विदेशी हैं, तमाम आतंकवादी छोड़े गये और वहां ले जाये गये इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ आ गया तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीर आरोपों से युक्त हो चुकी है । मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि नेता सदन बैठे हुए हैं यह सदन चाहता है कि नेता सदन के मुख से दो शब्द इस सदन में रखे जांय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम औतार शाक्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है उससे किसी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न नहीं पैदा होता । 6 बजे तक इसको समाप्त करने की अनिवार्यता है कृपया सहयोग करें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, विस्तार में यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और मैं न कोई सदन की भावना को भड़काने में विश्वास करता हूं लेकिन जब कोई आरोप इस प्रकार के लगाये जांय, कन्धार का जिक्र किया जाय तो कुछ न कुछ बात मन में आती जरूर है जिन लोगों ने वहां बैठकर आतंकवाद के जनक रहे हैं, जिन लोगों ने कश्मीर समस्या को पैदा किया है, जिन लोगों ने एक ही महिला के अपहरण पर आतंकवादियों को छोड़ा है वह आज सब मिलकर हमको सबक सिखाना चाहते हैं ।

(सत्तापक्ष की ओर से शेम शेम की आवाजें)

माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारे सम्मानित नेता, इस देश के सर्वोच्च नेता अटल जी के बारे में आप क्या कहेंगे, आप तो खुद विदेशियों के नीचे बैठे हुए हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उनको बैठालिये, मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं बोल रहा हूं ।

मान्यवर, यह संसदीय कार्य मंत्री जब कांग्रेस में थे तो मेरे साथ एक बार अमेठी गये थे और जिन्हें विदेशी कह रहे हैं उसके चरण छुवे थे हमारे सामने ।

(शोर)

मेरा नाम आया है इसलिए मैं बोलूंगा जरूर । मान्यवर, कल तक जो लोग कल्याण सिंह जी के साथ जीने मरने की कसमें खा रहे थे । आज उनका क्या चेहरा है यह पूरा प्रदेश देख रहा है ? हमें तो अपने आप पर गर्व है दुविधा तो उनकी है जिनका कलेण्डर की तरह हर बार नेता बदल जाता है । भारत का कोई दल नहीं है जिसके सदस्य हुकुम सिंह जी कभी न कभी न रहे हों ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय आर० के० सिंह पटेल ने अपने जनपद चित्रकूट की घटनाओं का उल्लेख किया जो जानकारी मेरे पास है वह मुकदमा अपराध संख्या-84 सन् 99 अन्तर्गत धारा 457,380 दर्ज हुआ जिसके बारे में आप कह रहे थे कि दलितों के मुकदमे दर्ज नहीं होते । घटना थी दिनांक 15-10-99 को, केवल उनकी जाति की वजह से उन्होंने दबाव बनाया और दिनांक 6-12-99 को दर्ज कराया और यह दर्ज कराया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गयी, जांच में सारी घटना गलत पाई गयी इसलिए उसको स्पंज कर दिया गया । जाति के आधार पर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं । जांच करने में अगर गलत पाया जाता है तो गलत होगा ।

(इस समय 6 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

(श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पटेल जी शान्त रहिये, यह चर्चा नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्यगण जब चर्चा कर रहे थे, तो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपनेता साहब ने यहां पर आरोप लगाये, दलित विरोधी, फलां विरोधी मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि शनैः शनैः जिस प्रकार से आपने जातीय जहर फूंकने का प्रयास इस जनता में किया है, यहां की जनता को जातीय आधार पर भड़काने का काम किया है, यहां की जनता उसके लिये कभी आपको माफ करने वाली नहीं है, न कभी उसको भूलने वाली है, इस बात का आप अहसास कीजिये । कानून व्यवस्था के बारे में मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है, हम इसको आदर्श स्थिति नहीं मानते हैं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय राम प्रकाश जी की सरकार पूरे प्रयास में है कि कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाय, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को निरस्त किया जाय ।

(कई सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण लिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

नियम-56 की सूचना पर कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया जाता है । मैं माननीय सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

(श्री अम्बिका चौधरी द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का आग्रह किये जाने पर)

मै नहीं सुन रहा हूं, न यह लिखा जा रहा है । मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, यह लिखा नहीं जा रहा है, मैंने दूसरे सदस्य को पुकार लिया है, कृपया बैठ जाइये ।

*डा० कौशल किशोर–

जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, वह बड़ी ही मार्मिक है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर संसदीय कार्य मंत्री को आरोप लगाने का मौका देंगे तो मुझे भी जवाब देने के लिये मौका दें ।

श्री अध्यक्ष–

कोई आरोप नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप कार्यवाही दिखवा लें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख लूंगा, कोई आरोप नहीं है ।

बहुत ही हल्के तरीके से ही यहां बातें हुई हैं, उस डिब्बे को मत खुलवाइये, बहुत निराधार बातें हुई, हैं, अब चलने दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर कोई अनुचित बात मेरे द्वारा या मेरे किसी साथी ने कही है तो उसे आप कार्यवाही से निकलवा दीजिये, लेकिन यदि आपकी उपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री अनुचित बात कहें और आपका संरक्षण हो तो यह ठीक नहीं है, आप उनकी भी बात को निकलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

जो अनुचित होगा, वह निकल जायेगा ।

*डा० कौशल किशोर–

जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, वह बहुत मार्मिक है, हृदय विदारक है । दिनांक 19-12-99 को लखनऊ में मंडल बचाओ, आरक्षण बचाओ रैली थी, जनपद लखीमपुर से राम नरेश गुप्ता, जो शादीशुदा थे, उनकी एक साढ़े 3 साल की बच्ची थी....

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो उन्होंने सूचना दी है, अपराध संख्या, धारावाइज उल्लेख किया है उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब अपनी बात कह रहे थे, एक भी शब्द नहीं कहा है कि इसमें क्या कार्यवाही होगी, कुछ तो आना चाहिए था अन्यथा इसको उठाने का कोई औचित्य नहीं है ? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है । मान्यवर, इस पर अगर आप कह दें, चूंकि ग्राह्यता पर इनको सुना है, सरकार का क्या पक्ष है ?

श्री अध्यक्ष–

यह बाध्य नहीं कर सकते कि किस प्रकार उत्तर दें । मैं संसदीय कार्य मंत्री को नहीं बुला रहा हूं ।

(व्यवधान)

डा० कौशल किशोर–

वह रैली में भाग लेकर लेने जा रहा था, अंधियारे के कारण उसका पैर ट्रेन और फ्लेट फार्म के बीच में आ गया । वह आदमी उसमें दब गया । उसका साथी रोशन लाल अनुसूचित जाति का चिल्लाया, ट्रेन रुकी । उसके साथियों ने स्टेशन मास्टर से निवेदन किया कि इस चोटहिल को इसी गाड़ी से गोला पहुंचा दिया जाये । लेकिन यह कार्य स्टेशन मास्टर ने नहीं किया । यह भी निवेदन किया गया कि अगर गोला नहीं पहुंचा सकते तो लखीमपुर पहुंचा दें । स्टेशन मास्टर ने और वहां के अन्य कर्मचारियों ने कहा कि आप तो रैली में गये थे, तुम तो अनुसूचित जाति के हो और पहुंच गये साइकिल की रैली में, तुम्हें तो हाथी की रैली में जाना चाहिए था । उस व्यक्ति को निकाला गया, मजबूरी में गांव से ट्रैक्टर लाया गया । उसकी स्थिति ट्रैक्टर में जाने की नहीं थी । लेकिन उसे जीवित समझकर लादकर ले गये, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी । इसके बाद साथ के लोगों ने स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि स्टेशन पर हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये । उसका भाई भुर्जी संस्था का अध्यक्ष है, टेलीफोन पर उसे सूचना दी गयी । मैं भी गया और कहा कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाये लेकिन थाना-सरदान के थानाध्यक्ष ने कहा कि रेल विभाग इस पर आवश्यक

कार्यवाही करेगा और पोस्टमार्टम नहीं हुआ जो स्टेशन मास्टर था जिसकी ड्यूटी थी, वह ड्यूटी पर नहीं था । मनोज पाण्डेय एवजी कर रहे थे । मैंने फिर एस०डी०एम० एवं डी०एम० को बतलाया । उसकी लाश को जलवा दिया । पोस्टमार्टम न होने के कारण कोई क्लेम नहीं हो पाया है । मैं चाहता हूं कि रोशन लाल की रिपोर्ट दर्ज की जाये और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया जाये । जिन्होंने न्याय का हनन किया है, जिन्होंने कानून का पालन नहीं किया है उन पर कार्यवाही की जाये । मैं मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

डा० कौशल किशोर की सूचना नियम–56 में तो नहीं आती लेकिन मैं इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । 8वीं सूचना श्री समर पाल सिंह की है । उन्होंने आग्रह किया है कि इसे न लिया जाये । शेष निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं अतः अस्वीकृत हुईं । श्री बाबू राम यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री सीताराम निषाद, मो० मुकीम, श्री उमाकान्त यादव, श्री दद्दू प्रसाद, श्री सरवर अली खां, श्री रामवीर उपाध्याय, मास्टर छोटे लाल गंगवार, श्री आर० के० चौधरी, श्री राम ललित चौधरी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री धर्म राज निषाद, श्री उबैदुर्रहमान, श्री अफजाल अहमद, श्री राम अचल राजभर, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री राम प्यारे सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम अहमद, श्री राम कृपाल, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री राम नक्षत्र और स्वामी ओइम्वेश ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैंने कल एक सूचना दी थी आपने कहा था कि उसको मैं कल ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप उस सूचना को कल दे दीजियेगा और मुझे स्मरण करा दीजियेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, कानून और व्यवस्था के संबंध में मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

कल आप सूचना दे दें मैं आपको विशेष रूप से अनुमति दे दूंगा ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कानून व्यवस्था के संबंध में कहा कि कार्यवाही हो रही है लेकिन इधर बैठे हुये माननीय सदस्य क्षुब्ध और परेशान हैं कि घटनायें हो जाती हैं लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होती है । हम इसके मूल में नहीं जाना चाहते । भाजपा को जनादेश इस प्रदेश की जनता ने नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको कल पूरा मौका दूंगा, कल कह लीजियेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति पर कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें जैसे कत्ल, डकैतियां, अपहरण, बलात्कार, पुलिस द्वारा लोगों को मारे पीटे जाने की घटनायें प्रकाश में लायी गयीं । इसके पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था लेकिन वह हल्के फुल्के ढंग से दिया और कार्यवाही करने के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया । इसका मतलब यह है कि यहां विपक्ष में बैठे

हुये जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी वह निरर्थक और सत्यता से परे है । सरकार जानबूझकर अपराधों को बढ़ावा दे रही है और पुलिस को संरक्षण देने के लिये लीपापोती का काम कर रही है यह मेरा आरोप है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 का प्रकरण समाप्त हो गया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

प्रकरण जैसे समाप्त हुआ वैसे ही मैं खड़ा हो गया । यह सरकार लीपापोती करके पुलिस को संरक्षण देकर प्रदेश की जनता पर अपने द्वारा बनाये गये काले कानूनों को थोपना चाहती है ।

श्रीमन्, प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । प्रदेश मे जघन्य अपराध, कत्ल हो रहे हैं । अभी श्री श्रीराम पाल जी ने आंकड़े देकर, गांव के नाम बताकर सूचनायें दीं, हमारे माननीय सदस्यों ने भी सूचनायें दीं । संसदीय कार्य-मंत्री जी ने इसे बहुत हल्केपन से लिया । श्रीमन्, इस तरह से सदन की कार्यवाही मनमाने ढंग से नहीं चलने दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आपके मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होती है ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय सदस्यों ने कई आरोप लगाये, उसका स्पष्ट समाधान होना चाहिए । तमाम घटनाओं की तारीख वाइज सूचना दी लेकिन यह सरकार उनको गम्भीरता से टेकअप नहीं कर रही है । यह सरकार जनता पर काला-कानून थोपना चाहती है । श्रीमन्, हमारे दल के रहते हुए, विपक्ष के रहते हुए यह काले कानून नहीं थोपे जायेंगे और मनमाने तरीके से यहां सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप यह न कहिये, अगर सत्तापक्ष यह कहे कि कार्यवाही चलेगी तो क्या होगा ?

(विपक्ष एवं सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, इस तरह से मनमाने तरीके से कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

नेता विपक्ष का यह कहना कि कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी, एक शर्मनाक व्यवहार है, यह घोर आपत्तिजनक व्यवहार है । माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मुझको कठोर शब्दों का प्रयोग न करना पड़े ऐसी स्थिति न आये । एक कहावत है थोथा चना बाजे घना । मैं समझता था कि कोई सारगर्भित बात कही गयी होगी लेकिन थोथा चना की बात कर रहे हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

श्री अध्यक्ष–

सचिव विधान सभा एक सूचना देगें ।

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के अधीन मांगों का प्रस्ताव, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 3,00,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 3,00,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 4,04,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 4,04,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 3,55,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 3,55,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,90,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,90,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 10,88,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 10,88,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,09,20,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,09,20,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,10,30,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,10,30,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,54,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,54,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य कई सदस्यों ने नारे लगाये ।)

अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 32,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 32,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के बीच नारे लगते रहे)

अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 7,56,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 7,56,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के बीच नारे लगते रहे ।)

अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 21,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 21,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,65,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,65,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के बीच नारे लगाते रहे ।)

(घोर व्यवधान के बीच विपक्ष के अनेक सदस्यगण नारे लगाते रहे ।)

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के बीच नारे लगाने का क्रम जारी रहा ।)

अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 90,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 90,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(नारे लगाने का क्रम जारी रहा ।)

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 6,01,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

(घोर व्यवधान)

(सदस्यगणों द्वारा नारे लगाये जाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 6,01,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 16,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 16,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,38,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,38,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के बीच नारे लगते रहे ।)

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,68,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,68,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 80,87,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 80,87,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 16,69,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 16,69,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 30,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 30,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 69,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 69,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 3,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 3,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 2,59,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 2,59,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 27,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 27,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 21,20,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 21,20,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 3,90,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 3,90,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 16,81,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 16,81,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 12,33,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 12,33,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,61,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,61,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 45,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 45,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 2,79,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 2,79,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–60 वन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत 5,51,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत 5,51,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 3,44,03,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 3,44,03,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वैल पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,24,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,24,00,0000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 5,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 5,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 20,95,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 20,95,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,08,75,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,08,75,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,56,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,56,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत 39,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत 39,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 92,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 92,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 4,93,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 4,93,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 83,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 83,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 17,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 17,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम बिभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 4,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 4,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,48,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,48,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 37,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 37,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 1,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 1,17,000 के अन्तर्गत 45,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 31,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 31,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 34,73,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 34,73,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 15,19,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 15,19,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक)विधेयक, 2000

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव) "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(प्रतियां बांटी गयी)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव) "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी गयी हैं ।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव) "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोटः–' दिनांक 21-1-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000

31 मार्च,, 2000 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2000 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1999-2000 के लिये 39,48,37,64,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2000 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 39,48,37,64,000 रुपये (तीन हजार नौ सौ अड़तालिस करोड़, सैंतीस लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो ।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, -उनका विनियोग 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	आवास विभाग	राजस्व	...	*111014*	111014
		पूंजी	...	*126406*	126406
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	1500	*19*	1519
		पूंजी	10000	...	10000
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	45	...	45
		पूंजी	...	...	...

1	2		3	4	5
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	14527	...	14527
		पूंजी	15552	...	15552
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	40437	...	40437
		पूंजी	...	...	...
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	35507	...	35507
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	29051	...	29051
		पूंजी	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	108792	...	108792
		पूंजी	77	...	77
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	1092057	...	1092057
		पूंजी	...	..	...
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	1103082	...	1103082
		पूंजी	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	15300	...	15300
		पूंजी	144	...	144
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	30000	...	30000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	3250	...	3250
		पूंजी	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	75600	...	75600
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय	राजस्व	2115	...	2115
		पूंजी	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	24490	...	24490
		पूंजी	12012	...	12012
22	खेल विभाग	राजस्व	100	...	100
		पूंजी	...	...	...
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	900000		900000

1	2	3		4	5
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	60186	...	60186
		पूंजी	...	...	...
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	1600	...	1000
		पूंजी	...	...	...
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	...	2400	2400
		पूंजी	...	...	...
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	83880	...	83880
		पूंजी	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	126877	...	126877
		पूंजी	...	...	...
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	1250	...	1250
		पूंजी	...	...	...
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	808785	...	808785
		पूंजी	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	166939	...	166939
		पूंजी	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	303000	...	303000
		पूंजी	....	...	....
40	नियोजन विभाग	राजस्व	6900	...	6900
		पूंजी	....	...	....
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	316	...	316
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	25958	4956	30914
		पूंजी	...	...	...
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	2725	...	2725
		पूंजी	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	212055	...	212055
		पूंजी	...	...	...
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	39073	...	39073
		पूंजी	...	...	...
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	168144	...	168144
		पूंजी	...	...	...
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	102830	...	102830
		पूंजी	20459	...	20459

1	2		3	4	5
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	46151	...	46151
		पूंजी	...	...	...
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4528	...	4528
		पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	127	*556*	683
		पूंजी	...	...	...
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	27985	...	27985
		पूंजी	...	...	...
60	वन विभाग	राजस्व	55184	...	55184
		पूंजी	...	...	...
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	...	*1680000*	1680000
		पूंजी	...	*25200000*	25200000
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	3440300	...	3440300
		पूंजी	...	...	...
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	42400	...	42400
		पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	505	...	505
		पूंजी	...	...	...
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	209561	...	209561
		पूंजी	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	1881759	*358733*	2240492
		पूंजी	5765	...	5765
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	14600	...	14600
		पूंजी	11000	...	11000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	1440	...	1440
		पूंजी	2486	...	2486
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	9224	...	9224
		पूंजी	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	46327	*49*	46376
		पूंजी	3000	...	3000
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	8326	...	8326
		पूंजी	...	...	...
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1760	...	1760
		पूंजी	...	...	...
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	285	...	285
		पूंजी	...	...	...

1	2		3	4	5
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	431	...	431
		पूंजी	...	...	...
86	सूचना विभाग	राजस्व	14820	...	14820
		पूंजी	...	...	...
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	3760	...	3760
		पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	117	...	117
		पूंजी	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	3115	...	3115
		पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	1	...	1
		पूंजी	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	राजस्व	230000	*5182*	235182
		पूंजी	117387	*15331*	132718
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	36845	*131*	36976
		पूंजी	115147	...	115147
	योग :	राजस्व	10624815	*2163040*	12787855
		पूंजी	1354172	*25341737*	26695909
	कुल योग :–		11978987	*27504777*	39483764

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खंड–2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

सदस्य संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह 17 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 39-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 39-क में, परन्तुक में, खण्ड (क) में शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 1998

3–(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(माननीय सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगली मद ले रहा हूं।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय।

(माननीय सदस्य श्री शाक्य का नाम पुकारे जाने एवं संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह पहली अक्तूबर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 12 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"(1) उप नगर प्रमुख, यथास्थिति, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् या नगर प्रमुख की पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचित किया जायगा ।"

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनयम की धारा 50 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(2-क) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, धारा 12 के अधीन उप नगर प्रमुख के निर्वाचन के लिए एक या उससे अधिक दिनांक नियत करेगी और सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उप नगर प्रमुख या निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगी ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4–इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 50 के उपबन्ध ऐसे उप नगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, जिसका पद इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को उसकी पदावधि के समाप्त होने के कारण रिक्त रहा हो और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोई ऐसा आदेश या अधिसूचना, जिसमें ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन हेतु एक या उससे अधिक दिनांक नियत किया गया हो, विखण्डित हो जायगी मानो इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य का कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबूराम एम०काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(माननीय सदस्य श्री शाक्य का नाम पुकारे जाने एवं संशोधन न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने पर के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 अक्टूबर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-क में,–

(क) उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि पांच करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करने वाली किसी नई इकाई में या किसी विद्यमान इकाई, जो पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विज्ञप्ति में विर्निदष्ट की जाय, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन या उनमें से किसी एक में पांच करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करे, में निर्मित माल के सम्बन्ध में कर से छूट या उसकी दर में कमी प्रदान की जा सकती है" ;

(ख) स्पष्टीकरण (4) में,–

"(एक) शब्द "ऐसे संयंत्र" के स्थान पर शब्द "ऐसे संयंत्र जिनके अन्तर्गत कैप्टिव पावर प्लान्ट भी है" रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,–

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "संयंत्र" के स्थान पर "संयंत्र जिनके अन्तर्गत कैप्टिव पावर प्लान्ट भी है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

(ङ) किसी कैप्टिव पावर प्लान्ट में स्थिर पूंजी विनिधान के आधार पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इकाई ऐसी विद्युत जो उसके उपभोग से अधिक हो, की बिक्री उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से भिन्न किसी व्यक्ति को न करती हो और यदि इकाई ऐसी अधिक विद्युत की बिक्री उक्त परिषद् से भिन्न किसी व्यक्ति को करती है, तो इकाई अपने निर्मित माल की बिक्री पर धारा 8 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ब्याज के साथ यथानुपात आधार पर कर का भुगतान करने के लिए दायी होगी ।"

(ग) स्पष्टीकरण (7) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"(8) 'कैप्टिव पावर प्लान्ट' का तात्पर्य ऐसे पावर प्लान्ट से है जो राज्य में किसी ऐसी इकाई द्वारा लगाया गया हो जो किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित विद्युत का उसकी स्थापित क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून उपभोग करती हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी वित्तीय वर्ष में किसी इकाई के सम्बन्ध में इस स्पष्टीकरण के विद्युत के उपभोग की अपेक्षाओं को निम्नलिखित सदस्यों की समिति की संस्तुति पर शिथिल कर सकती है :–

(क) यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा विभाग ।

(ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ।

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग ।

(घ) प्रबन्ध निदेशक, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश ।

(ङ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1999

3–(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बाबूराम एम०काम०––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अध्यक्ष–

राम औतार शाक्य जी, संकल्प प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री राम औतार शाक्य जी संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय शाक्य जी ने संकल्प प्रस्तुत नहीं किया है,

(संशोधन न प्रस्तुत किये जाने पर)

अतः प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशेधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह 05 नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 में नई धारा 3-ख और 3-ग का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

फिल्म विकास के लिए अतिरिक्त प्रभार

"3-ख–(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी सिनेमा का मालिक ऐसे सिनेमा में किसी आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति से फिल्म के विकास के लिए पचास पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि ऐसी रीति से ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के पास, जैसी विहित की जाय, जमा की जायगी ।

निधि

3-ग (1) एक निधि स्थापित की जायगी जिसे फिल्म विकास निधि कहा जायगा, जिसमें धारा 3-ख के अधीन वसूल किये गये समस्त अतिरिक्त प्रभार जमा किये जायेंगे ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात् :–

(क) फिल्मों का वित्त पोषण करने के लिए ;

(ख) क्षेत्रीय फिल्मों को आर्थिक सहायता देने के लिए ;

(ग) फिल्मों के लिए अवस्थापना का विकास करने के लिए ;

(घ) फिल्म विकास परिषद् की स्थापना करने के लिए ;

(ङ) पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ;

(च) फिल्म समारोह का आयोजन करने के लिए ;

(छ) उपस्कर क्रय करने के लिए ; या

(ज) फिल्मों के विकास से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1999

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम औतार शाक्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(माननीय श्री राम औतार शाक्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

(माननीय श्री राम औतार शाक्य द्वारा अपना संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–13 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह 09 सितम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 1 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (4) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(छ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी ।"

धारा 2 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (क–2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :–

"(क–2क) 'मुख्य न्यायाधीश' का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है" ;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(खख) 'सेवा सम्बन्धी मामले' का तात्पर्य किसी लोक सेवक की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से है ;"

(ग) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(घ) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य अधिकरण के उपाध्यक्ष (न्यायिक) या उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) से है ।"

धारा 3 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (2) में शब्द "एक उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि :—

(क) उसने कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो : या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो ।

(4-क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि :–

(क) उसने कम से कम दो वर्ष तक (प्रशासकीय) सदस्य का पद धारण न किया हो ; या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण न किया हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो । ''

(ग) उपधारा (6) में शब्द ''उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो '' के स्थान पर शब्द 'उसे राज्य सरकार की राय में, न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो '' रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (7) में शब्द ''राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, के स्थान पर शब्द ''मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिसके लिये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया जायेगा'' रख दिये जायेंगे :

(ङ) उपधारा (10) में, शब्द '' की गयी ऐसी जांच के पश्चात्'' के स्थान पर शब्द ''मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा, जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय, की गयी ऐसी जांच के पश्चात्'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 4-क संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

'' 4 (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "आदेश" का तात्पर्य धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कम्पनी के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या अभिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश से है :

परन्तु किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुये, कोई निर्देश किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में नहीं किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य और ऐसे निर्देश के दाखिल किये जाने के संम्बन्ध में ऐसी फीस और आदेशिकाओं के निष्पादन या तामील के लिए ऐसी अन्य फीस, जो विहित की जाय, संलग्न की जायेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, यदि अधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि संदर्भ उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उचित है, तो वह निर्देश ग्रहण करेगा और यदि अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह इसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे संक्षेपतः नामंजूर कर देगा ।

(4) जहां कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहां ऐसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के बारे में सुसंगत सेवा नियमावली या विनियमन या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही का, जो ऐसे निर्देश ग्रहण किये जाने के पूर्व लम्बित है, उपशमन हो जायगा और उसके सिवाय जैसा अधिकरण निर्देश दे, ऐसे विषय के सम्बन्ध में इसके पश्चात् कोई अपील या अभ्यावेदन ऐसी नियमावली, विनिमन या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(5) अधिकरण सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि लोक सेवक ने सुसंगत सेवा नियमावली विनिमय या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के बारे में उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है ।

(6) उपधारा (5) के प्रयोजनो के लिए, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसी नियमावली विनिमय या संविदा के अधीन शिकायत के संबन्ध में किसी लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील या दिये गये अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो यह समझा जायगा कि लोग सेवक ने उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है :

परन्तु यह कि जहां लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील प्रस्तुत करने या अभ्यावेदन देने के छः माह के भीतर कोई अन्तिम आदेश न दिया गया हो, वहां लोक सेवक रजिस्ट्रीकृत डाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना की तामील के एक मास के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि लोक सेवक ने उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है ।

(7) उपधारा (5) और (6) के प्रयोजनों के लिए यदि राज्यपाल या किसी अन्य कृत्यकारी को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई उपचार किसी लोक सेवक को उपलब्ध है तो ऐसे उपचार को उपलब्ध उपचारों में से कोई उपचार तब तक नहीं समझा जायगा, जब तक कि लोक सेवक ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता है । ''

धारा 4-क का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (5) में,-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

''(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से सम्बन्धित किसी आदेश के विरूद्ध दावे के किसी निर्देश की सुनवाई और उसका अन्तिम विनिश्चय दो सदस्यों से गठित न्याय पीठ द्वारा किया जायगा :

परन्तु एक सदस्य द्वारा साक्ष्य लिया जा सकता है और उसकी कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है । ''

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "यदि वह ऐसा करना उचित समझे " के स्थान पर शब्द "स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निर्देश के किसी पक्षकार के आवेदन पर " रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 5 में-

(क) उपधारा (5-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

"(5-ग) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को किसी लोक सेवक के विरूद्ध सेवायोजक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने से पूर्व दिया था और जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त है, अभिशून्य हो जायगा ।"

(ख) उपधारा (9) में शब्द और अंक "धारा 193" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 193, 219 " रख दिये जायेंगे ।

धारा 5-क का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 5-क में, खण्ड (ख) में शब्द "ऐसे विधि अधिकारी के" के स्थान पर शब्द "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी के" रख दिये जायेंगे ।

धारा 6 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) में शब्द "खण्ड (क) से (च)" के स्थान पर शब्द "(क) से (छ)" रख दिये जायेंगे ।

6-ख और 6-ग का बढ़ाया जाना

10–मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

अभिकरण के सदस्य और कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे

"6-क–भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

6-ख (1)– इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

सदस्य न्यायाधीश होंगे

6-ग–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायेंगे ।''

धारा 7 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

''(ग) वह प्रारूप जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जो ऐसे निर्देश के साथ संलग्न होंगे और ऐसे निर्देश को दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में या आदेशिकाओं के निष्पादन या तामील के लिए देय फीस ।''

नई अनुसूची का बढ़ाया जाना

12–मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

अनुसूची

[धारा–4-क (5) (क) देखिये]

मामले जिनकी सुनवाई और अन्तिम विनिश्चय, दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जायगा ।

1–निम्नलिखित से सम्बन्धित किसी आदेश के विरुद्ध दावों के समस्त निर्देश :–

(क) किसी लोक सेवक की पदोन्नति ज्येष्ठता, जन्म-तिथि या अधिवर्षिता का दिनांक ;

(ख) धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा में विनियमितीकरण ;

(ग) किसी लोक सेवक की पदच्युति, हटाये जाने, प्रत्यावर्तन या पदावनति, वेतनवृद्धि पर स्थायी रोक, सेवा में व्यवधान, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निलम्बन, सेवा समाप्ति या त्याग-पत्र ;

(घ) किसी सेवानिवृत्त लोक सेवक की पेंशन का पूर्णतः या अंशतः रोका जाना या प्रत्याहरण करना, पेंशन से वसूली और पेंशन के लिए अवधि की गणना ।

2–अवमानना के सभी मामले ।

3–उपर्युक्त मामलों से सम्बन्धित आदेशों के विरुद्ध दावों के निर्देश का ग्रहण किया जाना ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1999 — निरसन और अपवाद

13–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–13 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अनुसार श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द ''साहित्य'' से पूर्व और शब्द चिन्ह, ''विधि'', रख दिया जायें ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाती है यह चर्चा जारी रहेगी ।

''पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करें कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े'' के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित

श्री अध्यक्ष–

इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाती है । यह चर्चा आगे जारी रहेगी ।

ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर चर्चा स्थगित की जाती है । यह चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर चर्चा स्थगित की जाती है । यह चर्चा जारी रहेगी ।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं रासायनिक खादों की कमी को दूर करने विषयक दिनांक 15 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा आगे के लिए स्थगित

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर चर्चा स्थगित की जाती है । यह चर्चा जारी रहेगी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4-1-2000 को नियम–51 के अन्तर्गत 52 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इनमें से डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की सूचना जो प्रदेश के जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद,मुजफ्फरनगर में प्राइवेट बसों की बन्दी से यात्रियों के समक्ष उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

दूसरी सूचना श्री राम कृपाल की प्रदेश में कोल जाति को जनजाति के समान दर्जा देकर शासकीय सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है ।

माननीय सदस्य श्री सतीश जतारिया, श्री विनोद मणि, श्री राम औतार शाक्य, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री उबैदुर्रहमान की सूचनाएं नियमानुसार न होने के कारण अग्राह्य की जाती हैं ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

1–श्री रणधीर सिंह तथा डा० कौशल किशोर	प्रदेश में समूह ''ग'' के अन्तर्गत होने वाली परीक्षा में होम्योपैथिक मेडिकल परीक्षा के निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
2–श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री राम ललित चौधरी	प्रदेश में शीतलहरी से बचाव के लिए अलाव एवं कम्बल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कर बेसहारा लोगों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में ।
3–स्वामी ओइमवेश	जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में कृषि डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।
4–श्री अजय भट्ट	प्रदेश में उत्तरांचल में विद्युत कटौती समाप्त किये जाने के संबंध में ।
5–श्री अखिलेश सिंह	उ०प्र० लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में चयन/संस्तुति तक के लिए लागू सफल एवं जनोपयोगी अतिथि प्रवक्ता व्यवस्था में लगे अतिथि प्रवक्ताओं का आमंत्रण रद्द कर पैनल व्यवस्था लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
6–श्री श्रीराम पाल	प्रदेश में संचालित असहायित मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक वि० में कार्यरत त्रिभाषा सूत्र के संस्कृत/उर्दू शिक्षकों को वेतन अनुदान दो वर्ष से भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में ।
7–श्री मुन्ना सिंह चौहान	उत्तराखण्ड में बसों की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
8–डा० सरजीत सिंह डंग	विन्ध्यांचल निधि को प्रभावी न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
9–डा०धर्मज्ञ मिश्र	जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत थानों व चौकियों में पर्याप्त स्टाफ व टेलीफोन सुविधा न होने के संबंध में ।
10–श्री दीपालाल भारती	गन्ना मूल्य भुगतान हेतु नेबुआ रायगंज (कुशीनगर) में राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाने के सम्बन्ध में ।
11–श्री सीताराम निषाद	जनपद फैजाबाद में ग्राम पंचायत कटारी में लेखपालों द्वारा भू-अभिलेखों में हेराफेरी किये जाने तथा पंचायत की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में न बांटने के सम्बन्ध में ।
12–श्री हरदेव सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी रतनपुरा, जनपद–मऊ द्वारा किये जा रहे घोटालों की जांच के सम्बन्ध में ।

13–श्री सतीश जतारिया

14–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी

15–श्री तेजभान सिंह

16–श्री राम प्यारे सिंह

17–श्रीमती सीमा द्विवेदी

18–श्री हरपाल सिंह

19–श्री बाबू लाल

20–श्री मूल चन्द

21–श्री राम औतार शाक्य

22–श्री लालमणि प्रसाद

23–श्री विनोदमणि

24–श्री राजेन्द्र यादव

25–श्री बाबू खां

जनपद झांसी स्थित डायमंड सीमेन्ट फैक्टरी में नाबालिक बच्चों से मजदूरी कराये जाने के संबंध में।

जनपद एटा में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में।

जनपद सुल्तानपुर की तह० गौरीगंज में फर्जी मुकदमों द्वारा ग्राम समाज तथा निजी भूमि की हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में।

आजमगढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक को अवकाश के कारण रिक्त पद पर आज तक व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

प्रतापगढ़ के जामताली में सई नदी पर बने पुल पर अवैध टोल टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवराला ब्लाक अरनिया में नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में किरावली में अर्धनिर्मित स्टेडियम के कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित सहायक अध्यापकों को अध्यापक प्रशिक्षण न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पुरानी व आवश्यक सड़कों को पेंटिग स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद संत कबीरनगर के कस्बा हरिहरपुर की जीर्ण-शीर्ण सड़कों तथा नालियों की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जनपद महाराजगंज की फरेंदा तहसील व गोरखपुर की कैम्पियरगंज तहसील के बाढ़ पीड़ितों को क्षतिपूर्ति तथा गृह अनुदान वितरण में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

जनपद गाजीपुर की जर्जर विद्युत व्यवस्था के कारण नागरिकों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में।

हरदोई की किट प्लाई सुगर इण्डस्ट्री रूपापुर में गन्ना, किसानों का गन्ना फैक्ट्री गेट पर फर्जी शट्टे एवं कूपन पर 65/- प्रति कुन्तल मूल्य पर मिल मालिक एवं उनके दलालों द्वारा खरीद कर गन्ना किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में।

26–श्री गोरखनाथ पाण्डेय	जनपद जौनपुर के नागरिक इन्टर कालेज, जंघई की अवैधानिक रूप से गठित प्रबन्ध समिति एवं प्रबन्धक को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
27–श्री जोखू लाल यादव	जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत बरना नदी के जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
28–श्री संजय गर्ग	नवसृजित सहारनपुर मण्डल के गैंगस्टर एक्ट, आर्थिक अपराध, पारिवारिक न्यायालय एवं बाल न्यायालय के वादों के निस्तारण हेतु जनपद सहारनपुर में विशेष न्यायालय स्थापना के सम्बन्ध में।
29–श्री भीम प्रसाद सोनकर	प्रदेश में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में।
30–श्री लाखीराम जोशी	प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु पद सृजित न किये जाने से जन-सामान्य को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में।
31–श्रीमहेन्द्र प्रसाद निषाद	जनपद बांदा में नगर पंचायत मंदौध में राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
32–डा०वकार अहमद शाह	जनपद बहराइच में जिला पंचायत विभाग के निरीक्षण भवन/कांजी हाउस के लिये अवमुक्त धन को जिला पंचायत विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
33–मास्टर छोटे लाल गंगवार	जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में नियुक्त संग्रह अमीन को अमानवीय ढंग से उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
34–श्री अयोध्या प्रसाद पाल	जनपद फतेहपुर के 50 नम्बर गेट शादीपुर मोहल्ले में श्री अजय कुमार को मारेपीटे जाने तथा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
35–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना	बरेली की तहसील आंवला के अन्तर्गत ग्राम चंपतपुर निवासी श्री ख्यालीराम को संग्रह अमीन द्वारा अवैध रूप से पकड़कर तहसील में बंद किये जाने तथा प्रताड़ना में बन्दी की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संम्बन्ध में।
36–श्री राम जग	जनपद आजमगढ़ की ब्लाक तरवा के रासेपुर बाजार में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

37–श्री महेन्द्र कुमार

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा घोटाले की जांच रिपोर्ट दबाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

38–श्री भोला शंकर मौर्य

जनपद बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जवाहर रोजगार योजना एवं दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

39–श्री इन्द्रजीत सरोज,
श्री विजय प्रकाश तथा
श्री मतेश चन्द्र सोनकर,

पूर्वान्चल विकास निधि के लिये जिला अंश की धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में।

40–श्री आर०के० सिंह पटेल

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश वर्ष 1999-2000 में अधिकारियों द्वारा अपनी मर्जी से प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में।

41–श्री राम सिंह सैनी

जनपद हरिद्वार में रूड़की क्षेत्र के कतिपय ग्रामों की जमीन टिहरी डैम के विस्थापितों के लिए अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

42–श्री अम्बिका चौधरी

जनपद बलिया के नगर गांव में धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

43–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

प्रदेश के सभी जनपदों व मेरठ महानगर क्षेत्र में एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी धनराशि का अंश दिलाने के सम्बन्ध में।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 4 जनवरी, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

संख्या 1/12/97–का-4-1997

प्रेषक,

सुधीर कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 1997

विषय :–सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–4

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–50 भा०स०/47-का-4-93-15/95/93, दिनांक 24 जनवरी, 1994 में यह सुस्पष्ट प्राविधानित है कि केवल ऐसे विधिक एवं वैज्ञानिक पद, जहां प्रयत्न के बावजूद प्रतिस्थानी की तैनाती न हो पा रही हो और उक्त पद को जनहित/कार्यहित में भरा जाना अपरिहार्य हो, केवल वही अनुबन्धात्मक आधार पर अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक, कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति से तैनाती की जाये ।

2–सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(क) जिन कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी है, उनकी अवधि समाप्त होने पर उसे आगे न बढ़ाया जाय ।

(ख) भविष्य में उपर्युक्त प्रस्तर–1 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों को ही कार्मिक विभाग संदर्भित किया जाय ।

3–कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

सुधीर कुमार,

सचिव ।

संख्या 1/12/97(1)–का–4–1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4–प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी ।
5–समस्त मा० मंत्रिगण, उत्तर प्रदेश ।
6–सचिव, विधान परिषद्/सभा, उत्तर प्रदेश ।
7–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र०सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं की सूची वर्ष 1998-99

1–मंदिर महरौरा शिवाला, देवसरा का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

2–अमरगढ़ शिवाला (शिव मंदिर) पट्टी का सौन्दर्यीकरण व विकास ।

3–हनुमान मंदिर पट्टी का सौन्दर्यीकरण व विकास ।

4–कल्याणी दैवी मंदिर गंगरोरा का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

5–मुजाही दैवी मंदिर, मैगरौरा का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

6–सर्वजीतपुर, दुर्गा दैवी मंदिर पट्टी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

7–मंगरौरा देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

8–ठुडांग्राम दाउदपुर पट्टी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

9–रामगंज राम जानकी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

10–ठा० झिंगुरी सिंह की समाधि ग्राम० भाऊपुर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

11–रूरे शहीद स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

12–रानीगंज अजगरा का सौन्दर्यीकरण ।

13–पौराणिक स्थल, देवघाट, ग्राम सभा भुआल का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

14–किठावर देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

15–खइलत देवी धाम मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

16–शिवरा मंदिर, मान्धाता का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

17–शनिदेव मंदिर विश्वनाथगंज, यात्री विश्रामालय निर्माण/सौं०/विकास ।

18–कम्पनीबाग में शहीद स्थल फव्वारा बोट पैड मैदान पथ, गेट व विद्युतीकरण/सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

19–हादी हाल का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

20–गौरी शंकर मंदिर, जहानाबाद का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

21–बूढ़े बाबा मंदिर, पेरूआ कालाकांकर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

22–होदेश्वर नाथ मंदिर, ग्राम शाहपुर, कुंडा का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

23–बाबा घुइसरनाथ मंदिर यात्री विश्राम गृह का निर्माण सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

24–अम्बेडकर उद्यान, लालगंज का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

25–चामुण्डा देवी मंदिर, बुआसी विहार का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

26–पटवा देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

27–झारखण्ड मंदिर शेखपुर सहजवी, कालाकांकर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

28–चौहरगढ़ी देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

29–बाबा बेलखर नाथ मंदिर धाम का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

वर्ष 1999-2000 में पर्यटन मद में सौन्दर्यीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निम्न कार्य अनुमोदित किये गये हैं ।

1–शिबरा मंदिर मान्धाता का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

2–मजार प्रतापगढ़ सिटी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

3–देवघाट धसि तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं विकास ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या–24. जो टेलीफोन व्यय से संबंधित है, का विवरण :–

क्रमांक	टेलीफोन नम्बर	बिल दिनांक	धनराशि (रुपये में)
01	238597 (का०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–27,163.00
02	221599 (का०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–44,372.00
03	238212 (का०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–64,715.00
04	239287 (का०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–23,911.00
05	227282 (आ०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–36,341.00
06	299461 (आ०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–71,967.00
07	238726 (आ०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–64,067.00
08	239563 (आ०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–16,238.00
09	239306 (आ०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–20,755.00
10	223599 (आ०)	01-03-99 से 11-10-99 तक	–00,516.00
11	से०फो०–9839083209	अप्रैल, 99 से 31-5-99 तक	–08,371.00
		जुलाई से अगस्त, 1999	–71,372.56
		सितम्बर, 1999	–38,481.40
		अक्टूबर, 1999	–26,466.90
		नवम्बर, 1999	–44,995.00
		योग रु०–5,79,732.27 अथवा रु०–5,79,732.00	

पी० एस० यू० पी०–एल० 160 विधान सभा (288)–2000–813 (डी० टी० पी०) ।